अध्याय– 21
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
Rural Development & Panchayati Raj

उत्तराखण्ड राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। विजन 2030 द्वारा स्थापित 17 सतत विकास के लक्ष्यों (Sustainable Development Goals-SDGs) में से **एस0डी0जी0–1, एस0डी0जी0–2, एस0डी0जी0–8** तथा **एस0डी0जी0–9** के विभिन्न लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन तथा क्षेत्र विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास सूचक:– समाजार्थिक जाति गणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों के वंचित परिवारों (Deprived Family) का विवरण तालिका 21.1 के अनुसार है।

तालिका–21.1
वंचित परिवारों (Deprived Family) का विवरण

जनपद	वंचित परिवारों कीसंख्या	भूमिहीन परिवारो की संख्या जिनकी आय का मुख्य श्रोत अकुशल मजदूरी है
उत्तरकाशी	41209	1793
चमोली	30870	1322
रुद्रप्रयाग	15809	991
टिहरी गढ़वाल	56824	3819
देहरादून	44190	21880
पौड़ी गढ़वाल	63818	3341
पिथौरागढ़	49172	2234
बागेश्वर	25496	1714
अल्मोड़ा	64709	2403
चम्पावत	27256	2098
नैनीताल	43245	9773
ऊधमसिंह नगर	87544	53206
हरिद्वार	101544	77090
उत्तराखण्ड	651686	179261

ग्रामीण परिवारों की मासिक आय उनके जीवन की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण सूचक है। समाजार्थिक जाति जनगणना 2011 (ग्राम्य विकास) के अनुसार जनपदवार ग्रामीण परिवारों की मासिक आय को (परिवार में अधिकतम आय कमाने वाले सदस्य के अनुसार) तालिका–21.2 के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।

तालिका 21.2 जनपदवार ग्रामीण परिवारों का उनकी मासिक आय के अनुसार विवरण (परिवार के अधिकतम आय कमाने वाले सदस्य)
(प्रतिशत में)

जनपद	₹5000 से कम	₹ 5000 से ₹10000 के बीच	₹10000 से अधिक
उत्तरकाशी	80.10	9.05	10.84
चमोली	60.07	24.21	15.72
रुद्रप्रयाग	53.74	31.32	14.94
टिहरी गढ़वाल	70.94	19.47	9.59
देहरादून	48.95	23.95	27.10
पौड़ी गढ़वाल	59.17	23.87	16.96
पिथौरागढ़	62.83	19.78	17.39
बागेश्वर	66.37	20.99	12.64
अल्मोड़ा	73.30	16.24	10.47
चम्पावत	73.12	14.03	12.85
नैनीताल	61.78	20.90	17.31
ऊधमसिंह नगर	65.02	22.24	12.74
हरिद्वार	62.56	27.00	10.44
उत्तराखण्ड	**63.41**	**21.86**	**14.72**
सम्पूर्ण भारत	**74.52**	**17.18**	**8.25**

स्रोत–समाजार्थिक जाति गणना 2011 (ग्राम्य विकास)

तालिका– 21.2 के अनुसार उत्तराखण्ड में ₹ 5000 से कम अधिकतम आय कमाने वाले सदस्यों की संख्या सबसे अधिक (63.41 प्रतिशत) है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 11 प्रतिशत कम है। इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों से आय सृजन, बेहतर रोजगार एवं उच्च जीवन यापन हेतु शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन किया जा रहा है।

वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना की तुलना करने पर भी संज्ञान में आता है कि उत्तराखण्ड राज्य में ग्रामों में रहने वाले जनसंख्या का प्रतिशत भी कम हुआ है। जनपद चम्पावत तथा उत्तरकाशी को छोड़कर जिनमें ग्रामीण जनसंख्या में वर्ष 2001 की अपेक्षा वर्ष 2011 में क्रमशः 0.11 प्रतिशत तथा 0.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, शेष सभी जनपदों में ग्रामीण जनसंख्या में कमी हुई है। जनपद अल्मोड़ा तथा पौड़ी गढ़वाल में कुल

जनसंख्या में क्रमशः 0.13 प्रतिशत तथा 0.14 प्रतिशत कमी हुई है तथा शेष सभी जनपदों की कुल जनसंख्या में वृद्धि हुई है जो कि तालिका–21.3 से जनपदवार स्वतः स्पष्ट होता है–

तालिका 21.3 उत्तराखण्ड की जनपदवार जनसंख्या

जनपद	कुल जनसंख्या (सं0)			कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत	
	2001	2011	वृद्धि	2001	2011
अल्मोड़ा	630567	622506	-0.13	91.28	89.89
बागेश्वर	249462	259898	0.41	97.19	96.54
चमोली	370359	391605	0.56	86.49	84.69
नैनीताल	762909	954605	2.27	64.74	61.05
चम्पावत	224542	259648	1.46	84.89	85.00
पौड़ी गढ़वाल	697078	687271	-0.14	87.09	86.21
पिथौरागढ़	462289	483439	0.45	87.01	85.71
रुद्रप्रयाग	227439	242285	0.63	99.12	95.87
टिहरी गढ़वाल	604747	618931	0.23	90.08	88.69
उत्तरकाशी	295013	330086	1.13	92.20	92.73
पहाड़ी क्षेत्र	**4524405**	**4850274**	**0.70**	**85.63**	**83.27**
हरिद्वार	762909	954605	2.27	69.18	63.33
देहरादून	1282143	1696694	2.84	47.04	44.49
ऊधम सिंह नगर	1235614	1648902	2.93	67.39	64.40
मैदानी क्षेत्र	**3280666**	**4300201**	**2.74**	**61.46**	**57.56**
उत्तराखण्ड	**8489349**	**10086292**	**1.74**	**74.33**	**69.77**

Source-Census 2001 and 2011

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि राज्य में गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने एवं ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु प्रयास करने आवश्यक हैं, जिस हेतु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के आजीविका एवं रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहें हैं। मुख्य कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है–

केन्द्र पोषित योजनायें

21.1 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission-NRLM)–

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार के स्थान पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन को प्रदेश में 01.04.2013 से आरम्भ किया गया जिसका कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। प्रथम चरण में 10 विकास खण्डों नामतः सहसपुर, डोईवाला, दुगड्डा, यमकेश्वर, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, रामनगर, कोटाबाग, काशीपुर, तथा जसपुर को कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु लिया गया है। आजीविका मिशन (NRLM) के अन्तर्गत स्वरोजगार गतिविधियों जैसे कि ऋण वितरण, महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन, क्षमता विकास एवं संस्थागत निर्माण आदि का कार्यान्वयन प्रस्तावित है। **राज्य में क्रियान्वित सभी योजनाओं के अन्तर्गत कुल 54753 स्वयं सहायता समूह गठित हैं जिनमें से 20299 समूह सक्रिय हैं।**

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए ₹ 2831.84 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित किया है, जिसमें कुल 8000 महिला स्वयं सहायता समूहों सहित कुल 5641 स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। कुल ₹ 3270 लाख ऋण के रूप में प्रदान किए जाने हैं, जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2018 तक कुल 1165 स्वयं सहायता समूहों को कुल ₹ 948.77 लाख का ऋण प्रदान किया गया है। आजीविका मिशन के अन्तर्गत 31.12.2018 तक जिलावार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के अन्तर्गत उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं:–

तालिका–21.5
एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत जिलावार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि

जिला	भौतिक (समूहों का बैंक से जुड़ाव)		वित्तीय (₹ लाखों में)	
	स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य	उपलब्धियां	ऋण का लक्ष्य	ऋण वितरण
देहरादून	412	467	622	213
पौड़ी गढ़वाल	750	839	685	171

चमोली	347	293	512	64
नैनीताल	610	947	434	181
उधमसिंह नगर	1400	1065	924	122
उत्तरकाशी	500	429	390	28
टिहरी	800	881	311	86
रुद्रप्रयाग	200	211	236	69
हरिद्वार	1500	1313	384	24
चम्पावत	326	252	312	32
अल्मोड़ा	410	440	352	89
बागेश्वर	323	97	100	5
पिथौरागढ़	422	444	379	81
कुल योग	**8000**	**7678**	**5641**	**1165**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर, 2018 तक लक्ष्य के सापेक्ष 96 प्रतिशत स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है तथा 20.6 प्रतिशत ऋण वितरण किया गया है।

21.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना– ग्रामीण गरीबों के लिए कौशल एवं नियोजन के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 2016–17 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना का उद्देश्य आवश्यकतानुसार ग्रामीण गरीबों की आय को विविधीकरण के माध्यम से विकसित करना एवं ग्रामीण युवाओं की व्यवसाय हेतु आकांक्षाओं को पूर्ण करना है।

इस योजना के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कुल प्रशिक्षित ग्रामीण गरीब युवाओं के 70 प्रतिशत को सुनिश्चित वैतनिक आश्वस्त रोजगार प्रदान किया जाना है। परियोजना अंतर्गत 5000 ग्रामीण गरीब युवाओं को ब्लड बैंक टैक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेट्री टैक्नीशियन, फूड एण्ड बैवरेज, सेल्स पर्सन (रिटेल), एकाउन्टेन्ट असिस्टेंट तथा टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटेलिटी आदि सहित कुल 23 व्यवसायों में प्रशिक्षित किया जाना है। परियोजना की प्रगति निम्नानुसार है:–

क– कुल स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या – 10
ख– कुल प्रशिक्षणरत युवाओं की संख्या– 783
ग– कुल युवा जिनका प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है–325
घ– कुल लाभान्वित युवाओं की संख्या–1108
च– कुल युवा जिन्हें रोजगार से जोड़ा जा चुका है–124
ङ– कुल युवा जिन्हें वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षित किया जाना है– 2850
झ– कुल युवा जिन्हें वर्तमान वित्तीय वर्ष में रोजगार से जोड़ा जाना है– 1995

21.3 प्रधानमन्त्री आवास योजना/इन्दिरा आवास योजना– भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा 01.04.2016 से इन्दिरा आवास योजना को पुनर्गठित कर **"प्रधानमन्त्री आवास योजना–ग्रामीण"** कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी बेघरों एवं कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को आधारभूत सुविधा युक्त पक्के मकान उपलब्ध करना है।

चालू वित्त वर्ष 2018–19 के लिए योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थी उपलब्ध न होने के कारण ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोई लक्ष्य राज्य को नहीं दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में योजनान्तर्गत गत वर्षों के 6935 निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत फर्जी एवं त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग को रोकने तथा आवास निर्माण की वास्तविक स्थिति की जानकारी हेतु "जियो टैगिंग" की जा रही है, जिसके अन्तर्गत राज्य में कुल 12464 आवासों में जियो टैगिंग की जा चुकी है।

तालिका 21.6 इन्दिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत वर्षवार लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण आवास

क्र0 सं0	वर्ष	लक्ष्य	पूर्ण आवास	व्यय धनराशि (लाख में)
1	2014–15	9118	8759	6261.93
2	2015–16	6417	6094	5288.38
3	2016–17	10861	8711	2593.20
4	2017–18	4915	7666	7050.50
5	2018–19	0	3644	4780.90

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 तथा वर्ष 2015–16 में लक्ष्य के सापेक्ष लगभग सभी आवास पूर्ण किये गए। वर्ष 2016–17 में मात्र 80 प्रतिशत, वर्ष 2017–18 में लक्ष्य 4915 के सापेक्ष 7666 आवास पूर्ण किये गए है, जो 156 प्रतिशत है तथा वर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर, 2018 तक निर्माणाधीन 6935 आवासों के सापेक्ष 3705 आवास पूर्ण किय गए है, जो 53 प्रतिशत है।

21.4 महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guaranty Act- MNREGA)–

ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण परिवारों के पलायन को रोकने हेतु यह एक बहुत

ही महत्वाकांक्षी केन्द्र पोषित योजना है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक पंजीकृत परिवार के सदस्यो को जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हो, को एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने की गारन्टी दी जाती है।

वर्ष 2018–19 के माह दिसम्बर, 2018 तक भारत सरकार द्वारा ₹ 482.83 करोड़ तथा प्रदेश सरकार के राज्यांश हिस्से के रूप में ₹ 42.24 करोड़ अवमुक्त हुआ, जिसके सापेक्ष पूर्ण धनराशि व्यय की जा चुकी है। 11229 परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाकर 149.77 लाख मानव दिवस सृजित किये गए हैं। राज्य में कुल 10.73 लाख परिवारों को **जॉब कार्ड** जारी किये गये जिनमें से सक्रिय जॉब कार्डो की संख्या 7.35 लाख है। उत्तराखण्ड राज्य में **वर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर, 2018 तक प्रति परिवार औसत लगभग 37 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जो राष्ट्रीय औसत (41.94) से कम है।**

तालिका 21.7

मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित मानव दिवस तथा व्यय धनराशि का विवरण

क्र0 सं0	वर्ष	कुल व्यक्ति जिनके द्वारा कार्य की मांग की गयी	कुल व्यक्ति जिन्हें कार्य दिया गया	कुल सृजित मानव दिवस	कुल सृजित मानव दिवस (महिला)
1	2014–15	595465	594944	14734073	7451628
2	2015–16	751698	751140	22394910	11585573
3	2016–17	796236	795756	23680084	12779489
4	2017–18	735423	662630	22304235	12146439
5	2018–19 (माह दिसम्बर, 2018 तक	600840	516361	14609371	7796398

मनरेगा के अन्तर्गत संगन्ध पौधा केन्द्र (CAP) की विभिन्न योजनाओं के साथ वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्राभिसरण किये जाने हेतु CAP द्वारा बहुवर्षीय फसलें यथा– लैमनग्रास, डेमस्क गुलाब, तेजपात तथा तिमूर का 172.04 है0 क्षेत्रफल में 1797 कृषकों हेतु ₹ 163.63 लाख के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2021–22 तक केन्द्राभिसरण किये जाने हेतु बहुवर्षीय फसले यथा– लैमनग्रास, डेमस्क गुलाब, तेजपात तथा तिमूर तथा एक वर्षीय फसलें यथा– जापानीमिन्ट, आर्टिमिशिया एनुवा, कैमोमिल, क्लेरीसेज व भंगीरा का ₹1274.19 लाख का प्रस्ताव तैयार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹ 73.98 लाख व वर्ष 2018–19 में ₹ 43.34 लाख धनराशि व्यय की गयी है।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कॉल सेन्टर की स्थापनाः–

महात्मा गांधी नरेगा प्राविधानों के अनुसार कार्य की मांग के पंजीकरण हेतु विविध माध्यमों का प्राविधान भी आवश्यक है। इसके लिए राज्य स्तर पर मोहिनी रोड, डालनवाला में महात्मा गांधी नरेगा कॉल सेंटर की स्थापना की गयी है, जिसका टोल फ्री नं0 18001803100 है। इसमें मुख्य रूप से विभिन्न जनपदों से तीन प्रकार की कॉल प्राप्त हो रही है:

1. कार्य की मांग
2. शिकायत सम्बन्धी प्रकरण
3. महात्मा गांधी नरेगा सम्बन्धी सामान्य पूछताछ

क– उपरोक्त के अतिरिक्त कार्य की मांग विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर किये जाने के साथ–साथ कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC) एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविकास मिशन के तहत गठित ग्राम संगठन (VO) के द्वारा भी किया जा रहा है।

ख– वित्तीय वर्ष 2017–18 में माह जून, 2017 तक कुल 356 शिकायतें प्राप्त हुई है तथा 121 श्रमिकों द्वारा कार्य की मांग के लिए आवेदन किया गया है।

तालिका 21.8
मनरेगा के अन्तर्गत वर्षवार कराये गये विभिन्न कार्य

क्र0 सं0	वर्ष	सूखा प्रभावित सुधार		बाढ़ नियंत्रण		भूमि सुधार		लघु सिंचाई कार्य	
		पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2015-16	463	566.43	8093	14578.3	4904	7131.6	1831	3271.33
2	2016-17	620	857.57	10984	15131.1	6537	10151.2	2705	4061.8
3	2017-18	1531	1133.53	9987	11817.63	9424	11647.42	3325	4109.41
4	2018-19 (माह दिसम्बर, 2018 तक	1224	274.1	5769	3539.43	7574	4405.09	2531	1967.92

क्र0 सं0	वर्ष	पारम्परिक जल स्रोतो का सुधार		खानों को जोड़ने का कार्य		ग्रामीण स्वच्छता	
		पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)
1	2	11	12	13	14	15	16
1	2015-16	527	676.78	10359	17626.7	3153	382.17
2	2016-17	662	789.56	12196	17127.3	19329	4080.03
3	2017-18	125	1129.56	10499	11931.6	34266	3824.38
4	2018-19 (माह दिसम्बर, 2018 तक	841	342.22	5127	3253.46	7395	625.1

क्र0 सं0	वर्ष	जल संरक्षण एवं सुधार कार्य		व्यक्तिगत भूमि सुधार		अन्य	
		पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹लाख में)
1	2	17	18	19	20	21	22
1	2015-16	2117	2970.61	4718	1371.82	2486	1818.4
2	2016-17	3875	4007.46	11110	4175.91	2748	2490.58
3	2017-18	6404	5163.33	30890	8772.72	1958	827.71
4	2018-19 (माह दिसम्बर, 2018 तक	4212	1570.79	25654	4288.04	466	119.32

तालिका–21.8 के अनुसार मनरेगा अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में 38651, वर्ष 2016–17 में 70766 तथा वर्ष 2017–18 में 109509 कार्य पूर्ण किये गये तथा क्रमशः ₹ 50394.09 लाख, ₹ 62872.51 लाख, ₹ 60357.29 लाख तथा वर्ष 2018–19 (दिसम्बर, 2018 तक) 60,793 कार्य तथा ₹ 20385.47 लाख धनराशि व्यय की गयी। उक्त सभी कार्यो से ग्रामीणों के जीवन यापन, रोजगार सृजन तथा ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन पर होने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है, जो कि वर्तमान में विभाग द्वारा किया जा रहा है।

21.5 प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)– ग्रामीण बसावटों को सम्पर्क मार्ग से संयोजित करने, कृषि आय और लाभदायक रोजगार अवसरों का ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मात्रा में सृजन करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु 25 दिसम्बर 2000 को मैदानी क्षेत्रो में 500 से अधिक की आबादी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी की बसावटों के संयोजन हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आरम्भ किया गया। आरम्भ में यह योजना शत प्रतिशत केन्द्र पोषित थी परन्तु वर्तमान में योजना की निर्माण लागत केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 90:10 के अनुपात में वहन की जाती है।

महिला मंगल दलों के माध्यम से एक अभिनव प्रयोग के रूप में मार्गों के अनुरक्षण का आरम्भ:–

- प्रथम चरण में वर्ष 2016–17 में पौड़ी, चमोली एवं रूद्रप्रयाग जनपदों के अन्तर्गत 57 किमी0 लम्बाई के 9 मार्गों का 14 महिला मंगल दलों द्वारा अनुरक्षण का कार्य किया गया।
- वर्ष 2017–18 में 157 किमी0 लम्बाई की 23 मार्गों का अनुरक्षण कार्य 37 महिला मंगलो द्वारा किया गया।
- उपरोक्त के क्रम में वर्तमान में 196 किमी0 लम्बाई की 29 मार्गों का अनुरक्षण 46 महिला मंगल दलों द्वारा किया जा रहा है। सीमित कार्य अवधि एवं पारम्परिक निर्माण सामग्री की कम उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ग्रीन टेक्नोलॉजी के अन्तर्गत कोल्ड मिक्स, सीमेन्ट स्टेबिलाइजेशन, आर0बी0आई0 81, वेस्ट प्लास्टिक एवं नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी मार्ग निर्माण किया जा रहा है।

नवीन तकनीक के द्वारा वर्ष 2017–18 में कुल 36.38 किमी0 तथा वर्ष 2018–19 में 101.07 किमी0 सहित वर्तमान तक कुल 383.00 किमी0 लम्बाई में मार्ग का निर्माण कराया गया है।

तालिका–21.9
पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत जोड़े गये बसावटों की संख्या

Financial Year	Financial Status (Rs. in Cr.)		Physical Progress					
			Works in Nos.		Length in Km.		Habitations in Nos. (250+)	
	Sanctioned Cost from GoI	Expn.	Sanctioned Works	Completed Works	Sanctioned Length	Constructed Length	Sanctioned	Connected
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000-01	60.33	0.00	68	-	298.96	-	6	
2001-02	135.59	13.78	95	-	465.98	-	108	
2002-03	0.00	14.55	0	37	0.00	110.46	0	
2003-04	0.00	9.95	0	49	0.00	134.76	0	98
2004-05	56.95	79.44	46	22	394.55	89.78	58	
2005-06	104.25	27.05	79	21	590.13	92.61	133	
2006-07	203.20	65.71	101	18	888.31	105.89	167	
2007-08	219.93	96.39	88	67	727.81	565.90	153	72
2008-09	0.00	153.30	0	25	0.00	645.60	0	142
2009-10	363.32	186.80	117	101	1051.03	764.49	156	169
2010-11	245.38	200.73	101	58	711.40	551.88	73	120
2011-12	44.12	198.33	29	79	34.74	639.58	8	70
2012-13	471.36	108.44	126	22	1139.78	474.43	24	24
2013-14	1106.62	298.04	275	37	2296.78	405.16	202	26
2014-15	-	455.85	-	96	-	714.62	-	71
2015-16	-	449.68	-	175	-	1191.00	-	91
2016-17	989.96	451.99	189	127	1664.00	1043.00	211	72
2017-18	1076.49	607.33	219	135	1776.25	1839.11	242	207
2018-19	2165.54	330.42	500	88	3569.85	683.35	209	35
Total	**7243.04**	**3747.78**	**2033**	**1157**	**15609.57**	**10051.62**	**1750**	**1197**

21.6 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन (SPMRM):– यह एक केन्द्र पोषित योजना है, जिसमें ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाये रखते हुए गॉव के चयनित क्लस्टर को **रर्बन गॉव** के रूप में विकसित किया जाना है, अर्थात चयनित क्लस्टर की ग्राम पंचायतों को शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर विकसित करना तथा वहॉ पर सभी शहरी सुविधायें प्रदान करना। योजना के प्रथम चरण में जनपद हरिद्वार के भगतनपुर–आबिदपुर तथा जनपद देहरादून के अदूरवाला क्लस्टर मे कुल ₹ 210 करोड़ का Integrated Cluster Action Plan (ICAP) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। द्वितीय चरण में जनपद टिहरी के धनौल्टी एवं जनपद उत्तरकाशी के डुण्डा कलस्टर की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। साथ ही जनपद टिहरी के धनोल्टी कलस्टर की **ICAP** की स्वीकृति उपरान्त कुल ₹ 5286.35 लाख लागत की डी0पी0आर अनुमोदनोपरान्त कार्य प्रगति पर है।

तृतीय चरण में जनपद उधमसिहंनगर के पहेनिया कलस्टर तथा जनपद बागेश्वर के कौसानी कलस्टर की **ICAP** पर राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से अन्तिम अनुमोदन हेतु प्रेषित की जा चुकी है।

राज्य पोषित योजनायें

21.7 उत्तराखण्ड दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना:– इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2002 के बी0पी0एल0 सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे आवास विहीन/ कच्चे आवासों वाले परिवारों के नये पक्के आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। पहाड़ी क्षेत्र में प्रति आवास लागत ₹ 75,000 तथा मैदानी क्षेत्र में प्रति आवास लागत ₹ 70,000 है।

तालिका 21.10
दीनदयाल ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत गत वर्षो की प्रगति

क्र0 सं0	वर्ष	भौतिक प्रगति (निर्मित आवास)		वित्तीय प्रगति (धनराशि लाख ₹ में)	
		लक्ष्य	पूर्ति	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि
1	2014–15	292	285	352.02	248.10
2	2015–16	293	277	652.35	218.44
3	2016–17	618	110	98.65	63.55

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि मात्र वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 में ही लक्ष्य के सापेक्ष आवासों की पूर्ति की गयी। वर्ष 2016–17 में लक्ष्य के सापेक्ष 17 प्रतिशत आवासों की पूर्ति की गयी तथा वर्ष 2017–18 में गत वर्ष की अवशेष धनराशि मे से ₹ 63.55 लाख धनराशि व्यय कर 110 आवास निर्मित किये गये है।

21.8 मेरा गॉव मेरी सड़क योजना– इस योजना का उद्देश्यराज्य के दुर्गम/अति दुर्गम क्षेत्रों के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ग्रामों को मुख्य सड़कों से जोड़ना है। राज्य के प्रत्येक विकासखण्ड में दो सड़को के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। वर्ष 2014–15 तथा वर्ष 2015–16 में कुल 315.07 किमी0 सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष 215.93 किमी0 सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें कुल 345 सड़कों का निर्माण किया जाना था, जिसके सापेक्ष 271 सड़कें पूर्ण तथा 25 सड़कों का निर्माण प्रगति पर है। वर्ष 2014–15 तथा वर्ष 2015–16 में कुल ₹ 173.07 लाख धनराशि व्यय की गयी है। वर्ष 2018–19 में योजनान्तर्गत कुल अवशेष 75 सडकों में माह दिसम्बर, 2018 तक 48 सडकें पूर्ण की गई तथा 2018–19 हेतु योजनान्तर्गत ₹ 900 लाख राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है, जिसके सापेक्ष 24 सडकों के आंगणन स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किये गये है।

21.9 इन्दिरा अम्मा भोजनालय– समाज के गरीब एवं जरूरतमन्द वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड के प्रत्येक जनपद मुख्यालय में इन्दिरा अम्मा भोजनालय संचालित है। कैन्टीनों का संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों

में ₹ 25.00 प्रति थाली तथा जनपद देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल में ₹ 20.00 प्रति थाली की दर निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 276.61 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2018 तक ₹ 73.68 लाख की धनराशि उपयोग की गयी है तथा 1190587 व्यक्तियों द्वारा इन्दिरा अम्मा भोजनालयों में भोजन किया गया।

21.10 विधायक निधिः– विधायक निधि के अन्तर्गत कुल 71 विधानसभाओं में वर्ष 2018–19 हेतु कुल ₹ 266.25 करोड़ की धनराशि स्वीकृत है, वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवमुक्त धनराशि ₹ 266.25 करोड़ एवं गत अवशेष सहित कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 533.79 करोड़ के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2018 तक कुल ₹ 165.37 करोड़ की धनराशि व्यय कर कुल 9700 कार्य पूर्ण किये गये हैं।

21.11– एकीकृत आजीविका सुधार परियोजना (Integrated Livelihood Support Project-ILSP)

परियोजना वर्ष 2012–13 से वर्ष 2020–21 तक कुल नौ वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत है। परियोजना का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड के अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, नैनीताल, चमोली, रूद्रप्रयाग, टिहरी, पौडी, उत्तरकाशी एवं देहरादून जनपदों के चयनित 44 विकासखण्डों में किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका वृद्धि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में 161 नयी स्वायत्त सहकारिताओ का गठन किया गया है। परियोजना के अंतर्गत सहकारिताओं द्वारा अभी तक कुल ₹ 68.23 करोड़ का व्यवसाय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर 2018 तक 28 नये विकासखण्डों में कुल 2476 गाँवों में 9959 उत्पादक समूहों के माध्यम से 90328 परिवारों को विभिन्न गतिविधियों में सहयोग दिया गया है। परियोजना के अन्तर्गत फैडरेशनो के लिये अभी तक 107 संग्रहण केन्द्रों (Collection Center) एवं साथ ही 557 लघु संग्रहण केन्द्रों (Small Collection Center) का निर्माण किया जा चुका है परियोजना द्वारा दिसम्बर 2018 तक 2861 प्लास्टिक सिंचाई टैंक का निर्माण में आजीविका संठगनों को 90 प्रतिशत वित्तिय सहयोग दिया गया है।

रोजगारपरक व्यावसायिक प्रशिक्षण में दिसम्बर 2018 तक कुल 16036 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 2210 युवा वर्तमान समय में प्रशिक्षण ले रहे हैं। **अब तक कुल 3689 युवाओं को इन प्रशिक्षणों के माध्यम से रोजगार भी प्राप्त हो चुके हैं तथा 4393 युवाओं ने स्वरोजगार अपनाया है।**

सहभागी जलागम विकास के अन्तर्गत सामाजिक संचेतना मद में 190 ग्राम पंचायतों में जल एवं जलागम समिति का गठन कर लिया गया है।

- परियोजना द्वारा 3 प्रभागों नैनीताल, पौड़ी तथा चम्पावत के 7 विकासखण्डों में 22 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों (माइक्रो वाटरशैड) को विकसितकिया जा रहा है। परियोजना के अन्तर्गत 1629 उत्पादक समूह, 219 निर्बल वर्ग समूह तथा 30 आजीविका संगठनों का गठन किया जा चुका है, जिससे 15547 कृषक लाभान्वित हो रहे हैं।

- 50057 क्यू.मी कृषि योग्य भूमि का उपचार, 267883 क्यू.मी. पत्थरों से चेक डाम, कैरेट तार से चेक डाम, गेविन संरचना दीवार, सुरक्षित निपटान एवं ड्रेन मोड़ नाली, सड़क तरफ मृदा कटाव पर नियंत्रण कार्य किया गया।

- 5296 छत जल संचयन टैंक, 50 डोंगी तालाब निर्माण, 313 ग्रामीण प्रवेश हेतु छोटे पुलों का निर्माण एवं 57.62 कि.मी. सिंचाई चैनल निर्माणकर भूमि के सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित की गयी।

परियोजना के सभी घटकों (उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति, परियोजना समिति–जलागम प्रबन्ध निदेशालय तथा उपासक) द्वारा कुल ₹ 868.60 करोड़ के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2018 तक कुल ₹ 505.14 करोड़ व्यय किये गये हैं।

21.14 पंचायती राज

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में 13 जिला पंचायतें, 95 क्षेत्र पंचायतें तथा नगर निकाय के विस्तारीकरण/गठन के फलस्वरूप 7763 ग्राम पंचायतें स्थापित हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधान के अर्न्तगत पंचायती राज संस्थाओं का वर्तमान में 05 वर्ष का कार्यकाल है। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य पंचायतों में आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करना, पंचायतों की आय हेतु आय के साधन जुटाना पंचायत क्षेत्र में शुद्ध पेयजल, पथ प्रकाश, जल निकासी, स्वच्छता आदि की व्यवस्था, जन्म–मृत्यु का शत–प्रतिशत पंजीयन करना एवं अन्य रोजगार सृजन किया जाना है।

तालिका 21.12

राज्य में जनपदवार निर्वाचित प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य एवं ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या

क्र0 सं0	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत/ प्रधान पद	ग्राम पंचायत सदस्य	क्षेत्र पंचायत प्रमुख	क्षेत्र पंचायत सदस्य	जिला पंचायत अध्यक्ष	जिला पंचायत सदस्य
1	उत्तरकाशी	06	496	3073	06	198	1	24
2	टिहरी	09	1034	6150	09	344	1	45
3	पौड़ी	15	1174	8103	15	359	1	38
4	चमोली	09	606	3603	09	250	1	26
5	रूद्रप्रयाग	03	336	2176	03	117	1	18
6	देहरादून	06	400	3130	06	283	1	30
7	ऊधमसिंहनगर	07	364	3987	07	280	1	42
8	नैनीताल	08	479	3449	08	252	1	28
9	अल्मोड़ा	11	1165	6750	11	396	1	48
10	पिथौरागढ़	08	684	4186	08	291	1	32
11	बागेश्वर	03	406	2457	03	115	1	20
12	चम्पावत	04	313	2035	04	134	1	15
13	हरिद्वार	06	306	3706	06	219	1	47
	महायोग	**95**	**7763**	**52805**	**95**	**3238**	**13**	**413**

राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज पदाधिकारियों को दिए जाने वाले मासिक मानदेय संशोधित दरों के अनुसार अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जिला परिषद को क्रमशः ₹ 10,000 तथा ₹ 5,000, प्रमुख व उप प्रमुख क्षेत्र पंचायत को ₹ 6,000 तथा ₹ 1,500 तथा प्रधान व उप–प्रधान ग्राम पंचायत को ₹ 1,500 एवं ₹ 500 मानदेय प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सदस्य जिला पंचायत और सदस्य क्षेत्र पंचायत के मानदेय की संशोधित दरें क्रमशः ₹ 1,000 (प्रति बैठक) तथा ₹ 500 (प्रति बैठक) कर दी गई हैं। पंचायतीराज द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है–

21.14.1 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना– राष्ट्रीय स्वराज योजना वर्ष 2012–13 में प्रारम्भ हुई। पूर्व में यह राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के नाम से संचालित थी। इस योजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। वर्ष 2017–18 में कुल 38815 प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया तथा वर्ष 2018–19 में दिसम्बर 2018 तक कुल 21919 पंचायत प्रतिनिधियों एवं विभागीय/रेखीय विभागों प्रदान किया गया, जिसके अन्तर्गत सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, कैशलैस एवं अन्य ग्राम पंचायत विकास योजनाओं सम्बन्धित विषयों को सम्मिलित किया गया।

21.14.2 राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत धनराशि आवंटन एवं उपयोग– 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 243–झ एवं उत्तराखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2016 की धारा 158 के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन करते हुए राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा पंचायतों को प्रतिवर्ष धनराशि आवंटित की जाती है। जो पंचायतों द्वारा स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप विकास/निर्माण कार्यो पर व्यय की जाती है। वर्ष 2016–17 से वर्ष 2018–19 तक राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर पंचायतों को आवंटित एवं व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:–

तालिका 21.13

राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्षवार आवंटित धनराशि का विवरण

क्र0सं0	वर्ष	ग्राम पचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत को आवंटित धनराशि का विवरण (लाख ₹)	
		कुल आवंटित	कुल व्यय
1	2016–17	22695.10	22695.10
2	2017–18	34118.59	29859.26
3	2018–19 (माह दिसम्बर 2018 तक)	22706.00	10027.00

तालिका– 21.13 के अनुसार स्पष्ट है कि राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में अवमुक्त धनराशि का शत प्रतिशत उपभोग करते हुए स्वच्छता सम्बन्धित 1195, पेयजल सम्बन्धित 1587 तथा 18183 अन्य कार्य पूर्ण किये गये। वर्ष 2017–18 में 88 प्रतिशत धनराशि का उपयोग करते हुये स्वच्छता संबंधी 1914, पेयजल संबंधी 2022, तथा अन्य 4833 कार्य पूर्ण किये गये है। वर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर, 2018 तक स्वच्छता सम्बन्धी 796, पेयजल सम्बन्धी 923 तथा 2762 अन्य कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

21.14.3 चौदहवॉ वित्त– 14 वे वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार धनराशि ग्राम पंचायतों के निवर्तन पर रखी जा रही है जिसे पंचायतों द्वारा स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप, जलापूर्ति, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सैप्टेज प्रबन्धन सहित स्वछता, जल निकासी, सामुदायिक परिसम्पतियों का रखरखाव, सड़को, फुटपाथों, स्ट्रीट लाईट तथा कब्रिस्तानों एवं शमशान घाटों का रखरखाव जैसे–विकास/निर्माण कार्यों पर व्यय किया जाता है। 14वें वित्त में ग्राम पंचायतों प्राप्त एवं उपयोग की गयी धनराशि की स्थिति निम्नानुसार है:–

तालिका–21.14
चौदहवा वित्त आयोग अन्तर्गत अवमुक्त व व्यय धनराशि (लाख ₹) का विवरण

क्र0 सं0	वर्ष	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि
चौदहवॉ वित्त आयोग			
1	2015–16	20326.00	20326.00
2	2016–17	28145.00	28145.00
3	2017–18	32519.00	32519.00
4	2018–19 (माह दिसम्बर 2018 तक)	37619.00	8114.00

तालिका–21.14 से स्पष्ट है कि 14वॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17 तथा वर्ष 2017–18 में अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि व्यय कर लिया गया है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में स्वच्छता सम्बन्धित 1204, पेयजल सम्बन्धित 2368 तथा 24637 अन्य कार्य पूर्ण किये गये। वर्ष 2017–18 में स्वच्छता सम्बन्धी 2335, पेयजल सम्बन्धित 2322 तथा 5351 अन्य कार्य पूर्ण कराये गये हैं। वर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर 2018 तक स्वच्छता संबंधी 1236, पेयजल संबंधी 984 तथा 4002 अन्य कार्य पूर्ण कराये गये है।

21.14.4 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना–पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आलोक में ग्राम पंचायतों को समस्त स्रोतों से प्राप्त संसाधनों के सदुपयोग हेतु **ग्राम पचांयत विकास योजना** का निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसे राज्य सरकार द्वारा डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना नाम दिया गया है। योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिये राज्य, जनपद, विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायतों के क्लस्टर पर पचायत प्रतिनिधियों एवं रेखीय विभागों के कार्मिकों को प्रषिक्षित किया गया है।

- योजनान्तर्गत माह जनवरी, 2018 तक 94 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित तथा 21919 पंचायत प्रतिनिधियों एवं विभागीय/रेखीय विभागों के कर्मियों को क्षमता निर्माण हेतु रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया गया।
- **सबकी योजना सबका विकास** के तहत सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु सितम्बर, 2018 में राज्य स्तर पर 150 प्रतिभागियों को मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण तथा जिला स्तर पर 770 रेखीय विभागों के अधिकारियों/ विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण दिया गया। ।
- पंचायत प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों का अध्ययन भ्रमण में अन्य राज्यों के भ्रमण के क्रम में माह मई–जून, 2017 में 21 जनप्रतिनिधियों का अध्ययन दल हिमाचल प्रदेश एवं 21 प्रतिनिधियों का दल तमिलनाडू के शैक्षणिक भ्रमण, जबकि उत्तराखण्ड की मॉडल पंचायतों के अध्ययन हेतु माह जून, 2017 में 6 अध्ययन दल बनाकर 150 जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों तथा जनवरी, 2018 में 04 भ्रमण दल बनाकर 217 जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रशिक्षण के अन्तर्गत अब तक 1120 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया गया, जबकि जनपद स्तरीय प्रशिक्षणों में 1168 प्रतिभागियों एवं विकास खण्ड स्तरीय प्रशिक्षणों में 6500 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- पॉच जनपदों में जनपद स्तरीय रिसोर्स सेंटर स्वीकृत हैं, जिसमें उत्तरकाशी व चम्पावत के रिसोर्स सेंटर का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, जबकि तीन जनपदों क्रमशः टिहरी, रूद्रप्रयाग व बागेश्वर में जनपद स्तरीय रिसोर्स सेंटर निर्माण की कार्यवाही गतिमान है। साथ ही देहरादून में राज्य स्तरीय रिसोर्स सेंटर (ऐक्सटेंशन सेंटर) के निर्माण की

कार्यवाही भी गतिमान है। 29 विकास खण्डों में ब्लॉक स्तरीय रिसोर्स सेंटर का निर्माण, 43 पंचायत भवनों का निर्माण तथा 265 पंचायत भवनों की मरम्मत का कार्य पूर्ण किया गया है।

➢ डॉ0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु वर्ष 2017–18 में सभी 7954 ग्राम पंचायतों में खुली बैठकों के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजनाऐं निर्मित एवं 7949 योजनाऐं प्लान प्लस पर अपलोड की जा चुकी हैं जबकि वर्ष 2018–19 में 7954 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष ग्राम सभा की कुल 7950 बैठकें आहूत करते हुए 7602 प्लान अनुमोदित तथा 6325 ग्राम पंचायत विकास योजनाऐं प्लान प्लस पर अपलोड की जा चुकी हैं।

➢ **सबकी योजना सबका विकास**– महात्मा गॉधी की 150वी वर्षगॉठ के उपलक्ष्य में पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में *"सबकी योजना सबका विकास"* अभियान (People's Plan Campaign) के अन्तर्गत ग्राम सभाओ के आयोजन के माध्यम से दिनॉक 02.10.2018 से दिनॉक 31.12. 2018 तक वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु सहभागितापूर्ण ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण किया गया है। दिनॉक 31 दिसम्बर 2018 तक राज्य की 7760 ग्राम पंचायतों में से 7319 ग्राम पंचायतों मे ग्राम पंचायत विकास योजना ग्राम सभा में अनुमोदित की जा चुकी है। इस हेतु एन0आई0सी0 दिल्ली एवं पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जी0पी0डी0पी0 पोर्टल – **http:// gpdp. nic.in** निर्मित किया गया है।

21.14.5 ई–पंचायत– त्रिस्तरीय पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं जनसामान्य को इसकी जानकारी सुलभ कराने के लिए पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई–पंचायत के अन्तर्गत 11 एप्लीकेशन्स तैयार किये गये हैं, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायतों की विभिन्न योजनाओं के लेखा/व्यय तथा पंचायतों से सम्बन्धित अन्य जानकारी/क्रियाकलाप ऑनलाईन अपलोड किये जा रहे हैं। उत्तराखण्ड में 08 Software क्रमशः लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी (LGD), प्लान प्लस, एक्शनसॉफ्ट, प्रिआसॉफ्ट, नेशनल असेट डायरेक्टरी (NAD), राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल (NPP), ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल (TMP) तथा एरिया प्रोफाईलर लागू किये जा चुके हैं।

21.14.6 राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार– यह योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 से प्रारम्भ की गयी थी। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा यह योजना नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के नाम से संचालित है। पंचायतीराज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित करने, सामाजिक सुधार के कार्य करने एवं उल्लेखनीय कार्य करने हेतु प्रतिवर्ष एक ग्राम सभा चयनित कर राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। ग्राम सभा का चयन एक निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर भारत सरकार द्वारा किया जाता है। वर्ष 2011–12 से अभी तक 7 ग्राम सभाओं को पुरस्कृत किया गया है।

21.14.7 पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना– पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंचायतों को सशक्त एवं उत्तरदायी बनाने हेतु यह योजना वर्ष 2011–12 से पंचायत सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन योजना के रूप में प्रारम्भ की गयी है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा यह योजना दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के नाम से संचालित है। योजनारम्भ से अभी तक 7 जिला पंचायतों, 14 क्षेत्र पंचायतों तथा 26 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। विषय आधारित श्रेणियों में 09 विषय सम्मिलित है– 1. स्वच्छता, 2. नागरिक सेवायें यथा पेयजल, स्ट्रीट लाईट, आधारभूत संरचना, 3. प्राकृतिक संसाधनों को प्रबन्धन, 4 हाशिये पर रहने वाले वर्गो (महिलाऐं अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक) के लिए कार्य, 5. सामाजिक सेक्टर मे कार्य उपलब्धी, 6. आपदा प्रबन्धन, 7. समुदाय आधारित संगठन (CBOs)/ व्यक्तियों द्वारा पंचायतों को समर्थन देने के लिए स्वैच्छिक कार्यवाही, 8 राजस्व वृद्वि/सृजन में नवाचार, 9. ई–गवर्नेंस।

21.14.8 जी0पी0डी0पी0 पुरूस्कार– पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 से ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार प्रारम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत पूरे भारत वर्ष में 03 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जी0पी0डी0पी0 निर्माण में नवाचार हेतु नामांकन किया जाता है। नामांकन में राज्य की जी0पी0डी0पी0 दिशा–निर्देश के अनुरूप ग्राम पंचायत के द्वारा उत्कृष्ट जी0पी0डी0पी0 निर्माण के लिए चयन किया जाता है।

21.14.9 ई– पंचायत पुरस्कार– इस पुरस्कार में राज्य को ई–पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत पंचायत एन्टर प्राईज सूट (पी0ई0एस0) एप्लीकेशन के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए चिन्हित किया

जाता है। इसके अन्तर्गत 03 श्रेणीयों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

21.14.10 स्थानीय निकायों का स्थायी पूंजी निर्माण में योगदानः– राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थानीय निकायों द्वारा किया गया वर्षवार योगदान (यथा रास्ता निर्माण, यात्री शेड निर्माण, बारातघर निर्माण, जलापूर्ति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य में व्यय) निम्नानुसार है–

तालिका 21.15
स्थानीय निकायों का स्थायी पूंजी निर्माण में योगदान (वर्ष 2011–12 से वर्ष 2016–17)
(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0सं0	वर्ष	निर्माण कार्य	जलापूर्ति	अन्य सेवायें			लोक प्रशासन
				शिक्षा	स्वास्थ्य	स्वच्छता	
1	2011–12	20481.97	1328.20	260.48	48.07	316.83	7671.46
2	2012–13	14522.68	1148.25	25.76	26.68	373.38	8213.31
3	2013–14	17743.93	860.87	16.72	6.33	202.40	5650.70
4	2014–15	36519.49	2102.95	24.76	20.85	464.78	11842.63
5	2015–16	23725.84	1932.50	4.66	2.79	443.58	9009.24
6	2016–17	29866.43	2520.15	31.90	–	3323.78	10578.56

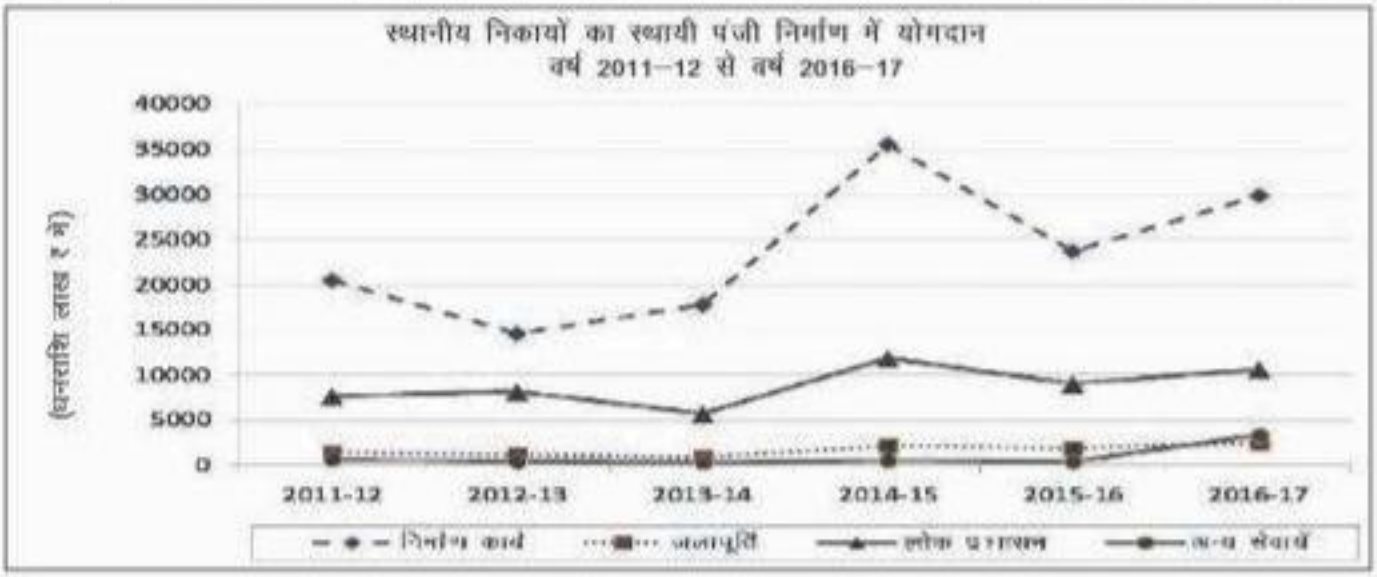

उपरोक्त से स्पष्ट है कि गत 5 वर्षों में स्थानीय निकायों द्वारा किये जा रहे व्यय में सर्वाधिक धनराशि निर्माण कार्य में व्यय की जा रही है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यय की गयी धनराशि का प्रतिशत अत्यन्त न्यून है।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति– ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों की सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए **"स्वच्छ गॉव समृद्ध गॉव"** के उददेश्य की प्राप्ति की जा सकती है। उत्तराखण्ड राज्य द्वारा पंचायतों मे ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु **पंचायतों के लिए उत्तराखण्ड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति–2017** प्रख्यापित की गयी है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति के तहत 08 ग्राम पंचायतों के भोगपुर क्लस्टर, विकास खण्ड डोईवाला, जनपद देहरादून में इण्डस इण्ड बैंक के साथ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

सम्पूर्ण प्रदेश में उत्तराखण्ड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति को लागू करते हुए अपषिष्ट प्रबन्धन का कार्य कार्य चरणबद्ध रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सभी पंचायत प्रतिनिधियों/पंचायत कार्मिकों को मास्टर ट्रेनर के माध्यम से विकास खण्ड/जनपद मुख्यालय/राज्य मुख्यालय पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

अध्याय– 22
शहरी विकास एवं आवास
Urban Development & Housing

22.1– सामान्य विवरण

राज्य सरकार द्वारा **"सतत विकास लक्ष्य 2030"** के अर्न्तगत शहरी विकास के कार्यक्रमों की पूर्ति हेतु "सतत विकास लक्ष्य सं0 11, जिसका लक्ष्य शहरों एवं मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित एवं टिकाऊ बनाने को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है। शहरी क्षेत्रों में अवसंरचना विकास हेतु नगरीय क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार, पार्कों की स्थापना, शौचालयों का निर्माण, विभिन्न आय वर्ग के लोगों के लिये आवास की सुविधा उपलब्ध कराना, रैन बसेरा का निर्माण, स्वच्छ भारत अभियान एवं स्मार्ट सिटी योजना जैसे कार्यक्रम सम्मिलित है।

वर्तमान में राज्य के स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण/ विनियमित क्षेत्रों की स्थिति निम्नानुसार है:

तालिकाः– 22.1

क्र. सं.	मद	वर्ष 2001	वर्ष 2011	2018/वर्तमान
1	शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	63	72	92
1.1	नगर निगम (संख्या)	01	06	06
1.2	नगर पालिका परिशद (संख्या)	31	28	41
1.3	नगर पंचायत (संख्या)	31	38	43
2	कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	21.72	26.55	26.58
3	विकास प्राधिकरणों की संख्या	05	05	14
4	विनियमित क्षेत्रों की संख्या	21	21	शून्य (जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण घोषित होने के कारण विनियमित क्षेत्र समाप्त हो गये।)
5	अन्य आवास एवं विकास परिषद आदि की संख्या	01	01	01

स्थानीय नगर निकायों/सेंसस टाउन में जनसंख्या की संचयी वार्षिक दर (CAGR)

तालिकाः– 22.2

शहरी : आधारभूत सांख्यिकी		
वर्ष	जनसंख्या	स्थानीय निकाय तथा सेंसस टाउन की संख्या (जनगणना के आधार पर)
2001 (जनगणना 2001 के अनुसार)	21.79 लाख (25.70%)	83
2011 (जनगणना 2011 के अनुसार)	30.49 लाख (30.60%)	86

जनगणना 2011 के आधार पर स्थानीय नगर निकायों तथा सेंसस टाउन में जनसंख्या की संचयी वार्षिक दर 3.42 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की संचयी वार्षिक दर मात्र 1.10 प्रतिशत है जिसका मुख्य कारण जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ता रूझान है।

शहरी अवस्थापना सुविधाओं पर बढ़ता दबाव

- जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार गत दस वर्षो में विभिन्न क्षेत्रों से पलायन कर कुल 17.10 लाख व्यक्ति राज्य के शहरी क्षेत्रों में आये।
- वर्ष 2016–17 में प्रदेश में कुल 347.23 लाख पर्यटकों द्वारा पर्यटन हेतु भ्रमण किया गया जो कि प्रदेश की **कुल जनसंख्या का तीन गुने से भी अधिक** है।

इतने अधिक जनसंख्या के प्रवाह को अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में केन्द्र पोषित, राज्य पोषित एवं वाह्य सहायतित योजनाये गतिमान हैं। इसके अतिरिक्त वाह्य सहायतित योजना के अन्तर्गत डेवलपमेन्ट ऑफ स्मार्ट अरबन क्लैस्टर प्रोजेक्ट (DSUCP) के तैयार किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

वर्तमान में राज्य में 8 नगर निगम, 41 नगर पालिका परिषद और 43 नगर पंचायतों सहित कुल 92 शहरी स्थानीय नगर निकाय हैं। राज्य के शहरी क्षेत्रों में मूलभूल सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹ 57940.11 लाख धनराशि प्राविधान की गई है और दिसम्बर, 2018 तक ₹ 13258.50 लाख का व्यय हुआ। स्थानीय नगर निकायों के आय–व्यय का वर्गीकरण निम्नलिखित है:–

स्थानीय नगर निकायों के आय–व्यय का वर्गीकरण

तालिकाः– 22.3

धनराशि लाख ₹ में

क्रम सं0	वर्ष	आय		व्यय
		स्वयं के स्त्रोत से	राज्य/केन्द्र से प्राप्त	
1	2015-16	6721.51	55268.95	41714.68
2	2016-17	8109.19	40301.18	44478.18
3	2017-18	11350.70	89256.57	98025.00
4	2018-19 प्रस्तावित	12700.00	95000.00	102950.00

तालिका 22.3 एवं चार्ट 22.4 से स्पष्ट है:–

- स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा व्यय के सापेक्ष स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय नाम मात्र है (वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 (प्रस्तावित) हेतु क्रमशः 18%, 11% एवं 11%)।
- गत 6 वर्षों में स्थानीय नगरीय निकायों में स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय वर्ष 2011–12 से वर्ष 2017–18 तक स्थिर हैं जबकि राज्य/केन्द्र से प्राप्त धनराशि में वृद्धि दर्ज की गयी है।
- वर्ष 2013–14 से वर्ष 2017–18 तक स्वयं के स्रोतों से आये गत वर्षों से अपेक्षाकृत काफी कम है।

उक्त परिपेक्ष्य में स्थानीय नगर निकायों के अपने स्रोतों से भी भविष्य में आय बढ़ाने हेतु विचार किया जाना आवश्यक है।

अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष उत्तराखण्ड के नगरीय निकायों के लेखा का विवरण प्राप्त कर विश्लेषण किया जाता है। जिसके आधार पर उत्तराखण्ड राज्य की वर्ष 2016–17 में कुल आय (चालू एवं पूँजीगत हेतु प्राप्ति सम्मल्लित) के सापेक्ष कुल व्यय (चालू एवं पूँजीगत व्यय सम्मल्लित) का प्रतिशत 89.68 है। चार्ट 22.5 के माध्यम से जनपदवार उक्त विश्लेषण को दर्शाया गया है।

ग्राफ के माध्यम से स्पष्ट है कि जनपद देहरादून मे आय के सापेक्ष कुल व्यय का प्रतिशत 115.46 है जो कि सबसे अधिकतम है तथा जनपद हरिद्वार मे आय के सापेक्ष कुल व्यय का प्रतिशत मात्र 56.48 है जो कि सबसे कम है। व्यय में पूंजीगत व्यय सम्मल्लित होने के कारण कतिपय जनपदों में 100 प्रतिशत से अधिक व्यय दृष्टिगत है।

चार्ट 22.6 में जनपदवार पूंजी निर्माण पर व्यय दर्शाया गया है। वर्ष 2016–17 में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा सकल पूँजी निर्माण पर ₹ 23895.65 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

चार्ट 22.6 नगरीय स्थानीय निकायों पर वर्ष 2016–17 में सकल पुंजी निर्माण पर व्यय (लाख ₹ में)

जनपदवार विश्लेषण में इंगित है कि जनपद बागेश्वर में पूँजी निर्माण पर व्यय सबसे कम तथा जनपद देहरादून में सबसे अधिक है।

स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन–2018:– वर्तमान में राज्य में 08 नगर निगम, 41 नगर पालिका परिषदें एवं 43 नगर पंचायतें विद्यमान हैं। माह नवम्बर में 84 निकायों में सामान्य निर्वाचन सम्पन्न कराये गये हैं। स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन–2018 से पूर्व वर्ष 2018 में 39 स्थानीय निकायों का सीमा–विस्तार किया गया है। 84 नगर निकायों में कुल 1063 कक्षों का परिसीमन /आरक्षण निर्धारित किया गया है। इसके पश्चात 07 नगर निगमों के मेयरों के पदों का आरक्षण किया गया है। इसी प्रकार 38 नगर पालिका परिषदों एवं 39 नगर पंचायतों के अध्यक्षों के पदों का आरक्षण निर्धारित किया गया है। वर्तमान में 05 निकायों में सामान्य निर्वाचन कराये जाने की कार्यवाही गतिमान है तथा 03 नगर निकायें (बद्रीनाथ, केदारनाथ एवं गंगोत्री) में स्थानीय निकाय सामान्य–निर्वाचन नहीं कराये जाते हैं।

सतत विकास लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए शहरी विकास हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है:–

केन्द्र सहायतित योजना

केन्द्र सहायतित योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में ₹ 51260.00 लाख धनराशि स्वीकृत की गई है और दिसम्बर, 2018 तक तक ₹ 11552.63 लाख धनराशि उपयोग में लाई गयी है। केन्द्र सहायतित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:–

22.2– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (National Urban Livelihoods Mission, NULM) योजना का उद्देश्य :–

- शहरी क्षेत्र में रह रहे गरीब परिवारों का सामाजिक व आर्थिक क्षमता विकास करते हुये प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
- शहरी निराश्रितों को सुसज्जित एंव आवश्यक सेवाओं से युक्त आश्रय उपलब्ध कराना।
- शहरी पथ विक्रेताओं की आजीविका हेतु उन्हें उपयुक्त स्थान, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल उपलब्ध कराना।

मिशन के प्रमुख घटक

- **सामाजिक संगठन एवं संस्था विकास के** अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में 300 लक्ष्य के सापेक्ष 136 महिला स्वयं सहायता समूहों व 02 क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन एवं ₹ 3.10 लाख की आवर्ती निधि अद्यतन निर्गत की गयी तथा 1136 महिलाओ का आजीविका संवर्द्धन।
- **स्व–रोजगार कार्यक्रम** अन्तर्गत 611 लाभार्थियों को ₹ 773.41 लाख के ऋण की स्वीकृति की गयी।
- **शहरी पथ विक्रेताओं हेतु सहायता** के अन्तर्गत 21072 स्ट्रीट वेण्डर चिन्हित एवं 5238 स्ट्रीट वेण्डर को पहचान पत्र वितरित वितरित किये गये है, जिसके फलस्वरूप 21072 स्ट्रीट वेण्डरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुये रोजगार में संवर्द्धन किया गया है।
- **कौशल विकास एवं प्लेसमेन्ट द्वारा रोजगार के** अन्तर्गत 11000 लक्ष्य। प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण तथा निकायों में लाभार्थियों की कॉउन्सिलिंग प्रारम्भ।
- वर्ष 2018–19 में ₹ 1650.00 लाख का बजट में प्रावधान है जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2018 तक ₹ 511.56 लाख का व्यय हुआ है।

22.3– बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पुअर (BSUP):– योजना का लक्ष्य चयनित 03 मिशन शहरों देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार में स्लमवासियों को समुचित आश्रय तथा बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं जैसे:–बेहतर आवास, जलापूर्ति, सफाई सुविधा आदि उपलब्ध कराते हुए स्वस्थ्य एवं अनुकूल शहरी पर्यावरण उपलब्ध कराना था, यह योजन वर्ष 2017 में पूर्ण हो चुकी है तथा भारत सरकार द्वारा यह योजना समाप्त की जा चुकी है।

22.4 नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण (URBAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FOR SMALL & MEDIUM

TOWNS):– यह योजना राज्य के हल्द्वानी, मुनिकीरेती, नरेन्द्रनगर, नन्दप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, उत्तरकाशी, बडकोट, पुरोला, रूद्रप्रयाग, गोपेश्वर, मंगलौर व मसूरी नगर निकायों में कार्यान्वित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और सड़कों का निर्माण व सुदृढ़ीकरण, पुरातत्व क्षेत्रों आदि के विकास हेतु कुल ₹ 192.48 करोड़ की 14 परियोजनायें स्वीकृत है।

- परियोजना के अन्तर्गत मसूरी में 01 सीवरेज परियोजना लागत ₹ 61.73 करोड़, मंगलौर में पेयजल योजना लागत ₹ 35.86 करोड़, नगर निगम, हल्द्वानी में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन लागत रू0 34.88 करोड़ तथा 10 निकायों में सड़क व जल निकासी की योजना हेतु ₹ 43.36 करोड़ का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह योजन वर्तमान मे समाप्त हो गई है।

22.5 आवास एवं मलिन बस्ती सुधार योजना राज्य के मिशन शहरों को छोड़कर अन्य सभी शहरों/कस्बों के लिये लागू की गई है। भारत सरकार द्वारा 19 नॉन मिशन शहरों के लिए मिशन अवधि 2005–12 के मध्य कुल लागत 21 परियोजनायें स्वीकृत है। योजना के अन्तर्गत 3298 मकानों का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 3298 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा योजन समाप्त हो गई है।

22.6–स्वच्छ भारत मिशनः– स्वच्छ भारत मिशन 02 अक्टूबर 2014 को लागू की गयी, जिसका **मुख्य उद्देश्य** निम्नलिखित है:–

- "खुले में शौच" की प्रवृत्ति का उन्मूलन।
- मैला ढोने की प्रवृत्ति का उन्मूलन।
- आधुनिक और वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन।
- स्वच्छता से सम्बन्धित जन व्यवहार में परिवर्तन।
- स्वच्छता के प्रति तथा स्वच्छता के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता।

मिशन के प्रमुख घटक निम्नलिखित है:–

- व्यक्तिगत घरेलु शौचालय निर्माण।
- सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों एंव यूरिनल का निर्माण।
- बज्ञानिक ठास अपशिष्ट प्रबन्धन।
- सूचना शिक्षा एवं संचार (आई0ई0सी0) एवं जनजागरूकता।

प्रति यूनिट शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशिः– भारत सरकार द्वारा ₹ 10800.00 तथा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम् ₹ 1200.00 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि (₹ में) भारत सरकार द्वारा ₹ 39200.00 तथा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम् ₹ 58800.00।

1–**व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के** कुल लक्ष्य 27640 के सापेक्ष 14623 शौचालय पूर्ण निर्मित तथा 10327 शौचालय निर्माणाधीन है।

2–**सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय** के कुल लक्ष्य 2000 के सापेक्ष 645 सीट के सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय पूर्ण निर्मित तथा 341 सीट के सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय निर्माणाधीन है।

3–**सार्वजनिक मूत्रालय के** कुल लक्ष्य 1000 के सापेक्ष 65 सीट के सार्वजनिक मूत्रालय पूर्ण निर्मित तथा 185 सार्वजनिक मूत्रालय निर्माणाधीन है।

4–**ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन** (Solid waste management)

- Support to the National Urban Sanitation Policy (SNUSP) के अन्तर्गत GIZ के तकनीकी सहयोग से राज्य के 14 कलस्टरों (24 निकायों) के Liquid & Solid Waste Management हेतु City Sanitation Plan (CSP) निर्मित की जा चुकी है।
- कुल 936 वार्डों में से 873 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण का कार्य प्रारम्भ जिसमें 09 कैन्ट बोर्ड सम्मिलित है।
- 13 नगरों (मुनि–की–रेती, डोईवाला, कोटद्वार, चमोली–गोपेश्वर, रूद्रप्रयाग, लालकुआं, शिवालिक नगर, झबरेड़ा, गौचर, बड़कोट, चम्बा, जोशीमठ, कर्णप्रयाग) में कम्पोस्ट बनाने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।
- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की ₹ 17.44 करोड़ की 11 डी0पी0आर0 पर अनुमोदन प्राप्त हो चुका है तथा 13 डी0पी0आर0 पर Technical Appraisal का कार्य गतिमान है।
- नीति आयोग के तकनीकी सहयोग से रूड़की क्लस्टर जिस में मंगलौर, भगवानपुर, झबरेडा, पिरान कलियर निकाय सम्मिलित है के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

• वर्ष 2018–19 में ₹ 7000.00 लाख का बजट में प्रावधान है जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2018 तक ₹ 386.63 लाख का व्यय हुआ है।

22.7–अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (Atal Mission For Rejuvenation and Urban Transformation, AMRUT):-

सरकार द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के स्थान पर उक्त अमृत योजना प्रारम्भ की गयी है, जो 6 नगर निगमों (देहरादून, हरिद्वार, रूड़की, हल्द्वानी–काठगोदाम, काशीपुर, रूद्रपुर तथा नैनीताल) में संचालित की जा रही है।

अमृत योजना के मुख्य उद्देश्य एवं वर्तमान स्थितिः–

• प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति व सीवरेज कनैक्शन सहित नल सुलभ कराना।

• हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि करना।

• वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2018 तक ₹ 15500.00 लाख धनराषि स्वीकृत के सापेक्ष ₹ 409.20 लाख व्यय किया गया।

• योजनान्तर्गत जलापूर्ति में लक्ष्य 37 के सापेक्ष 8 पूर्ण एवं 14 योजनायें पर कार्य प्रगति पर है।

• सीवरेज में लक्ष्य 42 के सापेक्ष 8 योजनायें पूर्ण एवं 19 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

• ड्रेनेज में लक्ष्य 7 योजनाओं के सापेक्ष 2 योजनायें पूर्ण।

• Green Space में पार्क की कुल 41 योजनाओं के सापेक्ष 6 पूर्ण एवं 23 योजनाओं पर योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

रुपये 67.33 करोड़ की 07 योजना पर काम जल्द ही शुरू होने जा रहे हैं।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अवशेष निर्माणाधीन कार्यः–

• भारत सरकार द्वारा कुल लागत ₹ 419.13 करोड़ की 14 परियोजनायें स्वीकृत है, जिनके अन्तर्गत देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल में ₹ 146.31 करोड़ की पेयजल योजना, ₹ 165.14 करोड़ की सीवरेज योजना व ₹ 50.63 करोड़ की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना क्रियान्वित की जा रही है।

• परियोजना के अन्तर्गत देहरादून पेयजल योजना का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

पूर्ण हो चुके कार्यो के भुगतान हेतु वर्ष 2018–19 में ₹ 630.00 लाख का बजट में प्रावधान है, जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2018 तक ₹ 462.62 लाख का व्यय हुआ है।

22.8– प्रधानमंत्री आवास योजनाः– प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 2022 तक प्रत्येक नागरिक को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के मिशन घटक एवं अनुमन्यता निम्नलिखित है–

1. निजी भागीदारी के द्वारा संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करते हुए विद्यमान मलिन बस्तियों का इन–सिटू पुनर्विकास– प्रति आवास ₹ 1.00 लाख का केन्द्रीय अनुदान दिया जाना है।

2. Credit Linked Subsidy के माध्यम से EWS (30 वर्ग मी0 आवास) तथा LIG (60 वर्ग मी0 आवास) हेतु किफायती आवास के अर्न्तगत ₹ 6.00 लाख तक के ऋण पर 15 वर्षो तक 6.5 की दर से ब्याज अनुदान दिया जाना है।

3. निजी/सार्वजनिक क्षेत्र तथा पैरास्टेटल एजेंसियों की भागीदारी में किफायती आवास (Afordable Housing in Partnership)- प्रति EWS आवास निर्माण हेतु ₹ 1.50 लाख की केन्द्रीय सहायता उन परियोजनाओं हेतु जहाँ 35 आवास EWS श्रेणी हेतु आरक्षित हो।

4. योजना अन्तर्गत लाभार्थी आधारित घटक अन्तर्गत 77 परियोजनाओं में 12745 आवास स्वीकृत किये गये जिनमें से 5753 आवासों पर कार्य प्रगति पर है व 153 आवास पूर्ण कर लिए गये है। भागीदारी में किफायती आवास घटक अंतर्गत 06 परियोजनायें 3972 आवासो की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है। जिनमें से 240 आवासों पर कार्य प्रगति पर है व 224 आवास पूर्ण कर लिए गये है।

5. राज्य में 92 निकायो में आवास माँग सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है जिसमें कुल आवास माँग 124236 है।

6. वर्तमान में बी०एल०सी० घटक के अंतर्गत कुल 20990 माँग प्राप्त है जिसमें से 12745 आवासों को भारत सरकार से स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

7. वर्ष 2018–19 में ₹ 9500.00 लाख का बजट में प्रावधान है दिसम्बर, 2018 तक ₹ 6482.52 लाख का व्यय हुआ।

22.9–स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत देहरादून नगर का चयन किया गया है। परियोजना के अर्न्तगत देहरादून नगर के चयनित वार्डो के सम्पूर्ण विकास के लिए ₹ 1000.00 करोड़ प्राविधानित है, जिसमें 50 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा वर्तमान मे परियोजना के अर्न्तगत इन्ट्रीग्रेटेड कमान्ड कन्ट्रोल सेन्टर जो शहर की विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे कूड़ा प्रबन्धन, यातायात, स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करेगा, के स्थापित करने की कार्यवाही गतिमान है, जिसके उपरान्त केन्द्र स्थापित हो जायेगा। वर्ष 2018–19 में ₹ 16000.00 लाख का बजट में प्रावधान है, ₹ 3300.00 लाख अवमुक्त किया गया ।

बाह्य सहायतित योजना

22.10– नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

इस परियोजनान्तर्गत नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रूड़की व रामनगर में सीवरेज व पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यों से वहां के लोगों को बेहतर पेयजल व ड्रेनेज की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरों में जलापूर्ति एवं सीवरेज सुविधाओं के लिये वृहद् नियोजन किया गया है। परियोजनान्तर्गत ₹ 1498.21 करोड़ की परियोजनायें स्वीकृत करायी गयी हैं जिसके सापेक्ष रू0 781.81 करोड़ का व्यय हो चुका है।

वर्ष 2018–19 में रू0 1500.00 लाख का बजट में प्रावधान है जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2018 तक ₹ 1500.00 लाख का व्यय हुआ। योजनान्तर्गत विभिन्न शहरों में स्थिति निम्नानुसार है:–

देहरादून

68 एम0एल0डी0 सीवरेज शोधन संयत्र का निर्माण पूर्ण, 126 कि0मी0 सीवर लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण किया गया।

पुरूकुल ग्राम में 15 एम0एल0डी0 जल शोधन संयत्र का निर्माण एवं कमिशनिंग, शहंशाही में 14 एम0एल0डी0 जल शोधन संयत्र का पुर्नस्थापन, दिलाराम में 7.5 एम0एल0डी0 जल शोधन संयत्र का निर्माण एवं 20 एम0एल0डी0 जल शोधन संयत्र का पुर्नस्थापन। बांदल नदी पर कंक्रीट वियर का निर्माण, को पूर्ण, लगभग 7500 घरों में जलापूर्ति पाईप लाईन का संयोजन।

रूड़की

रूड़की शहर में 196 कि0मी0 लम्बी जलापूर्ति पाईप लाईन के बिछाने का कार्य, एवं कमिशनिंग का कार्य पूर्ण, लगभग 17000 घरों में जलापूर्ति पाईप लाईन का संयोजन 80 कि0मी0 सीवर लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 33 एम.एल.डी. सीवर शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है।

रामनगर

11 एम0एल0डी0 जल शोधन संयत्र का निर्माण, 4 उर्ध्व जलाशयों का निर्माण, 57.3 कि0मी0 लम्बी जलापूर्ति पाईप लाईन बिछाने का कार्य, 7862 घरों में जलापूर्ति पाईप लाईन का संयोजन।

हल्द्वानी

16 उर्ध्व जलाशयों एवं 1 भूमिगत जलाशय का निर्माण, 10.6 कि0मी0 राईजिंग मेन पाईप लाईन के बिछाने का कार्य, 2 नये पम्प हाऊस का निर्माण एवं 1 पम्प हाऊस का पुर्नस्थापन।

नैनीताल

46 पम्पिंग उपकरणें का प्रतिस्थापन एवं 4 नलकूपों का निर्माण। 107 कि0मी0 जल वितरण तंत्र का निर्माण। 10 स्टील एवं 10 आर0सी0सी0 जलाशयों का निर्माण। 5 ट्रान्सफॉर्मरों का स्थापन एवं कमिषनिंग। 4 नये पम्प हाऊसों का निर्माण कार्य। 2 नये सम्प टैंको का निर्माण। 1 वाटर साफ्टनिंग प्लांट का निर्माण। 6000 ए.एम.आर. वाटर मीटर लगाये गये है।

राज्य वित्त पोषित योजनायें

राज्य योजना के अर्न्तगत वर्ष 2018–19 में ₹ 5180.11 लाख रू0 धनराशि प्राविधानित की गई है दिसम्बर, 2018 तक ₹ 205.87 लाख धनराशि उपयोग में लाई गयी है। राज्य सैक्टर द्वारा संचालित योजनाओं पर किये गये व्यय का विवरण:–

22.11–उत्तरांचल शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि (Urban Reform Incentive Fund , UA - URIF) :– इस योजना में दीनदयाल उपाध्याय शहरी पुरस्कार योजना के अन्तर्गत स्वच्छता के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा श्रेष्ठतम स्थानीय निकायों को प्रत्येक

वर्ष अवस्थापना स्थापित करने हेतु पुरस्कृत किया जाता वर्ष 2018–19 में ₹ 50.00 लाख का बजट में प्रावधान है, धनराशि अवमक्त कि जानी है।

22.12–**नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास** (Urban Infrastructure Development)- इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय निकायों की सीमान्तर्गत मूल–भूत नागरिक सुविधायें यथा–ड्रैनेज व्यवस्था, सड़क, गलियों, नालियों का निर्माण/सुधार विषयक परियोजनाए आदि हेतु नगर निकायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। नवगठित हो रही नगर निकायों को निकाय के गठन, कार्यालय स्थापना तथा अन्य विकास कार्यो हेतु अनुदान भी इसी के तहत स्वीकृत किया जाता है।
वर्ष 2018–19 में ₹ 2150.00 लाख का बजट में प्रावधान है, रू0 128.45 लाख लक्सर और हरिद्वार को अवमुक्त किया गया है।

22.13 श्वान पशु बन्ध्याकरण के लिए ए0बी0सी0 कैम्पस का निर्माण एवं संचालन (Animal Birth Control) योजना के अन्तर्गत आवारा श्वान पशुओं के बन्ध्याकरण हेतु नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों में (एनिमल बर्थ कन्ट्रोल) ए0बी0सी0 कैम्पसों का निर्माण एवं उक्त कैम्पस में श्वान पशु बन्ध्याकरण कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। वर्तमान में एबीसी कैंपस तीन नगर पालिकाओं, देहरादून, मसूरी, नैनीताल और हल्दवानी और रुद्रपुर में निर्माण प्रगति पर है तथा हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, कोटद्वार, नगर निगम, में निर्माण प्रस्तावित है। वर्ष 2018–19 में ₹ 180.00 लाख का बजट में प्रावधान है, ₹ 25.97 लाख नैनीताल और देहरादून को अवमुक्त किया गया ।

22.14–रैन बसेरों का निर्माण योजना के अन्तर्गत नगर निकायों के क्षेत्रान्तर्गत बेघर और बेसहारा लोगों को रात्रि आश्रय प्रदान करने तथा शीत ऋतु में ठण्ड से सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत रैन बसेरों का निर्माण किया जाता है। वर्ष 2018–19 में ₹ 100.00 लाख का बजट में प्रावधान है, ₹ 51.45 लाख लक्सर और देवप्रयाग को अवमुक्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त **नगर पालिकाओं में पार्कों की स्थापना योजना के अर्न्तगत** नगर निकायों को सुन्दर बनाने के दृष्टिगत समस्त नगर निकायों को एक बार पार्कों के निर्माण तथा वर्तमान में स्थित पार्कों को सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, **मलिन/वाल्मीकि बस्तिओं के लिए व्यक्तिगत शौचालय निर्माण** योजनान्तर्गत परिवारों को व्यक्तिगत शौचालयों की सुविधा देना तथा उन्हें खुला शौचमुक्त क्षेत्र किया जाना तथा **सड़क पर रेड़ी, फेरी, भिक्षावृत्ति, कूड़ा बीनने वाले सपेरा आदि को** राज्य सरकार द्वारा फेरी नीति का विख्यापन किया गया है, जिसके अनुसार सड़क पर फेरी व रेड़ी लगाने वाले दुकानदारों के लिए एक स्थान निर्धारित करते हुए स्थल विकास किया जाना है।

आवास विभाग

22.15 आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण

- उत्तराखण्ड में वर्तमान में राज्य स्तर पर एक उत्तराखण्ड आवास विकास परिषद गठित है। राज्य में वर्तमान में कुल 14 विकास प्राधिकरण कार्यरत है, जिनके द्वारा आवास सुविधा हेतु कार्य किया जा रहा है। इसके पूर्व 05 विकास प्राधिकरण कार्यरत थे, वर्ष 2017 से पूर्व में कार्यरत 21 विनियमित क्षेत्रों को समाप्त कर, उनके स्थान पर 11 जनपदों चमोली, रूप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, उधमसिंह नगर, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का गठनकिया गया तथा पूर्व में स्थापित 05 प्राधिकरणों में से तीन प्राधिकरण, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकण तथा दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण वर्तमान में भी कार्यरत हैं।

- उत्तराखण्ड राज्य के तीन विकास प्राधिकरण मसूरी – देहरादून विकास प्राधिकरण, हरिद्वार – रूड़की विकास प्राधिकरण तथा दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में मास्टर प्लान लागू हो चुका है। 11 जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में मास्टर प्लान लागू करने हेतु कार्यवाही गतिमान है।

- राज्य में प्रथम बार, राज्य स्तर पर सभी जनपदों के विकास क्षेत्रों में भूमि उपयोग निर्धारण किये जाने तथा नियोजित क्रमिक विकास हेतु जी0आई0एस0 आधारित महायोजना बनाये जाने का कार्य एक साथ प्रारम्भ किया गया है, जिससे कम समयावधि में एक साथ समस्त विकास क्षेत्रों की महायोजना तैयार की जा सके। इस क्रम से सर्वप्रथम जी0आई0एस0 आधारित बेस मैप बनाये जाने का कार्य गतिमान है

- मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल व जन उपयोगी बनाये जाने हेतु राज्य के समस्त प्राधिकरणों में ऑनलाइन मैप एप्रूवल

सिस्टम को लागू किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। वर्तमान तक मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर विकास प्राधिकरण व जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल के समस्त क्षेत्रों में ऑनलाइन मैप एप्रूवल प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।

- उत्तराखण्ड राज्य में Real Estate कारोबार से जुडे एजेंट तथा Builders हेतु उत्तराखण्ड भूसंपदा नियमक प्राधिकरण एक्ट (RERA) लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत भूमि या मकान/फ्लेट बनाने से सम्बन्धित एजेंट व Builders को RERA के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराया जाना आवश्यक कर दिया गया है। RERA के अन्तर्गत राज्य में 221 परियोजनाओं तथा 214 एजेन्टस का पंजीकरण किया जा चुका है तथा अब तक प्राप्त 222 शिकायतों में से 90 शिकायतों का निवारण किया जा चुका है। अवशेष पर कार्यवाही गतिमान है।
- आमजन की सुविधा के दृष्टिगत रेरा के अन्तर्गत बिल्डरों व ऐजेन्टों के पंजीकरण किये जाने तथा आमजन द्वारा शिकायत किये जाने हेतु ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया गया है जिसके माध्यम से ही पंजीकरण व शिकायत संबंधित समस्त कार्यवाही सम्पादित की जा रही है।

22.16 प्रधानमंत्री आवास योजनाः– राज्य मे प्रत्येक आवासहीन परिवार को आवास उपलब्ध कराये जाने के उददेश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्टनगर, देहरादून में 224 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों का निर्माण पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त 240 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों का निर्माण कार्य आमवाला तरला, देहरादून में अन्तिम चरण है। केन्द्र सरकार के प्रत्येक आवास ₹ 1.50 लाख की दर से दोनो आवासीय योजनाओं हेतु ₹ 696.00 लाख की अनुदान राशि स्वीकृत की गयी है तथा राज्य सरकार द्वारा भी प्रत्येक आवास ₹ 1.00 लाख की दर से कुल ₹ 464.00 लाख का राशि स्वीकृत तथा अवमुक्त की गयी है। इसके अतिरिक्त धौलास क्षेत्र मे 240 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों तथा राजपुर रोड क्षेत्र मे 886 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के निर्माण की स्वीकृत केन्द्र सरकार से प्राप्त की गयी है।

- रूद्रपुर में आवास हीन परिवारों के लिये नयी निर्माण तकनीक मोनोलेथिक निर्माण विधि के माध्यम से 1872 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के निर्माण किये जाने की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त की गयी है जिसमे केन्द्र सरकार द्वारा ₹ 1123.20 लाख का अनुदान राशि स्वीकृत तथा अवमुक्त की गयी है। योजना हेतु निविदा प्रक्रिया गतिमान है।
- हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण आवास हीन परिवारों हेतु 528 ई0डब्ल्यू0एस0 की इन्द्रलोक आवासीय योजना केन्द्र सरकार से स्वीकृत करायी गयी। केन्द्र सरकार द्वारा ₹ 316.80 लाख की अनुदान राशि स्वीकृत तथा अवमुक्त की गयी है। योजना मे निविदा प्रक्रिया अन्तिम चरण मे है।

22.17–मेट्रो रेल योजनाः– उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वर्ष–2016 में हरिद्वार–ऋषिकेश–देहरादून मैट्रोपॉलिटन क्षेत्र में मैट्रो रेल परियोजना स्थापित किये जाने के उददेश्य से उत्तराखण्ड आवास एवं विकास प्राधिकरण के माध्यम से दिल्ली मैट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा उक्त परियोजना हेतु डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी0पी0आर0) तैयार करने का कार्य अन्तिम चरण में है। भारत सरकार द्वारा मैट्रो रेल पॉलिसी–2017 लागू किये जाने के उपरान्त मैट्रो रेल परियोजना हेतु सी0एम0पी0 (Comprehensive Mobility Plan) रिपोर्ट भी तैयार की जा चुकी है। साथ ही Alternative Analysis रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

उपरोक्त वर्णित दोनों रिपोर्ट्स् में दिये गये सुझावों के अनुरूप डी0पी0आर0 में आवश्यक संशोधन करने के उपरान्त अन्तिम रिपोर्ट उत्तराखण्ड सरकार को प्रस्तुत करने एवं तदोपरान्त भारत सरकार को स्वीकृति एवं वित्तीय सहायता/सहयोग हेतु प्रेषित किया जायेगा।

उत्तराखण्ड मैट्रो को केन्द्र सरकार से वर्ष 2017–18 व वर्ष 2018–19 में क्रमशः ₹ 500–500 लाख की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। जिसके सापेक्ष वर्ष 2017–18 में ₹ 103.14 लाख की धनराशि तथा वित्तिय वर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर, 2018 तक ₹ 268.11 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। जो कि प्रमुखतः वेतन मद, अन्य कार्यालय व्यय तथा ₹ 98.67 लाख CMP (comprehensive Mobility Plan) तैयार करने हेतु व्यय की गयी है।

अध्याय–23
समाज कल्याण
Social Welfare

23.1 सामान्य विवरणः राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक कल्याण, अन्य पिछड़े वर्गों, वृद्धों एवं बेसहारा, शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों, महिलाओं, विधवाओं तथा बेसहारा महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा को दृष्टिगत् रखते हुये विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड की जनसंख्या में 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 3 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी है।

23.2 सामाजिक प्रगति सूचकांक 2016 (Social Progress Index 2016):- Institute for Competitiveness द्वारा भारत के सभी राज्यों का सामाजिक प्रगति सूचकांक ***Global Social Progress Index 2016*** तैयार किया गया है, जिसमें उत्तराखण्ड राज्य सम्पूर्ण देश में चौथे स्थान पर रहा है। सामाजिक प्रगति (Social Progress) को 3 मुख्य पहलुओंः–मूलभूत मानवीय आवश्यकताएं (Basic Human Needs), खुशहाली के आधार (Foundations of Well-being) तथा अवसर (Opportunity) के आधार पर आंकलित किया गया है। इस सूचकांक के अनुसार केरल प्रथम, हिमाचल प्रदेश द्वितीय तथा तमिलनाडु तृतीय स्थान के बाद उत्तराखण्ड 64.23 स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा। जबकि राष्ट्रीय औसत 54.90 अंक था। इस सूचकांक में बिहार अन्तिम स्थान पर आया।

समाज कल्याण की प्रमुख योजनाएंः– राज्य में विभिन्न सामाजिक वर्गों के असहाय, वृद्धों, विधवाओं, दिव्यांगों, महिलाओं आदि के कल्याण हेतु विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही है।

23.3 समाज कल्याण पेंशन योजनाएं

23.3.1 वृद्धावस्था पेंशन योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के बी0पी0एल0 परिवारों के वृद्धों अथवा ₹ 4,000 मासिक आय वाले निराश्रित वृद्धों को ₹ 1,000 मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 से 79 वर्ष आयु के व्यक्तियों को ₹ 800 प्रतिमाह तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को ₹ 500 प्रतिमाह राज्य सरकार द्वारा कुल ₹ 1,000 प्रतिमाह देय पेंशन के अन्तर्गत भुगतान किया जाता है।

इस योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में माह–दिसम्बर, 2018 तक योजनान्तर्गत ₹ 32,061.05 लाख की धनराशि व्यय कर 4,36,907 वद्धजनों को लाभान्वित किया गया है।

23.3.2 विधवा पेंशन योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की बी0पी0एल0 श्रेणी की निराश्रित विधवाओं अथवा ₹ 4000 से कम मासिक आय तक की विधवाओं को ₹ 1000 मासिक भरण पोषण अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अन्तर्गत प्रतिमाह भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता/पेंशन का भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर, 2018 तक योजनान्तर्गत ₹ 12175.67 लाख की धनराशि व्यय कर 1,56,325 विधवाओं को लाभान्वित किया गया है।

23.3.3 किसान पेंशन योजनाः– इसके अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु एवं 2 हेक्टेयर तक स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले किसानों तथा राज्य के अन्तर्गत ऐसे पट्टेदार किसान जिनके पास विधिसम्मत कृषि पट्टा है एवं स्वयंकृषि कार्य कर रहे हैं को ₹ 1000 प्रतिमाह की दर से किसान पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर 2018 तक योजनान्तर्गत ₹ 528.47 लाख की धनराशि व्यय कर 15,374 किसानों को लाभान्वित किया गया है।

23.4 अनुसूचित जाति हेतु संचालित छात्रवृत्तियोजनाएं

23.4.1 अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजनाः– इस योजना के अन्तर्गतकक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पारदर्शिता के दृष्टिगत योजना ऑनलाईन संचालित की जा रही है। वित्तीयवर्ष 2018–19 में माह–दिसम्बर, 2018 तक योजना में ₹ 1134.00 लाख की धनराशि जनपदों को व्यय करने हेतु आवंटित की गई है।

23.4.2 अनुसूचित जाति के दशमोत्तर छात्रवृत्तिः– योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018–19

में माह–दिसम्बर 2018 तक ₹ 460.20 लाख की धनराशि व्यय कर 2276 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

23.4.3 अनुसूचित जाति मैरिट उच्चीकृत छात्रवृत्तिः– अनुसूचित जाति के मेधावी बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक शिक्षा के साथ–साथ रेमेडियल कोचिंग के लिए मैरिट उच्चीकृत योजना लागू की गयी है, जो कि वर्तमान में जनपद पौड़ी गढ़वाल में संचालित है।

23.5 अनुसूचित जनजाति कल्याण

23.5.1 कक्षा 01 से 08 तक छात्रवृत्तिः– अनुसूचित जनजातियों में शैक्षिक स्तर को बढ़ाए जाने हेतु सरकार द्वारा कक्षा 01 से 08 तक अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति के सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2018–19 में इस योजना के अन्तर्गत 55,000 विद्यार्थियों के लिए ₹ 350 लाख का बजट प्राविधान किया गया।

23.5.2 अटल आवास योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के बी0पी0एल0 तथा ₹ 32,000 वार्षिक अथवा इससे कम आय वाले आवासविहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में ₹ 38,500 एवं मैदानी क्षेत्रों में ₹ 35,000 की धनराशि प्रदान की जा रही है। वर्ष 2018–19 में इस योजनान्तर्गत 495 लाभार्थियों के लिए ₹ 300 लाख का बजट प्राविधान किया गया जिसके सापेक्ष 100 लाभार्थियों को दिसम्बर 2018 तक ₹ 11.50 लाख की धनराशि प्रदान की गयी है।

23.5.3 परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्रों का संचालनः– योजनान्तर्गत कोचिंग अवधि में वाह्य विद्यार्थियों को ₹ 1500 प्रतिमाह तथा स्थानीय विद्यार्थियों को ₹ 750 को प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिए जाने का प्राविधान है। वर्ष 2018–19 में ₹ 40 लाख की धनराशि व्यय की जानी प्रस्तावित है।

23.5.4 आवर्तक अनुदान पर संचालित प्राईमरी पाठशालाओं, पुस्तकालय हेतु अनुदानः– वर्ष 2018–19 में ₹ 1200 लाख बजट प्रावधान से 29 विद्यालयों का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष 21 विद्यालयों को इस वर्ष के दौरान माह दिसम्बर, 2018 तक ₹ 170.17 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया गया है।

23.5.5 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालनः– विभाग द्वारा वर्तमान में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत कल छात्र छात्राओं की पंजीकृत क्षमता 3055 है। वर्ष 2018–19 में ₹ 2697.48 लाख बजट प्राविधान किया गया तथा माह दिसम्बर 2018 तक 2191 विद्यार्थियों को इस वर्ष के दौरान तक ₹ 1827.62 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया गया है।

23.5.6 राजकीय जनजाति छात्रावासों का संचालनः– विभाग द्वारा वर्तमान में 04 बालक राजकीय जनजाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इनमें कुल छात्र की पंजीकृत क्षमता 200 है। वर्ष 2018–19 में ₹ 174.97 लाख बजट प्रावधान से 200 विद्यार्थियों के लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2018 तक 160 छात्रों को ₹ 93.00 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया गया है।

23.5.7 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानः– विभाग द्वारा वर्तमान में 03 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 में इस योजनान्तर्गत 413 प्रशिक्षणार्थयों के लिए ₹ 578.73 लाख का बजट प्राविधान किया गया, जिसके सापेक्ष 372 लाभार्थियों को दिसम्बर 2018 तक ₹ 310.27 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया गया है।

23.5.8 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी जनपद देहरादूनः– वित्तीय वर्ष 2010–11 से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कालसी, जनपद देहरादून का संचालन प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2018–19 में ₹ 250.58 लाख बजट प्रावधान से 420 विद्यार्थियों का लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2018 तक 396 विद्यार्थियों को ₹ 157.69 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया गया है।

23.5.9 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकासः– योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु योजनायें सचांलित की जाती है। वर्ष 2018–19 में इस योजना के अन्तर्गत ₹ 300 लाख के बजट प्राविधान से 100 योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

23.5.10 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरणः– विभागान्तर्गत 16 आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 में ₹ 200.00 लाख के बजट प्रावधान से 15 योजनाओं को क्रियान्वित किए जाने का लक्ष्य के सापेक्ष 02 योजनाओं (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बालिका,

लांगापोखरी, देहरादून में विभिन्न कार्य व राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बालक लाल ढांग, हरिद्वार चाहरदीवारी का निर्माण कार्य) को क्रियान्वित कर ₹ 39.73 लाख की धनराशि व्यय करके 354 छात्रों को लाभान्वित किया गया है।

23.5.11 राजकीय जनजाति छात्रावासों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण:– विभाग के अन्तर्गत 04 जनजाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 में ₹125 लाख के बजट प्रावधान से 04 योजनाओं को क्रियान्वित किए जाने का लक्ष्य के सापेक्ष 02 योजनाओं (राजकीय जनजाति छात्रावास काशीपुर में मरम्मत तथा खटीमा छात्रावास में अतिरिक्त छात्रावास के भवन निर्माण) को क्रियान्वित कर माह दिसम्बर 2018 तक ₹ 125 लाख की धनराशि से 50 छात्रों को लाभान्वित किया गया है।

23.5.12 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के विकास हेतु योजना (कक्षा 09 व 10 तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति):– अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 09 व 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वर्ष 2018–19 में इस योजना के अन्तर्गत ₹ 304.45 लाख की धनराशि व्यय की जानी प्रस्तावित है तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में ₹ 3750.00 लाख बजट के सापेक्ष 18425 विद्यार्थियों के लक्ष्य में से 303 विद्यार्थियों को माह–दिसम्बर 2018 तक ₹ 138.38 लाख की धनराशि प्रदान की गयी है।

23.5.13 संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत आर्थिक सहायता:– अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विकास हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायतित योजना संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बाजपुर के भवन निर्माण, वन अधिकार अधिनियम 2006 का क्रियान्वयन, एकलव्य आदर्श आवसीय विद्यालय कालसी देहरादून में 06 अतिरिक्त कक्षों के निर्माण पर ₹ 21.50 लाख की धनराशि माह–दिसम्बर 2018 तक व्यय की चुकी है।

23.5.14 जनजातियों के लिए जनजाति उप योजना:– योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा शत–प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास हेतु 100 प्रतिशत केन्द्र सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2018–19 में ₹ 840 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष माह दिसम्बर 2018 तक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय लाखा मण्डल एवं एकलव्य आर्दश आवासीय विश्व विद्यालय कालसी देहरादून में बालिका छात्रावासों के भवन निर्माण पर ₹ 718.77 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

23.6 अल्पसंख्यक कल्याण

23.6.1 अल्पसंख्यक छात्रों के कक्षा 1 से 10 तक छात्रवृत्ति योजना (शत–प्रतिशत राज्य पोषित):– वित्तीय वर्ष 2018–19 में 8541 छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र सफलतापूर्वक ऑनलाईन भरे जा चुके हैं। उक्त योजना का पूर्णतया ऑनलाईन संचालन करते हुए छात्रवृत्ति का भुगतान डी.बी.टी के माध्यम से सीधे छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में किया जायेगा।

23.6.2 मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना:– उत्तराखण्ड के अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों की आई.ए.एस./पी.सी.एस. की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहन के रूप में अधिकतम ₹ 75,000 की राशि प्रदान किये जाने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 01 अभ्यर्थियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

23.6.3 अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष अनुदान:– उक्त योजना अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी बालिकाओं की शिक्षा हेतु विशेष अनुदान देने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी है। ऐसी बालिकाओं, जिन्होंने उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा/मुन्शी, मौलवी तथा आलिम 60 प्रतिशत से अधिक अंक से उत्तीर्ण की है, को अधिकतम ₹ 25,000 की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस हेतु ₹ 64.95 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 442 छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

23.6.4 अल्पसंख्यक छात्रों के लिये उच्च शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित):– वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 3200 छात्र/छात्राओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया था,

जिसके सापेक्ष 2916 छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र सफलतापूर्वक भरे जा चुके है।

23.6.5 अल्पसंख्यक छात्रों के लिये स्नातक एवं मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति (शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित):– वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 395 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 594 छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन किया गया है।

23.6.6 अल्पसंख्यक वर्ग के पूर्वदशम् छात्रवृत्ति (शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित):– वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 19,732 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 26075 छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन किया गया है। छात्र/छात्राओं को भुगतान की कार्यवाही भारत सरकार के स्तर से गतिमान है।

23.7 दिव्यांगकल्याण

23.7.1 दिव्यांग छात्रवृत्ति योजनाः– इस योजना में प्राईमरी कक्षा से उच्च शिक्षा तक अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों, जिनके माता–पिता की मासिक आय ₹ 2,000 तक हो, को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वित्तीयवर्ष 2018–19 में योजनान्तर्गत आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31 जनवरी 2019 निर्धारित की गई है, उसके उपरान्त ही छात्रवृत्ति का वितरण किया जायेगा।

23.7.2 दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग हेतु अनुदानः– दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंगों की खरीद हेतु अधिकतम ₹ 3500 तक अनुदान या कृत्रिम अंग क्रय कर दिये जाने का प्राविधान है। वित्तीयवर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर 2018 तक योजनान्तर्गत ₹ 22.84 लाख की धनराशि व्यय कर 933 दिव्यागों को लाभान्वित किया गया है।

23.7.3 दिव्यांग भरण–पोषण अनुदान योजनाः– दिव्यांग भरण–पोषण अनुदान योजना में 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले बी0पी0एल0 चयनित परिवार के दिव्यांग अथवा ₹ 4,000 मासिक आय वाले दिव्यांगजनों को ₹ 1,000 मासिक की दर से भरण–पोषण अनुदान दिया जाता है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर 2018 तक ₹ 2782.62 लाख की धनराशि व्यय कर 72,503 दिव्यांगों को पेंशन प्रदान की गयी है।

23.7.4 इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत प्रतिमाह देय भरण–पोषण हेतु आर्थिक सहायता/पेंशन के अन्तर्गत भुगतान की जाती है।

23.7.5 दिव्यांग दम्पत्तियों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनाः– दिव्यांग दम्पत्तियों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में शारीरिक रुप से स्वस्थ व्यक्ति द्वारा दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रोत्साहन स्वरुप ₹ 25000 की धनराशि दिव्यांग दम्पति को प्रदान की जाती है। वित्तीयवर्ष 2018–19 में माह–दिसम्बर 2018 तक योजनान्तर्गत ₹ 10.00 लाख की धनराशि व्यय कर 40 दिव्यांगों को लाभान्वित किया गया।

इसके अतिरिक्तजन्म से दिव्यांग बच्चों को भत्ता योजना, तीलू रौतेली पेंशन योजना एवं बौना व्यक्तियों को पेंशन योजना के द्वारा भी दिव्यांगों को पेंशन प्रदान की जाती है।

23.8 महिला कल्याण

23.8.1 परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रूप से विकृत/विक्षिप्त पति अथवा पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोषण अनुदान योजनाः– इस योजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर 2018 तक ₹ 289.33 लाख की धनराशि व्यय कर 3871 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

23.8.2 विधवाओं की पुत्री की शादी हेतु अनुदानः– इस योजना के अन्तर्गत महिला कल्याण विभाग से विधवा पेंशन प्राप्त कर रही सभी वर्ग की विधवाओं को पुत्री की शादी हेतु ₹ 50000 की धनराशि अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। वित्तीयवर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर 2018 तक योजनान्तर्गत ₹ 128.00लाख की धनराशि व्यय कर 256 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

23.8.3 निर्धन अनुसूचित जाति के परिवारों को पुत्री की शादी हेतु अनुदानः– इस योजना के अन्तर्गत निर्धन अनुसूचित जाति के परिवारों को उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए ₹ 50000 की धनराशि अनुदान स्वरुप प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017–18 से योजना को ऑनलाईन संचालित किया जा रहा है। 31 दिसम्बर 2018को शासन द्वारा ₹ 1500.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसमें 3000 परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा।

23.8.4 अनुसूचित जनजाति की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदानः– अनुसूचित जनजातियों की पुत्रियों को शादी हेतु ₹ 50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2018–19 में इस योजनान्तर्गत 800 पुत्रियों के लिए ₹ 400 लाख का बजट प्राविधान किया गया जिसके सापेक्ष 228

पुत्रियों की शादी हेतु माह–दिसम्बर 2018 तक ₹ 114.00 लाख की धनराशि प्रदान की गयी है।

23.8.5 गौरा देवी कन्याधन योजनाः– अनुसूचित जनजातियों की पुत्रियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किए जाने हेतु इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कन्याधन के रूप में ₹ 50,000 की सहायता, राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में छात्रा के नाम से तीन से पांच वर्ष की सावधि जमा (Fixed Deposit) के रूप में प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर, 2018 तक वित्तीय वर्ष 2016–17 के अवशेष 266 छात्राओं को लाभान्वित कर ₹ 133.00 लाख की धनराशि प्रदान की गयी है।

23.9 समाज कल्याण द्वारा संचालित अन्य योजनाएं :

23.9.1 आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापनाः– अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के पैटर्न पर अनुसूचित जाति के बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु जनपद हरिद्वार में राजकीय आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की गयी है, जिसका संचालन वित्तीय वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर 2018 तक योजनान्तर्गत ₹ 85.26 लाख की धनराशि व्यय कर 134 बालकों को लाभान्वित किया गया है।

23.9.2 पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्तिः– इस योजना में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार छात्रवृति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर 2018 तक योजना में ₹ 590.54 लाख की धनराशि जनपदों को व्यय करने हेतु आवंटित की गई है। वर्तमान में छात्रवृत्ति भुगतान हेतु अन्य औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है। इस के अतिरिक्त बी0पी0एल0 परिवार की छात्राओं को व्यवसायिक शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना व पिछड़ी जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

23.9.3 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में 4238 अनुमानित लाभार्थियों को सहायता राशि दिये जाने हेतु ₹ 847.90 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तावित किया गया है। माह दिसम्बर 2018 तक योजना में ₹ 357.20 लाख की धनराशि व्यय कर 1786 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

23.9.4 अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति अत्याचार उत्पीड़नः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर 2018 तक योजना में ₹ 137.83 लाख की धनराशि व्यय कर 126 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

23.9.5 अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. आवासहीन परिवारों हेतु आवास योजनाः– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बी.पी.एल. अथवा ₹ 32,000 तक वार्षिक आय वाले आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर 2018 तक योजनान्तर्गत ₹ 40.21 लाख की धनराशि व्यय कर 110 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

23.9.6 अनुसूचित जाति के निर्धन छात्रों के शिक्षाध्ययन हेतु राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयः– अनुसूचित जाति के निर्धन छात्रों के शिक्षाध्ययन हेतु 06 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित किये जा रहे है। इन विद्यालयों में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, आवास, पाठ्य पुस्तक व लेखन सामग्री, वस्त्र बिस्तर तथा औषधि की सुविधा प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर 2018 तक योजनान्तर्गत ₹ 202.12 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

23.9.7 डॉ0 अम्बेडकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाः– दशमोत्तर कक्षाओं में पढने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावको की वार्षिक आय ₹ 1.00 लाख से अधिक नहीं है को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा पिछड़ी जाति के दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति दरों के समान ही छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में माह–दिसम्बर, 2018 तक योजना में ₹ 74.31 लाख की धनराशि जनपदों को व्यय करने हेतु आवंटित की गई है।

23.10 उत्तराखण्डअल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम

23.10.1 अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजनाः– इस योजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2018–19 में 454 लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2018 तक योजनान्तर्गत ₹ 13.606 लाख अनुदान, ₹ 32.655 लाख बैंक ऋण, ₹ 8.164 लाख लाभार्थी अंश कुल ₹ 54.425 लाख की धनराशि से 26 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

23.10.2 मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेंस फाउंडेशन योजनाः— इस योजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2018–19 में विगत वर्षों की 54 लाभार्थियो को ₹ 54.163 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया गया है।

23.10.3 मुख्यमंत्री हुनर योजनाः— इस योजना के अन्तर्गत 375 लाभार्थियो को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिस पर ₹ 12.488 लाख प्रशिक्षण पर व्यय किया गया।

23.11 उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, पिरान–ए–कलियर, रूड़कीः— मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2018 से बिना महरम के भी 45 वर्ष से अधिक आयु की 05 महिला आवेदकों के ग्रुप को हज यात्रा पर जाने की अनुमति मिली है, जिसके अनुसार उत्तराखण्डसे 05 महिलाओं ने एक कवर में आवेदन किया है।

1. वर्ष 2019 हज यात्रा हेतु दिनांकः 05 जनवरी, 2019 को कुर्रा अन्दाजी (लॉटरी) की जायेगी। इससे पहले प्रदेशवार कुर्रा अन्दाजी की जाती थी जिससे पहाड़ी क्षेत्रों के हज आवेदकों का चयन नहीं हो पाता था। इस वर्ष जिलेवार कुर्रा अन्दाजी होने से प्रदेश के पहाड़ी जनपदों के हज आवेदकों का भी चयन हुआ है।

2. इस वर्ष हज आवेदन करने का समय गत वर्षो की अपेक्षा लगभग 02 माह पहले प्रारम्भ किया गया जिससे हज से सम्बन्धित कार्य सही समय पर पूरे किये जा सकेगें।

23.12 उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादूनः— उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 109 के तहत राज्य सरकार द्वारा वक्फ रूल्स 2018 अधिसूचित किये गये जिससे कि वक्फ बोर्ड के कार्यों को सम्पादन करने में सहायता मिलेगी।

23.13 उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्ः—

1. उत्तराखण्डमदरसा शिक्षा परिषद् में नवीन वैकल्पिक व्यवस्थानुसार संस्कृत, शारीरिक शिक्षा एवं कम्प्यूटर विषयों का समावेश किया गया है।

2. नए सत्र से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) का पाठ्यक्रम लागू किया गया।

23.14 उत्तराखण्डबहुउदेशीय वित्त एवं विकास निगम लि0

23.14.1 अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायताः— इस योजना के अन्तर्गत लक्ष्य 1459 के सापेक्ष माह नवम्बर, 2018 तक 787 लाभार्थी को लाभान्वित किया गया है।मद में निम्नलिखित योजनायें संचालित की जाती है–

1. विशेष केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उप योजना):— इस वित्तीय वर्ष में माह नवम्बर, 2018 तक कुल ₹ 77.50 लाख की धनराशि व्यय कर 787 लाभार्थियों को वित्त पोषित किया गया है।

2. स्वतः रोजगार योजनाः— वित्तीय वर्ष 2018–19 के माह नवम्बर, 2018 तक 746 लाभार्थियों को ₹ 74.10 लाख अनुदान, ₹ 24.54 लाख मार्जिनमनी ऋण एवं ₹ 350.90 लाख बैंक ऋण वितरित कर वित्त पोषित किया गया हैं।

3. अवस्थापना विकासः— वित्तीय वर्ष 2018–19 में जनपदों को ₹ 12.40 लाख की धनराशि से 15 दुकानों का निर्माण करने का लक्ष्य प्रेषित किया गया है। दुकानों का निर्माण करने का कार्य गतिमान है।

23.15 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनायें:— इस योजना के अन्तर्गत 72 लाभार्थियों को ₹ 7.00 लाख अनुदान, ₹ 12.15 लाख मार्जिनमनी ऋण एवं ₹ 43.15 लाख टर्मलोन वितरित कर लाभान्वित किया गया है।

23.16 अनुसूचित जनजाति जीविका अवसर प्रोत्साहन योजनाः— इस योजना के अन्तर्गत धनराशि ₹ 44.11 लाख के सापेक्ष ₹ 4.20 लाख अनुदान एवं ₹ 22.85 लाख बैंक ऋण की धनराशि वितरित कर 43 लाभार्थी वित्त पोषित किये गये हैं।

अध्याय–24
खेल एवं युवा कल्याण
Sports & Youth Welfare

राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में 15–29 आयु वर्ग की जनसंख्या को युवा जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया गया जो राष्ट्रीय स्तर पर कुल जनसंख्या की 27.5 प्रतिशत थी तथा जिसका सकल राष्ट्रीय आय में योगदान लगभग 34 प्रतिशत है। उत्तराखण्ड राज्य में 28.79 प्रतिशत जनसंख्या युवा आयु वर्ग में है। श्रम शक्ति में इस आयु वर्ग के नागरिकों की भागीदारी तथा उनकी उत्पादकता को बढाकर उनके योगदान में भारी बढोत्तरी करने की सम्भावनायें हैं। वर्तमान समय में भारत में उत्पादकीय आयु वर्ग (15–60 वर्ष) की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है जिसे नीति निर्माताओं द्वारा जन सांख्यिकीय लाभांश Demographic Divident कहा जाता है। इस जन सांख्यिकीय लाभांश के दोहन हेतु युवा नीति में युवाओं की शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, उद्यमशीलता, स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवन शैली, खेल, सामाजिक मूल्यों को बढावा, सामुदायिक विनियोजन, युवा भागीदारी को प्रोत्साहन आदि प्राथमिकता क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा पुणे में हो रहे खेलो इण्डिया गैम के0आई0जी0वाई0ई0 में खिलाडियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु **"खेलोगे तो खिलोगे"** का संदेश दिया गया।

युवाओं को अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के खेलों के उन्न्यन व खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु खेल एवं युवा कल्याण विभाग कार्यरत है। खेल विभाग के अन्तर्गत राज्य में 2 अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम, 20 राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम, 04 बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल व 17 इंडोर क्रीड़ा हॉल स्थापित है। खेल विभाग के अन्तर्गत दिसम्बर 2018 तक संचालित विभिन्न प्रतियोगिताओं में 18572 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।वर्ष 2019 तक 45000 खिलाड़ियों की प्रतिभागिता का लक्ष्य है। वर्ष 2030 तक 1.60 लाख बालक व 1.60 लाख बालिका खिलाड़ियों को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराने का लक्ष्य प्रस्तावित है। जनपदों में क्रीड़ा स्थलों का विकास/स्थापना कराते हुए स्वायत्तशासी खेल संस्थाओं व आयोजकों का भी सहयोग लिया जाना लक्षित है।

24.1 जिला सैक्टर की योजनायें:–

24.1.1 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजनः– योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2018 तक 18503 बालक एवं बालिकाएं लाभान्वित हो चुके हैं। 125 बालक एवं बालिकाओं द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग कर पदक प्राप्त किया गया। योजना में वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु प्रावधानित बजट ₹ 160.54 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2018 तक ₹ 82.18 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

24.1.2 खेल प्रशिक्षण शिविर योजनाः– माह दिसम्बर, 2018 तक लगभग 7101 बालक एवं बालिकाएं लाभान्वित हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु ₹ 248.51 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2018 तक ₹ 138.68 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

24.1.3 आवासीय क्रीड़ा छात्रावास योजनाः– छात्रावासों के संचालन हेतु योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹ 184.03 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2018 तक ₹ 108.16 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। खेल विभाग द्वारा संचालित आवासीय छात्रावासों तथा उसमें प्रशिक्षणरत छात्रों की संख्या निम्न तालिका 24. 1 में प्रस्तुत है:–

24.1.4

तालिका–24.1–खेल विभाग के अन्तर्गत संचालित आवासीय खेल छात्रावास

क्र. सं.	आवासीय क्रीड़ा छात्रावास	खेल	वर्ग	स्वीकृत सीट	भरी गयी सीट
1	2	3	4	5	6
1.	पौड़ी	बैडमिंटन	बालक	20	01
2.	कोटद्वार (पौड़ी)	बॉक्सिंग	बालक	25	15
3.	चमोली	वॉलीबॉल	बालक	20	18
4.	देहरादून	फुटबॉल	बालक	25	21
5.	हरिद्वार	हॉकी	बालिका	25	23
6.	टिहरी	क्रिकेट	बालक	20	12
7.	उत्तरकाशी	फुटबॉल	बालिका	20	19
8.	रुद्रप्रयाग	एथलेटिक्स	बालिका	25	25
9.	नैनीताल	फुटबॉल	बालक	25	25
10.	बागेश्वर	ताईक्वांडो	बालिका	20	–
11.	चम्पावत	बॉक्सिंग	बालक	20	14
12.	अल्मोड़ा	बैडमिंटन	बालिका	20	07
13.	पिथौरागढ़	बॉक्सिंग	बालिका	20	18
14.	ऊधमसिंह नगर	एथलेटिक्स	बालक	25	20
कुल योग				310	218

24.2 राज्य सैक्टर योजनायें:–

24.2.1 नकद पुरस्कार योजना:– योजना के तहत राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त/प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार स्वरूप धनराशि प्रदान की जाती है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹ 210.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2018 तक ₹ 49.94 लाख की धनराशि नकद पुरस्कार स्वरूप 47 खिलाड़ियों एवं 12 प्रशिक्षकों को प्रदान की गई है।

24.2.2 खेल किट योजना:– राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को ट्रैकसूट, जूते, मोजे तथा खेलकिट प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु ₹ 70.00 लाख बजट प्राविधान किया गया है।

24.2.3 खेल संघों आदि को प्रतियोगिता आयोजन हेतु अनुदान योजना:– इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹ 50.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹ 0.51 लाख की धनराशि व्यय कर 01 दिव्यांग को खेल सामग्री क्रय हेतु अनुदान प्रदान किया गया है।

24.2.4 विशिष्ठ खिलाड़ियों के लिए देवभूमि खेल रत्न व द्रोणाचार्य अवार्ड योजना:– वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना हेतु ₹ 60.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹ 0.95 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा चुके हैं।

24.2.5 नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को अनुदान योजना:– उत्तरकाशी में स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में बेसिक एवं एडवांस पर्वतारोहण, एडवेंचर कोर्स, एम.ओ.आई. कोर्स, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत वर्ष 2018–19 में 871 प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा चुका है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु ₹ 960.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹ 504.19 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

24.2.6 स्पोर्ट्स कॉलेज को अनुदान योजना:– अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु प्रशिक्षणरत खिलाड़ियों को देहरादून तथा पिथौरागढ़ के स्पोर्ट्स कॉलेज में भोजन, खेल प्रशिक्षण, शिक्षा, खेलकिट एवं खेल उपकरण आदि की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹ 540.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है,

24.2.7 जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2018 तक ₹ 419.43 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

24.2.8 खेल प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु योजना:– इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु ₹ 30.00 लाख का बजट के सापेक्ष ₹ 02.00 लाख की धनराशि व्यय कर माह दिसम्बर, 2018 तक 69 खिलाड़ी लाभान्वित हो चुके हैं।

24.2.8 पं0 नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण योजना:– पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में पर्वतारोहण, स्पोर्टस, क्लाईम्बिंग तथा अन्य साहसिक क्रियाकलापों आदि के प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु पं0 नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गयी है, जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु ₹ 70.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष दिसम्बर 2018 तक ₹ 4.50 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। वर्तमान में 30 प्रशिक्षुओं का चतुर्थ बेसिक स्की कोर्स का आयोजन मुनस्यारी (पिथौरागढ़) में किया जा रहा है।

24.2.9 स्टेडियम एवं इंडोरहॉल निर्माण योजना:– प्रदेश में स्थापित स्टेडियम एवं इंडोरहॉल में प्रतिवर्ष लगभग 15000 बालक एवं बालिकाएं खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु ₹2265.05 लाख बजट के सापेक्ष ₹ 352.23 लाख की धनराशि निर्माण कार्यों हेतु व्यय की जा चुकी है।

24.2.10 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु योजना:– राज्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु वर्तमान तक ₹ 6466.86 लाख की धनराशि से 18 निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना हेतु ₹ 1000.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹ 204.48 लाख की धनराशि निर्माण कार्यों हेतु व्यय की जा चुकी है।

24.3 केन्द्र पोषित योजनायें:–

24.3.1 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु योजना:– राज्य में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन तथा अवस्थापना सुविधाओं का नवीन तकनीक के आधार पर विकासित किया गया है।

24.3.2 खेलों इंडिया योजना:– इस योजना हेतु वर्तमान में परेड ग्राउण्ड, देहरादून में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल तथा हरिद्वार के रोशनाबाद हॉकी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ बिछाये जाने का कार्य किया जा रहा है।

वर्ष की उपलब्धियों

- उत्तराखण्ड़ राज्य सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम द्वारा प्रथम बार विजय हजारे ट्राफी में प्रतिभाग करते हुए प्रतियोगिता के अन्तर्गत आयोजित 08 मैचों में से 07 मैचों पर विजय हासिल की तथा रणजी ट्राफी में प्रथम बार प्रतिभाग कर क्वॉटर फाइनल में प्रवेश कर प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया गया।
- महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आई0सी0सी0 द्वारा अर्न्तराष्ट्रीय क्रिकेट में अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश के मध्य 20–20 क्रिकेट श्रंखला का आयोजन किया गया।
- उत्तराखण्ड़ राज्य के होनहार बैड़मिन्टन खिलाड़ी **श्री लक्ष्य सेन** द्वारा जूनियर एशियन बैड़मिन्टन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक अर्जित कर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया जों 53 साल के पश्चात भारत द्वारा अर्जित सफलता है।
- अक्टूबर 2018 में आयोजित यूथ ओलम्पिक खेल में **श्री लक्ष्य सेन** द्वारा बैड़मिन्टन प्रतियोगिता में रजत पदक व **श्री सूरज पंवार** द्वारा एथलेटिक्स में रजत पदक अर्जित कर देश व प्रदेश का नाम विश्व पटल पर गौरवान्वित किया।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल
Youth Welfare & PRD

युवाओं में आत्मनिर्भरता, अनुशासन तथा साम्प्रदायिक मेल–जोल की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग द्वारा जिला सैक्टर एवं केन्द्र/राज्य सैक्टर के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विभाग द्वारा राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में युवक/महिला मंगल दलों का सम्बद्धीकरण कर ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आर्थिक सहायता, उत्कृष्ट कार्य करने वाले दल के युवाओं को **विवेकानन्द यूथ एवार्ड** प्रदान किया जाता है। प्रान्तीय रक्षक दल के अन्तर्गत युवाओं को चयन कर उन्हे 22 दिवसीय अर्द्धसैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है इसके अतिरिक्त पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों को रोजगारपरक व्यवसायों–वाहन चालक,कम्प्यूटर ऑपरेटर/लिपिक, गार्ड माली आदि का प्रशिक्षण प्रदान कर विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी विभागों में तैनाती दी जाती है।

विभाग द्वारा **खेल महाकुम्भ** के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु न्याय पंचायत, विकास खण्ड़,जनपद एवं राज्य स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन कर उन्हे राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करवाया जाता है।

24.4 जिला सेक्टर योजनायें :–

24.4.1 ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता– योजनान्तर्गत कुल ₹ 106.55 लाख की धनराशि का स्वीकृत बजट के सापेक्ष माह दिसम्बर 2018 तक ₹ 9.40 लाख की धनराशि का व्यय किया गया है। वर्तमान में खेलकूद प्रतियोगिताओं को आयोजन किया जा रहा है।

24.4.2 युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन– योजनान्तर्गत कुल ₹ 28.94 लाख की धनराशि स्वीकृति हुई है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक ₹ 8.37 लाख का उपयोग किया गया है।

24.4.3 समाज सेवा/सुरक्षा कार्य– स्वयं सेवकों से समय–समय पर मेलों, तीर्थयात्रा, दैवीय आपदाओं के समय सामाजिक सुरक्षा एवं समाज सेवा सम्बन्धी कार्य सम्पादित कराये जाते है। इस योजना में कुल ₹ 1523.04 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹ 1133.44 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

24.4.4 विवेकानन्द यूथ अवार्ड– योजनान्तर्गत कुल ₹ 2.22 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसके सापेक्ष वर्तमान तक ₹ 1.98 लाख का उपयोग किया गया है।

24.4.5 युवा केन्द्र की स्थापना/रख–रखाव– युवा कल्याण प्रशिक्षण संचालित करने,सांस्कृतिक/साहसिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, स्वैच्छिक संस्थाओं की विकास में भागीदारी सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जनपदों में युवा केन्द्र स्थापित किये जाते हैं। इस योजना में ₹ 22.00 लाख अवमुक्त के सापेक्ष ₹ 21.38 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया है।

24.4.6 ग्रामीण व्यायाम शालाओं का संचालन– योजनान्तर्गत ₹ 6.90 लाख अवमुक्त के सापेक्ष ₹ 0.71 लाख का उपयोग किया गया है।

24.4.7 व्यावसायिक प्रशिक्षण– इस योजना में कुल ₹ 32.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है जिसके सापेक्ष ₹ 13.03 लाख अवमुक्त हुए है तथा माह दिसम्बर 2018 तक ₹ 11.52 लाख का उपयोग किया गया है।

24.4.8 छोटे खेल मैदानों का निर्माण– इस योजना में कुल ₹ 3.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है। इससे जनपद में खेल मैदानों के रखरखाव/निर्माण कार्य का प्रस्ताव है।

24.5 राज्य/केन्द्र पोषित योजनायें:–

24.5.1 अनुसूचित जाति के युवाओं का प्रशिक्षण– इस योजना में कुल ₹ 70.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

15वें वित्त आयोग

विभाग द्वारा नयी स्कीम के तहत शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर 95 विकास खण्डों में ब्लॉक लेवल **यूथ रिसोंस सेंटर** निर्मित किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। राज्य युवा नीति के तहत इन सेंटरों के माध्यम से युवाओं को आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, मानसिक, सामाजिक विकास हेतु प्रोत्साहित करने का लक्ष्य है।

24.5.2 खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन– इस योजनान्तर्गत राज्य के समस्त युवाओं को खेलों में प्रतिभाग तथा प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन कर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करवाया जाता है। वर्ष 2018–19 में खेल महाकुम्भ के आयोजन हेतु ₹ 698.88 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है।

वर्ष 2017–18 के **खेल महाकुम्भ** में 3.80 लाख खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। अंडर–19 आयुवर्ग के 800 मी0 दौड़ में सफल खिलाड़ियों को 95 हीरो स्कूटर एवं उपविजेता खिलाड़ियों को 95 साइकिल प्रदान की गयी। दो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को 51–51 हजार की नगद धनराशि पुरस्कार स्वरुप प्रदान की गयी।

24.5.3 आउटडोर फील्ड, इंडोर हॉल व मिनी स्टेडियम का निर्माण– उत्तराखड राज्य में खेल प्रतिभाओं के विकास एवं ग्रामीण युवाओं के शारीरिक सम्वर्द्धन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में आउटडोर फील्ड, इंडोर हॉल व मिनी स्टेडियम का निर्माण हेतु ₹ 100.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है। उधमसिंह नगर के विकासखण्ड गदरपुर के कूल्हा में 01 बहुउद्देशीय हॉल/मिनी स्टेडियम के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

25.5.4 साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र रखरखाव एवं प्रशिक्षण– राज्य स्तरीय साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र शिवपुरी (टिहरी) में विविध साहसिक गतिविधियों, व्हाईट वॉटर रिवर राफ्टिंग गाईड प्रशिक्षण, आपदा प्रबंधन, फस्टएड आदि का प्रशिक्षण प्रशिक्षित ट्रेनरों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। जिससे युवाओं को साहसिक खेलों में रोजगार प्राप्त होता है। योजना में कुल ₹ 3.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

24.5.5 प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों का व्यावसायिक प्रशिक्षण– इस योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 में कुल ₹ 30.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

24.5.6 शारीरिक विकास एवं प्रोत्साहन प्रशिक्षण– सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों के माध्यम से युवाओं को भर्ती मानकों के अनुसार सेना/अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती से पूर्व प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक विकासखण्ड में कैम्प स्थापित करना है। इस योजना में कुल ₹ 50.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

24.5.7 पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों को अर्द्धसैनिकों का प्रशिक्षण– नये स्वयंसेवकों को 22 दिवसीय एवं प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को 15 दिवसीय विभागीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे विविध जनपयोगी कार्य, निर्वाचन कार्य, धार्मिक पर्वों, यात्रा सीजन, मेला एवं आपदा प्रबंधन आदि कार्यों में ड्यूटी उपलब्ध करवाकर रोजगार प्रदान किया जाता है। इस योजना में कुल ₹ 25.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

24.5.8 युवा दलों को आर्थिक सहायता– युवक मंगल दल/महिला मंगल दलों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु शासकीय नीतियों के तहत स्वावलम्बन सम्बन्धी योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में कुल ₹ 25.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

25.5.9 अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम निर्माण– अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं को खेल के प्रति जोड़ने के लिए मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु क्रमशः ₹ 50.00 लाख व ₹ 10.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

25.5.10 राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य शिविर विशेष कार्यक्रम– इस योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के तहत राज्य में 59100 स्वयं सेवियों द्वारा 9 प्रकोष्ठों के माध्यम से इस योजना को संचालित किया जायेगा। सामान्य शिविरों तथा विशेष शिविरों के आयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा एकमुश्त धनराशि एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ को प्रदान की जाती है। वर्तमान तक 750 एक दिवसीय शिविरों का आयोजन किया गया है।

अध्याय–25
सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान
Information Technology and Science

25 सामान्य विवरण:– वर्ष 2018–19 में राज्य में ई–गवर्नेन्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों एवं आई.टी. आधारभूत स्थापना हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। राज्य में भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार आधारभूत संरचना एवं राज्य के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नीतियां/दिशा निर्देश तैयार किये गये हैं।

25.1 सूचना प्रौद्योगिकी नीति–2018:– राज्य की नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018 नवम्बर माह में जारी की जा चुकी है। यह नई नीति राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने तथा अनुकूल व्यवसायी वातावरण स्थापित करने में सहायक होगी। सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018 का मुख्य लक्ष्य सूचना प्रौद्योगिकी की आधारभूत संरचना के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य को पूर्ण रूप से डिजिटलीकृत तथा नेटवर्क आधारित समाज बनाना, इलेक्ट्रोनिक्स को विकास इंजन के रूप में बढ़ाया देना तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं को प्रोत्साहित कर रोजगार सृजन किया जाना है। सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018 में राज्य में निवेश आकर्षित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रोनिक क्षेत्रों में निवेशकर्ताओं को उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) नीति 2015 में प्राविधानित प्रोत्साहन के अतिरिक्त आई.टी. विभाग द्वारा भी प्रोत्साहन का प्राविधान किया गया है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण बी. पी.ओ. तथा महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित बी.पी.ओ. (Business Process Outsourcing) के लिए सब्सिडी पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

इन्वेस्टर्स समिट 2018, के दौरान आई0टी0डी0ए0 (Information Technology Development Agency) द्वारा 18 कम्पनियों के साथ एम0ओ0यू0 (Memorandum of Understanding) हस्ताक्षरित किये गये, जिसमें कुल निवेश लगभग ₹ 5000 करोड़ है। इसके सापेक्ष तीन कम्पनियां एस0टी0पी0आई0 (Software Technology Parks of India), देहरादून में कार्यशील हो चुकी है।

25.2 उत्तराखण्ड Right of Way 2018 पालिसी/दिशा निर्देश:– सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्य की प्रथम Right of Way Policy 2018 नवम्बर, 2018 में जारी की गयी है। इस नीति (Policy) में राज्य में संचार हेतु ऑप्टिकल फाईबर बिछाये जाने, मोबाईल टावर स्थापित किये जाने की प्रक्रिया हेतु दिशा-निर्देश/अनुदेश जारी किये गये हैं। इससे राज्य में संचार व्यवस्था हेतु दूरसंचार/इण्टरनेट सेवा प्रदाता कम्पनियों को दूरसंचार अवस्थापना प्रक्रिया में आसानी होगी। इससे राज्य के पर्वतीय तथा संचार दृष्टि से डार्क क्षेत्रों में संचार व्यवस्था सुचारू हो पायेगी।राज्य में सुशासन (Good Governance) हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत निम्न कार्य चलाये जा रहे हैं–

25.3 ई–शासन (E-Governance):– राष्ट्रीय ई–शासन योजना के अन्तर्गत ई–डिस्ट्रिक्ट, यू0के0 स्वान, स्टेट डाटा सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर (सी0एस0सी0) तथा स्टेट पोर्टल एवं एस.एस.डी.जी. (State Portal & State Service Delivery Gateway) परियोजनायें स्वीकृत की गयी थी। वर्तमान में संचालित योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है:–

25.3.1 ई–जिला (E-District):– ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना का क्रियान्वयन राज्य के समस्त जनपदों में किया गया है। इस परियोजना का आरम्भ पौड़ी जनपद से किया गया था। पौड़ी जनपद में वर्तमान में 16 नागरिक केन्द्रित सेवायें प्रदान की जा रही हैं, जबकि अन्य जनपदों में 13 सेवायें प्रदान की जा रही हैं। परियोजना हेतु एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एन0आई0सी0 के माध्यम से विकसित किया गया है। वर्तमान में ई–डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जी0टू0सी0 (सरकार से नागरिक) सेवायें 132 ई–डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों तथा 5408 कार्यशील कॉमन सर्विस सेन्टर (सी0एस0सी0) के माध्यम से प्रदान की जा रही है। **अभी तक 70.38 लाख से अधिक आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है।**

पूर्व में ई–डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन्स को एन.आई.सी. (National Informatics Centre) द्वारा नेशनल क्लाउड–मेघराज पर अपलोड किया गया था, जो अब स्टेट डाटा सेंटर पर माईग्रेशन कर दी गयी है।

वर्तमान में ई–डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से राजस्व, गृह, पंचायती राज, ग्राम्यविकास, शहरी विकास, रोजगार एवं समाज कल्याण विभाग की निम्नलिखित सेवायें प्रदान की जा रही हैं–

1. जाति प्रमाण पत्र
2. आय प्रमाण पत्र
3. स्थायी निवास प्रमाण पत्र
4. चरित्र प्रमाण पत्र (सामान्य तथा कान्ट्रेक्टर)
5. हैसियत प्रमाण पत्र
6. पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र
7. स्वतंत्रता सैनानी आश्रित प्रमाण पत्र
8. उत्तरजीवी प्रमाण पत्र
9. जन्म प्रमाण पत्र
10. मृत्यु प्रमाण पत्र
11. रोजगार पंजीकरण
12. परिवार रजिस्टर प्रति प्राप्त करना
13. परिवार रजिस्टर में प्रविष्टि
14. वृद्धावस्था पेंशन
15. विधवा पेंशन
16. विकलांग पेंशन

25.3.2 उत्तराखण्ड स्वान (Uttarakhand SWAN):– उत्तराखण्ड क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (यू0के0 स्वान) नामक सुरक्षित नेटवर्क स्थापित किया गया है।स्वान का संचालन वर्टीकल कनेक्टिविटी के रूप में 133 प्वाइंट ऑफ प्रजेन्स (PoPs) के माध्यम से किया जा रहा है। स्वान के अन्तर्गत राज्य मुख्यालय से जिला मुख्यालय तथा तहसील/ ब्लॉक मुख्यालय तक बैंडविड्थ कनेक्टिविटी प्रदान की गयी है।

वर्तमान में स्वान नेटवर्क के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न विभागों के लगभग 1400 कार्यालय संयोजित किये गये हैं। भविष्य में लक्ष्य है, कि राज्य के समस्त विभागों एवं उनके क्षेत्रीय कार्यालयों को इस नेटवर्क से जोड़ा जाय। स्वान को जनपद स्तर तक नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एन0के0एन0) से एकीकृत किया जा चुका है। ब्लॉक/ तहसील स्तर तक पूर्व 2 एम.बी.पी.एस. कनेक्टिविटी को 10/35 एम.बी.पी.एस. में अपग्रेड किया जा चुका है। नेटवर्क के संचालन एवं प्रबन्धन हेतु Facility Management Service (FMS) हेतु प्रत्येक प्वाइंट ऑफ प्रजेन्स (PoP) पर वर्तमान में मैसर्स आई.एल. एण्ड एफ.एस. के माध्यम से 197 मानव संसाधन तैनात किये गये हैं।राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017 में स्वान में स्थापित उपकरणों को आधुनिक तकनीकी से अपग्रेड किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके सापेक्ष प्रथम चरण का अपग्रेडेशन कार्य राज्य मुख्यालय तथा पांच जनपदों देहरादून, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं चम्पावत में किया जा रहा है। शेष जनपदों में अपग्रेडेशन द्वितीय चरण में किया जाना जाना प्रस्तावित है।

25.3.3 उत्तराखण्ड राज्य डाटा केन्द्र (Uttarakhand State Data Centre):– एन.ई.जी.पी. (National e-Governance Plan) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्टेट डाटा सेंटर परियोजना स्वीकृत की गयी थी। आई0टी0डी0ए0 (Information Technology Development Agency) द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी भवन, आई.टी. पार्क में 'स्टेट डाटा सेंटर' की स्थापना की गयी है। यह डाटा सेंटर सॉफ्टवेयर आधारित अत्याधुनिक तकनीकी – HCI-Hyper Convergent Infrastructure युक्त है। उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित यह डाटा सेंटर देश में राजकीय संस्थाओं के अन्तर्गत इस अत्याधुनिक तकनीकी का प्रथम डाटा सेंटर है।

स्टेट डाटा सेंटर का उद्घाटन दिनांक 26 नवम्बर, 2018 को किया गया है। स्टेट डाटा सेंटर पर राज्य के समस्त विभागों के एप्लीकेशन/डाटा स्थापित किया जाना है। वर्तमान में स्टेट डाटा सेंटर पर ई–डिस्ट्रिक्ट, ई–गेटपास सिस्टम, सी.एम. डैश बोर्ड का माईग्रेशन किया गया है। शीघ्र ही उत्तराखण्ड स्टेट पार्टल एवं अन्य विभागों के एप्लीकेशन्स भी स्टेट डाटा सेंटर पर स्थापित किये जायेंगे।

25.3.4 कॉमन सर्विस सेन्टर अथवा देवभूमि जनसेवा केन्द्र (Common Service Centre, CSC):– राज्य में कुल 9622 कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किये गये हैं, जिनमें से 7619 कॉमन सर्विस सेंटर ग्राम पंचायतों में स्थापित हैं। 5473 कॉमन सर्विस सेंटर ई–डिस्ट्रिक्ट सेवाओं हेतु अधिकृत किये गये हैं। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से नागरिकों को ई–डिस्ट्रिक्ट एवं राज्य तथा केन्द्र की अन्य G2C (सरकार से नागरिक) सेवायें प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से विभिन्न B2C (व्यापार से नागरिक) सेवायें भी प्रदान की जा रही है। जबकि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से नागरिकों को अन्य सेवायें यथा–विद्युत बिल भुगतान, उत्तराखण्ड चुनाव आयोग से सम्बन्धित, कोषागार ई–चालान, राज्य सरकार की ई–डिस्ट्रिक्ट

16 सेवायें, आधार से सम्बन्धित सेवायें इत्यादि भी प्रदान की जा रही हैं।

कॉमन सर्विस सेंटर केन्द्रों के माध्यम से निम्नलिखित सेवायें प्रदान की जा रही हैं–

B2C Services

- Mobile Bill Payment
- Mobile Recharge
- DTH (Direct To Home)
- Money Transfer
- Data Card
- CSC Baazar
- LIC Premium
- Red Bus
- SBI Life
- Bill Cloud

Educational Services

- Adult Literacy
- IGNOU Services
- National Institute of Electronics & Information Technology Services i.e. (Online Examinations)
- NIOS (National Institute of Open Schooling) Services
- MKCL (Maharashtra Knowledge Corporation Limited) Services
- Digital Literacy

Health Services

- Apollo Registration
- Telemedicine
- Jan Ausadhi

Financial Services

- Banking
- Insurance
- Pension

Other Services

- Agriculture
- Recruitment
- Jeewan Pranam
- Income Tax Filling
- Skill Development
- Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC)
- Training Sarkari Pariksha
- Ayushman Bharat Golden Card Print

25.4 वीडियो कान्फ्रेंसिंग (Video Conferencing):– वीडियो कान्फ्रेंसिंग के अन्तर्गत दो चरणों में परियोजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है। इसमें प्रथम चरण के अन्तर्गत राज्य मुख्यालय में स्थापित प्रमुख कार्यालय यथा राजभवन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव, सचिवालय में सचिव स्तर तक स्वान केन्द्र, जनपद मुख्यालय, हरिद्वार जनपद में बहादराबाद में ग्राम पंचायत स्तर तक वीडियो कान्फ्रेंसिंग की स्थापना हेतु कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है, जो मार्च 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। आगामी वर्ष में द्वितीय चरण के अन्तर्गत शेष कार्यालयों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है।

25.5 अद्वितीय आई0डी0 (AADHAR):–

- 31 दिसम्बर 2018 तक 109.71 लाख (98.9 प्रतिशत) आधार बनाये जा चुके हैं।
- 31 दिसम्बर 2018 तक 5 वर्ष से कम आयु के 8.21 लाख (81.1 प्रतिशत) आधार बनाये जा चुके हैं।
- 31 दिसम्बर 2018 तक 5 वर्ष से अधिक एवं 18 वर्ष से कम आयु के 26.74 लाख (83.3 प्रतिशत) आधार बनाये जा चुके हैं।

25.6 National Optical Fiber Network (NOFN):– डिजिटल इन्डिया के अन्तर्गत राज्य के समस्त ग्राम पंचायत स्तर पर ऑप्टिकल फाईबर नेटवर्क से जोड़े जाने हैं, जिससे विभिन्न विभागों में services delivery improve हो सके। नवम्बर, 2018 तक कुल 1376 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाईबर नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है।

25.7 सी0एम0 डैश बोर्ड "उत्कर्ष" (CM Dashboard):– आई0टी0डी0ए0 (Information Technology Development Agency) द्वारा मुख्यमंत्री डैश बोर्ड **'उत्कर्ष'** गत वर्ष विकसित किया गया था। इसके माध्यम से एक ही पटल से राज्य में संचालित विभिन्न परियोजनाओं/कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सम्भव हो पाया है। सी0एम0 डेशबोर्ड पर 32 विभागों को जोड़ा जा चुका है विभागों द्वारा योजनाओं की प्रगति प्रत्येक 10 तारीख तक प्रविष्टित की जाती है। वर्तमान में 'उत्कर्ष' पर 210 के.पी.आई. (Key Performance Indicator), 142 प्राथमिकता प्रोग्राम एवं 61 राज्य प्राथमिकता प्रोग्राम कुल 413 प्रोग्राम व इन्डीकेटर उपलब्ध हैं।

जनपदों को भी सी0एम0 डैशबोर्ड में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो मार्च 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

25.8 ई–गेटपास (e-Gatepass):– आई0टी0डी0ए0 द्वारा विकसित कराया गया 'उत्तराखण्ड ई–गेटपास' राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से नागरिकों को राजकीय कार्यालयों/ परिसरों में अप्वाइंटमेंट हेतु साधारण डिजिटल प्रक्रिया विकसित की गयी है। इसके अन्तर्गत https://egatepass-uk.in पर आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध है। उत्तराखण्ड सचिवालय में ई–गेटपास सिस्टम का क्रियान्वयन किया जा चुका है, जिसके माध्यम से अभी तक इस सिस्टम के माध्यम से 20 हजार से अधिक ऑनलाईन पास जारी किये जा चुके हैं।

'विश्व योग दिवस 2018' 21 जून 2018 को वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के आयोजन में प्रधानमंत्री जी के प्रतिभाग के समय ई–गेटपास सिस्टम को क्रियान्वित किया गया था। इस आयोजन में बहुत ही अल्प अवधि में 65060 पास ई–गेटपास सिस्टम के माध्यम से जारी किये गये थे।

ई–गेटपास सिस्टम का विधानसभा, राजभवन, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं अन्य विभागों में भी क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

25.9 स्मार्ट गांव:– आई0टी0डी0ए0 (Information Technology Development Agency) को चमोली जनपद के दूरस्थ ग्राम– घेस एवं हिमनी में कनेक्टिविटी प्रदान कर स्मार्ट विलेज बनाने की पहल की गयी है।

स्मार्ट विलेज 'घेस–हिमनी' में विभिन्न सेवायें नागरिकों को प्रदान की जा रही है– यथा– ई–मेडिशन, ई–पशु, स्मार्ट क्लास, प्रधानमंत्री डिजिटल ग्रामीण साक्षरता एवं कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से विभिन्न सेवायें प्रदान की जा रही है।

25.10 डिजीलॉकर (Digilocker):– डिजिटल लॉकर प्लेटफार्म डिजिटल इण्डिया प्रोग्राम के तहत भारत सरकार की एक पहल है। डिजिटल लॉकर, डिजिटल तरीके से दस्तावेजों और प्रमाणपत्र जारी करने और सत्यापन के लिये एक मंच प्रदान करता है, इस प्रकार पेपरलेस शासन को सक्षम बनाता है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 01 जुलाई, 2015 को डिजिटल लॉकर मंच लॉन्च किया। डिजिटल लॉकर प्लेटफॉर्म जारी कर्ताओं, अनुरोधकर्ताओं, वेरिफायर और नागरिकों को एक मंच पर लाता है और जारी किए दस्तावेजों की सटीकता और प्रमाणिकता सुनिश्चित करता है।

राज्य सरकार की ई–डिस्ट्रिक्ट सेवाओं से सम्बन्धित 15.73 लाख सर्टीफिकेट नागरिकों को डिजिटल लॉकर के माध्यम से जारी किये गये हैं। राज्य में कुल 92.4 हजार डिजिटल लॉकर क्रियान्वित किये जा चुके हैं।

डिजिटल लॉकर के क्रियान्वयन हेतु 10 राजकीय विभागों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। डिजिटल लॉकर के उपयोग हेतु उपयोगकर्ता विभिन्न राजकीय विभागों के लिए आई0टी0डी0ए0 (Information Technology Development Agency) द्वारा दिनांक 17.12.2018 को कार्यशाला आयोजित की गयी।

डिजिटल लॉकर के माध्यम से निम्नलिखित विभागों की सेवायें नागरिकों को प्राप्त होंगी–

- विद्यालय शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
- तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
- उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
- स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड।
- परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड।
- खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग, उत्तराखण्ड।
- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
- पुलिस एवं गृह विभाग उत्तराखण्ड।
- कर्मचारी चयन आयोग विभाग, उत्तराखण्ड।
- भू– अभिलेख विभाग, उत्तराखण्ड।
- ई– डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली समस्त सेवायें।

25.11 एरोस्टेट (बैलून) परियोजना (AEROSTAT-Baloon Project):– आई.टी.डी.ए. द्वारा भारत सरकार को पी.डी.एफ. के अन्तर्गत एरोस्टेट (बैलून) के परिकल्पना की प्रमाणिकता (Proof of concept) हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया। भारत सरकार द्वारा नेशनल ई–गवर्नेन्स डिवीजन के माध्यम से बैलून के पी.ओ.सी. हेतु 50 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। आई.टी.डी.ए. द्वारा IIT Bombay के साथ मिलकर 'बैलून' तैयार किया गया। बैलून का पहला परीक्षण अहमदनगर में तथा दूसरा परीक्षण आई0टी0 पार्क, देहरादून में दिनांक 08 जून 2018 को मा0 मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में किया गया।

'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (PMGDISHA)

कॉमन सर्विस सेंटर संचालक (ग्रामीण उद्यमियों) के माध्यम से प्रथम चरण में **'नेशनल डिजिटल साक्षरता मिशन'** के तहत राज्य में 1.98 लाख ग्रामीणों को डिजिटल साक्षरता प्रदान की गयी थी। द्वितीय चरण में **'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान'** के अन्तर्गत सी0एस0सी0 के माध्यम से 5.06 ग्रामीण व्यक्तियों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य है। डिजिटल साक्षरता अभियान के अन्तर्गत अभी तक 2.33 लाख ग्रामीणों का पंजीकरण किया गया जिसके सापेक्ष 2.12 लाख को प्रशिक्षित किया जा चुका है एवं 1.27 लाख को प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं।

25.11.1 एरोस्टेट तकनीक (बैलून):– एरोस्टेट एक प्रकार के हवाई प्लेटफार्म हैं जिनको उत्पलव बल के आधार पर उठाने के लिए हवा से भी हल्की वायु (LTA) द्वारा आवश्यक उद्वाहकता प्रदान की जाती है। एरोस्टेट जमीन से जुड़े रहते हैं तथा इनके कई संभावित अनुप्रयोग (Applications) हैं जो कई महत्वपूर्ण कार्यों के सम्पादन हेतु माध्यम बनते हैं। इन्हें किसी इंधन के बिना भी लम्बे समय तक हवा में बनाए रखा जा सकता है। इन एरोस्टेट में बहुत कम कम्पन होने से इनके द्वारा संचार, ऊपर से निगरानी, मौसम की जानकारी तथा अन्य कार्यों में भी सहायता प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार के बैलून एरोस्टेट का आवरण विषेष प्रकार के PVC की परत चढ़ी पदार्थ के आठ फल्कों को जोड़कर आर0एफ0 मशीन से सील कर तैयार किया जाता है। इन बैलून में लचीले पंखनुमा आकार भी तैयार कर जोड़े जाते हैं, तथा इन्हें एल्यूमिनियम के जाल के अन्दर रखकर पतली पारदर्शी PVC सीट से कवर किया किया जाता है।इन गुब्बारों को हाथ से चरखी के द्वारा ऊपर व नीचे (संचालित) किया जाता है तथा इनमें एक ऐसा उपकरण भी लगाया जाता है कि यदि किसी कारण से इनकी डोर जमीन से टूट जाती है तो, यह उपकरण स्थापित तनाव की कमी को पाते हुये, स्वतः ही चिंगारी छोड़ते हुये, बैलून के ऊपरी भाग में एक छेद कर देता है, जिससे बैलून की उत्पलव की स्थिति में कमी आ जाती है तथा वह धीरे–धीरे नीचे आ जाता है। बैलून को उपुयक्त वाहन में स्थापित कर आवश्यकतानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर कम समय में क्रियाशील किया जा सकता है। आपातकालीन परिस्थितियों में इसमें लगे उपकरणों को सौरऊर्जा के माध्यम से तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है। एक बैलून के माध्यम से प्रभावित अधिकतम क्षेत्र आच्छादित किया जा सकता है, जिसके अन्तर्गत 5 एम.बी.पी.एस तक डाटा गति प्राप्त हो सकती है।

25.12 'ड्रोन' एवं 'साईबर सिक्योरिटी' प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र:– सूचना प्रौद्योगिकी भवन में नेशनल टेक्निकल रिसर्च संस्थान (NTRO), भारत सरकार के सहयोग से 'ड्रोन' प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गयी है। इसके अतिरिक्त भवन में एन.सी.आई.आई.पी.सी. (National Critical Information Infrastructure Protection Centre) भारत सरकार के सहयोग से साईबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों का उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा 9 जुलाई 2018 को किया गया।

'ड्रोन' तकनीकी पर अभी तक दो प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण किये जा चुके हैं– 6 अगस्त 2018 से आरम्भ किये गये 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस, आपदा, वन एवं आई.टी.डी.ए., के 14 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। नवम्बर 2018 में पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम महानिदेशक, नगरविमानन कार्यालय के 14 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। साईबर सिक्योरिटी पर भी आई.टी.डी.ए. द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र के उद्घाटन पर कार्यशाला आयोजित की गयी।

कॉमन एप्लीकेशन पोर्टल (CAP)

आई.टी.डी.ए. द्वारा भारत सरकार के उपक्रम सी.एस.सी. इण्डिया लि. के साथ CAP विकसित किये जाने हेतु एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को राज्य की नागरिक केन्द्रित सेवायें ऑन लाईन तथा सी.एस.सी. के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेंगी। इसके अन्तर्गत 26 विभागों की 272 सेवाओं का चयन कर लिया गया है, जिनमें से 7 विभागों के 18 सेवाओं हेतु ई–फार्म विकसित किये जा चुके हैं। भविष्य में कॉमन एप्लीकेशन पोर्टल के माध्यम से 700 से अधिक सेवायें उपलब्ध करायी जायेंगी।

25.13 नेशनल इन्फॉरमेशन इन्फास्ट्रक्चर (National Information Infrastructure):– नेशनल इन्फॉरमेशन इन्फास्ट्रक्चर (एन0आई0आई0) के पॉयलट क्रियान्वयन हेतु देश के 7 जनपदों में

उत्तराखण्ड के हरिद्वार जनपद का चयन किया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत हरिद्वार जनपद के 6 ब्लॉक/तहसील तथा 220 ग्राम पंचायतों एवं ग्राम पंचायत के 660 हॉरिजॉन्टल कार्यालयों (स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी आदि) को जोड़े जाने का लक्ष्य था। हरिद्वार जनपद में एन.आई.आई. के अन्तर्गत कनेक्टिविटी का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है।

विज्ञान (Science)

राज्य के विभिन्न विकास कार्यक्रमों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रभावी बनाने हेतु निम्न संस्थान कार्यरत हैः–

- उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (Uttarakhand Space Application Centre, USAC)
- यू–कॉस्ट (Uttarakhand State Council for Science & Technology, UCOST)
- यूसर्क (Uttarakhand Science Education and Research Centre, USERC)
- उत्तराखण्ड जैवप्रौद्योगिकी परिषद (Uttarakhand Council for Biotechnology)

विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये जा रहे प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–

25.14 उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (Uttarakhand Space Application Centre, USAC):–

केन्द्र द्वारा सुदूर संवेदन एवं अन्तरिक्ष संचार के क्षेत्र में कार्यो को कराना, उनको आगे बढ़ाना, मार्गदर्शन प्रदान करना, समन्वय करना, अनुसंधान और विकास में सहयोग, अन्तरिक्ष तकनीक के उपयोग द्वारा समस्त प्राकृतिक संसाधनो के अनुश्रवण और आंकलन हेतु सर्वेक्षण, अन्तरिक्ष तकनीक के उपयोग द्वारा भूमि उपयोग के तरीकों, बदलते पर्यावरण, सिंचन पद्धतियों, वानिकी संसाधनों तथा फसलों की बीमारियों को पता लगाने इत्यादि के अनुश्रवण हेतु बहुसामयिक सर्वेक्षण तथा अन्तरिक्ष तकनीक से सम्बन्धित क्रियाकलापों का क्षेत्रीय सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। जिसमें वर्ष 2018–19 में किये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–

1– गवर्नर हाउस एवं यूसैक द्वारा संयुक्त रूप से 'सोशियो–इकोनोमिक एटलस ऑफ उत्तराखण्ड शीर्षक पर आधारित एटलस सृजन का कार्य पूर्ण किया गया है। इस एटलस में उत्तराखण्ड के 13 जनपदों के जनपदवार बेस मैप (प्रमुख स्थान, रोड़ व ड्रेनेज नेटवर्क), सरकारी इण्टरमीडिएट स्कूल मैप, पुलिस फायर स्टेशन और हेल्थ सेंटर मैप, कृषि विज्ञान केंद्र, आर. एफ. सी. गोडाउन एवं स्किल डेवलपमेन्ट सेंटर मैप, टूरिस्ट रेस्ट हाउस व हेलिपैड मैप, लैंड यूज/लैंड कवर मैप तथा रोड़ व रेलवे नेटवर्क मैप तैयार किये गये।

2– देहरादून शहर में मोटर मार्गों से लगे हुए अतिक्रमण क्षेत्रों के ध्वस्तीकरण हेतु पायलट अध्ययन के लिए प्रिंस चौक से रिस्पना पुल क्षेत्र का हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा एम.डी.डी.ए, देहरादून को उपलब्ध कराया गया।

3– वर्ष 2015–16 के सैटेलाइट डेटा के उपयोग से राज्य का लैण्ड यूज/लैण्ड कवर जियोस्पाशियल डेटाबेस सृजित किया गया है इसके अंतर्गत समस्त मानचित्र को 51 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है इनमें अधिवास, कृषि भूमि (खरीफ, रबी, जायद), वन, चारागाह, परती भूमि, जलग्राही क्षेत्र एवं बर्फ–हिमनद आदि प्रमुख हैं।

4– वर्ष 2015–16 के सैटेलाइट डेटा के उपयोग से राज्य का लैण्ड डिग्रेडेशन जियोस्पाशियल डेटा बेस सृजित किया गया है इसके अंतर्गत समस्त मानचित्र को पांच प्रमुख वर्गों– वाटर इरोजन, वाटर लॉगिंग, ग्लेशियल, एंथ्रोपोजेनिक तथा अन्य में वर्गीकृत किया गया है।

5– वर्ष 2014–15 के सैटेलाइट डेटा के उपयोग से अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़ जनपदों के कुल 13 जलागम क्षेत्रों के भू–उपयोग/भू–आवरण मानचित्र 1:10000 स्केल पर तैयार किये गये हैं।

6– उत्तराखण्ड वन विभाग के अनुरोध पर भागीरथी इको–सेंसिटिव जाने के लैण्ड यूज/लैण्ड कवर, ड्रेनेज सिस्टम, अधिवास आदि मानचित्र तैयार कर उक्त विभाग को सौंपे गये।

7– उत्तराखण्ड राज्य के सुदूर स्थित जनपदों– चमोली, रुद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी में स्थित विद्यालयों के छात्रों व रेखीय विभाग के अधिकारियों को सुदूर संवदेन तकनीक की जानकारी कार्यशाला के माध्यम से दी गयी व जल संरक्षण सम्बन्धी जानकारी भी विषय–विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की गयी।

8– यूसैक निदेशक द्वारा सिंचाई विभाग गैरसेण (थराली) डिवीजन एवं दुगड्डा डिवीजन के अनुरोध पर रामगंगा एवं नयार कैचमेंट में

बहुउद्देशीय वाटर पूल्स हेतु उपयुक्त स्थानों के चयन के लिए क्षेत्र भ्रमण किया गया और इसके तहत चिन्हित स्थान रामगंगा नदी एवं थल नदी हेतु साईट सलेक्शन कर उसकी विस्तृत भू–गर्भीय रिपोर्ट क्रमशः अधिशासी अभियन्ता थराली एवं दुगड्डा को उपलब्ध करायी गयी।

9– उपग्रहीय आंकड़ो की सहायता से पूर्वी व पश्चिमी नयार नदियों किनारे झीलों, मत्स्य पालन व सिंचाई हेतु तालाबों व वाटर टूरिज्म विकास हेतु स्थानों का चयन किया जा रहा है। इसी क्रम में मत्स्य विभाग के अधिकारियों को जी.पी.एस. प्रशिक्षण व परियोजना के तहत हो रहे कार्यों का प्रस्तुतीकरण भी दिया गया।

10– वाटर रिसोर्सेज डिवीजन द्वारा उत्तराखण्ड मत्स्य विभाग के लिये मत्स्य विभाग द्वारा आवंटित मत्स्य बहुल तालाबों की जियो–टैगिंग कर ऐप तैयार की जा रही है।

11– रिमोट सेंसिंग एवं ग्राउंड सैंपल का उपयोग कर राज्य के जिलों का स्थलीय वनस्पति कार्बन आंकलन किया गया।

12– उत्तराखंड राज्य के चयनित जिलों में औषधीय पादप प्रजातियों के लिए उपयुक्त स्थानों के चयन हेतु जीपीएस आधारित प्रारंभिक क्षेत्र सर्वेक्षण किया गया।

13– वर्ष 2016 के लिए 4 सैटेलाइट डेटा के उपयोग से देहरादून जनपद में वन प्रकारों का मानचित्रीकरण किया गया है।

14– उत्तराखंड राज्य के लिये नियर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेस्ट फायर का भौगोलिक अक्षांश और देशातंर के स्थान के आधार पर वनाग्नि अलर्ट और बर्न्ट एरिया मैपिंग का कार्य किया गया।

15– राज्य के उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर के कुछ चिन्हित जगहों का फील्ड सर्वे किया गया। इसके तहत इन जनपदों के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की सहायता से वन प्रकार, बायोमास, पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के मूल्याकंन, जलवायु परिवर्तन तथा औषधीय पादपों से संबंधित एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण किया गया।

16– पिथौरागढ़ जनपद के गंगोलीहाट ब्लॉक में अवस्थित 10 बड़ी गुफाओं का जी.पी.एस. आधारित फील्ड सर्वेक्षण कर सूचनाएं एकत्रित की गई हैं। इनमें पाताल भुवनेश्वर, मुक्तेश्वर, शीतलादेवी, शैलेश्वर, गुप्तगंगा, मैलचौरा, दानेश्वर, सिंकोटेश्वर, भृगुतुंग और भोलेश्वर आदि शामिल है।

17– 30 से अधिक पवित्र प्राकृतिक स्थलों के प्राकृतिक तंत्र सेवाओं का आंकलन किया जा चुका है।

18– विगत 15 वर्षों में गेहूं फसल की उत्पादकता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन किया गया।

19– अल्मोड़ा जनपद में मल्टी–टेम्पोरल सैटेलाइट डेटा के उपयोग से विगत 27 वर्षों में कृषि भूमि में आए बदलावों का अध्ययन किया गया।

20– उत्तराखण्ड राज्य के टिहरी जनपद में झंगोरे की फसल तथा अल्मोडा और पौड़ी जनपदों में मंडुआ की फसलों का मानचित्रीकरण किया गया है।

21– उत्तराखण्ड राज्य में 7 जिलों के लिए बागवानी आच्छादित क्षेत्र का मानचित्रीकरण किया गया।

22– उत्तराखण्ड राज्य के लिए कटाई से पूर्व रबी, जायद तथा खरीफ धान फसलो के लिए क्षेत्रफल तथा उत्पादन का आंकलन किया गया।

23– बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग में अवस्थित आधारभूत सुविधाओं के मानचित्रीकरण हेतु जीपीएस आधारित फील्ड सर्वेक्षण कार्य किया गया है।

24– सैटेलाइट डेटा के उपयोग से रुद्रप्रयाग जनपद के प्रमुख तीर्थ स्थलों का मानचित्रीकरण कार्य किया गया है।

25– राज्य के विभिन्न रेखीय विभागों के अधिकारियों, तकनीकी, इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं को रिमोट सेंसिंग एवं जी.आई.एस. आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

25.15 यू–कॉस्ट (Uttarakhand State Council for Science & Technology, UCOST):– उत्तराखण्ड स्टेट कांउसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी उत्तराखण्ड सरकार का एक स्वायत्त निकाय है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत आता है। यूकोस्ट ने अपनी गतिविधियां वर्ष 2005 की अन्तिम तिमाही में शुरू की हालांकि इसे पंजीकरण अधिनियम 1860 के पंजीकरण के तहत नवम्बर, 2002 में पंजीकृत किया गया था। दिसम्बर,

2018 तक परिषद द्वारा किये गये प्रमुख कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:–

25.15.1 पंडित दीन दयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना (Pt. Deen Dayal Upadhyay Vigyan Gram Sankul Pariyojna):– इस परियोजना के अर्न्तगत उत्तराखण्ड के सतत विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है जिसमें समुद्र तल से अलग–अलग ऊंचाई वाले 60 गांवो के 4 संकुलो, हरिद्वार जनपद में गैंडिखाता, टिहरी गढवाल जनपद में भिगुन, रूद्रप्रयाग जनपद में बजीरा और बागेश्वर जनपद में कौसानी को शामिल किया गया है। इन संकुलो को विभिन्न मूल्यवान उत्पादो और पारंपरिक शिल्पो के प्रसंस्करण में विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से समयबद्व तरीके से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना है। परियोजना के कियान्वयन के लिए डा0 महेश शर्मा, पूर्व अध्यक्ष, के0वी0आई0सी0, मुंबई की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी और प्रोजेक्ट टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो समय–समय पर इस परियोजना को अपना संपूर्ण दिशा–निर्देश प्रदान करेगा।

परियोजना में मुख्यतः उत्तराखंड में चयनित संकुलो के व्यापक विकास के लिए आधार/ढांचा तैयार करना और स्थानीय स्तर की विकास योजना तैयार करना, उत्तराखंड के चयनित संकुलो के लिए प्राकृतिक संसाधनो के आधार पर विकास योजना तैयार करना, उत्तराखंड में उचित तकनीकी समर्थन, उत्पाद की जानकारी और उपयुक्त विपणन रणनीतियों के साथ आत्मनिर्भर समूहों का विकास करना, मॉडल उत्पादन सह प्रशिक्षण, सह प्रदर्शन केंद्र की स्थापना एवं क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिए क्षेत्र विस्तार की गतिविधियों और तकनीकी सहायता समूह की स्थापना करना है।

25.15.2 प्रिपरेशन ऑफ रिसोर्स एटलस फॉर उत्तराखंड स्टेट (Preparation of Resource Atlas for Uttarakhand State):– इस परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखंड राज्य के बनने के उपरान्त यहाँ के संसाधनों के लिए एक रिसोर्स एटलस तैयार करना है जिसमें मुख्यतः राज्य में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों के विकास और इनके सतत प्रयोग के लिए एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है जिसमे कुल 14 संसाधनों को चयनित किया गया है। इन संसाधनों में मुख्यतया शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन, ऊर्जा, जल, उद्यम, पर्यटन, परिवहन, और खनिज आदि संसाधन सम्मिलित हैं। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट में कार्यरत टीम द्वारा उत्तराखंड राज्य के 13 जिलों में उपस्थित विभिन्न संसाधनों का डाटा एकत्रित किया जा चुका है और इसे संकलित किया जा रहा है।

परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखंड राज्य की पारिस्थितिक और आर्थिक चिंताओं के बीच एक संबंध स्थापित करने के लिए संकलित किया जाएगा और एक वैज्ञानिक निष्कर्ष तैयार किया जाएगा। पर्यावरण संसाधनों के साथ–साथ अन्य मापदंडों के विभिन्न पहलुओं का सामान्य डेटा एकत्र और संकलित किया जाएगा। उत्तराखंड के प्रत्येक जिले के विस्तृत विवरण के साथ संसाधन एटलस का प्रकाशन और डिजिटलीकरण, वैज्ञानिक, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और सामान्य जनता के लिए सुलभ डाटा तैयार किया जाएगा।

25.15.3 डेवलेपमेंट ऑफ रिवर बैंक फिल्ट्रेशन इन हिल रीजन फॉर सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर क्वालिटी एण्ड क्वालिटी प्रोब्लमस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर (Development of River Bank Filtration in Hill Region for Sustainable Solution for Quality and Quality Problems of Drinking Water):– परियोजना के अर्न्तगत पहाड़ी क्षेत्रों में ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी के सुधार हेतु सतपुली, कर्णप्रयाग, अगस्तमुनी, गौचर तथा श्रीनगर में तकनीकी विश्वविद्यालय, जर्मनी, उत्तराखण्ड जल संस्थान तथा उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा रिवर बैंक फिल्टरेशन तकनीक से रिवर बैंक फिल्टरेशन प्लांट स्थापित किये गये तथा भविष्य में प्रदेश में 100 नये रिवर बैंक फिल्टरेशन प्लांट स्थापित करने हेतु भारत सरकार को प्रस्तावित किया गया है। परियोजना के अर्न्तगत उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, तकनीकी विश्वविद्यालय, जर्मनी तथा उत्तराखण्ड जल संस्थान के संयुक्त सहयोग से प्रदेश के विभिन्न पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों में रिवर बैंक फिल्टरेशन तकनीक एवं ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी सम्बन्धी विभिन्न कार्यशाला एवं सेमिनार का सफल आयोजन किया गया।

25.15.4 एन्हेंसिंग लाइवलीहुड ऑफ हिमालयन कम्युनिटीज थ्रुरू एक्शन रिसर्च एंड ट्रांस्फोर्मिंग वाइल्ड प्रोडूसीस इंटू हाई वैल्यू प्रोडक्टस (Enhancing Livelihood of Himalayan Communities through Action Research and

Transforming Wild Produce into High Value Products):– परियोजना के अन्तर्गत शोध के माध्यम से कम मूल्य वाले उपलब्ध जंगली उत्पादों को उच्च मूल्य वाले उत्पादों के रूप में परिवर्तित करने के लिए तथा पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हुए उच्च मूल्य वाले उत्पादों को बढ़ावा देना है जिससे दोनों ग्रामीण समुदायों विशेष रूप से महिलाओं और उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया जा सके। इस परियोजना द्वारा एक सफल सामुदायिक मॉडल को स्थापित कराया जाना है जिससे हिमालय क्षेत्र के प्राकृतिक और जंगली उत्पादों का सतत उपयोग किया जाए जिससे इनसे जलवायु परिवर्तन पर कोई प्रभाव ना पड़े।

इस अध्ययन के लिए 33 गांवों को सम्मिलित किया गया है तथा विभिन्न प्रकार के अध्ययन (सर्वे) किए गए हैं। कुल 2997 घरों के सदस्यों से जानकारी प्राप्त की गई है। सूचना संग्रह और उत्पाद विकास के लिए विभिन्न संस्थानों की मदद ली जा रही है। इस अध्ययन के अन्तर्गत 16 विभिन्न वन्य उत्पादों का चयन किया गया है। एकत्र किए गए विभिन्न वन्य उत्पादों के फिजियोकेमिकल परीक्षण किये जा चुके हैं। उच्च मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने के लिए कई उत्पाद का परीक्षण किया जा रहा है।

25.15.5 डेवलपमेंट ऑफ स्टैन्डर्ड बेस्ड उत्तराखण्ड स्टेट जियो पोर्टल फॉर डिसेन्ट्रालाईजड गर्वनेन्स (Development of Standard Based Uttarakhand State Geo Portal for Decentralized Governance):– परियोजना के अन्तर्गत समस्त जनपदों व विभागों की डिजिटल भौगोलिक सूचनाओ को एकत्रित कर जी0आई0एस0 डाटा बेस तैयार करके जियोपोर्टल में संग्रहित कर भविष्य में नियोजन एवं नीति निर्माण हेतु भौगौलिक सूचनाओं की मदद से सूक्ष्म समय मे कार्यो को करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना के अन्तर्गत जी0आई0एस0 डेटा बेस तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि अक्षांश एवं देशांतर की जानकारी उपलब्ध है, इस परियोजना के डेटाबेस हेतु जियोपोर्टल का निर्माण किया गया है जिसमें की 3 सर्वर स्थापित किये गये है जिससे कि डेटाबेस की सर्विसेज के रूप में रेखीय विभाग उपयोग कर सके। परियोजना के अन्तर्गत राज्य स्टेयरिंग, एक्जीक्यूटिव समिति का निर्धारण किया जा चुका है जिससे की भविष्य में उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से पॉलिसिज के निर्माण में मदद मिलेगी। इस परियोजना के अन्तर्गत 13 जनपदों में जी0आई0एस0 सेल का निर्माण किया जा रहा है जिस हेतु जनपद स्तरीय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्य विकास अधिकारियों को नोडल अधिकारी मनोनित किया गया है, रेखीय विभागों के विभागाध्यक्ष को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जिससे कि विभागों की जानकारियों को जियोपोर्टल में अपलोड किया जा सके। एस0डी0आई0 परियोजना की ड्राफ्ट पालिसी भी विभिन्न विभागों को संसोधन हेतु उपलब्ध करायी जा चुकी है।

25.15.6 परियोजना प्रबन्धन ईकाई की स्थापना (Establishment of Project Management Unit – PMU):– परियोजना के अन्तर्गत जल गुणवत्ता निगरानी एवं परीक्षण हेतु परियोजना प्रबन्धन ईकाई (पी0एम0यू0) स्थापित की गयी है जिसके द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड जल संस्थान के 13 जिलों में स्थित 26 जिला एवं उप विभागीय स्तर जल गुणवत्ता विश्लेषण प्रयोगशाला का समुचित कार्यो का निर्देशन किया जा रहा है। परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के नागरिकों को साफ सुरक्षित एवं अच्छी गुणवत्ता का पानी उपलब्ध कराने के साथ–साथ पारिस्थितिकी तंत्र की अखण्डता को भी बनाये रखना है। शहरों एवं ग्रामीण इलाकों में पीने का पानी की गुणवत्ता में उच्चस्तरीय सुधार एवं राज्य में सूख गये जल स्रोतों को दोबारा से जीवंत करना है। परियोजना में समय–समय पर सभी प्रकार के जल स्रोतों जैसे–हैण्ड पम्प, स्प्रिंग, नदियां, गदेरा, ट्यूब वैल आदि के जल गुणवत्ता हेतु नमूना परीक्षण किया जाता है। जल के नमूना विश्लेषण हेतु परियोजना प्रबन्धन ईकाई द्वारा 19 वर्णित पैरामीटर (pH, अवशिष्ट मुक्त क्लोराइड, Cl, क्षारीयता, मैलापन, NO_3^-, टी0डी0एस0, फ्लोराइड, So_4^{-2}, कुल कठोरता, Ca, Mg, As, Cu, Al, Mn, Fe, *E. Coli* एवं फीकल कोलीफार्म आदि) निर्धारित किये गये है, जो कि भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) 10500 (2012) एवं NRDWP, भारत सरकार के मापदण्डों पर आधारित है। जल के नमूनों की प्रवीणता जॉच (Proficiency test) के लिए राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (NIH) रूड़की, भारत सरकार, तीसरे पक्ष के सत्यापन और प्रमाणन हेतु कार्य करेगा। परियोजना के अन्तर्गत आतिथि तक राज्य के 13 जिलों में लगभग 11013 जल स्रोत्रों के नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है

जिसमें से 2000 नमूनों का विवरण एन0आर0डी0डबलू0पी0 की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा चुका है।

25.15.7 वन आधारित आजीविका उत्कृष्टता केन्द्र – सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (Centre of Excellence on Forest Based Livelihood):– वन आधारित आजीविका पर उत्कृष्टता केन्द्र एक पायलट परियोजना है जो कि उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) में संचालित हो रही है तथा राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह परियोजना वन संसाधनों पर आधारित ग्रामीणों की आजीविका का अध्ययन कर रही है। अध्ययन से उत्पन्न जानकारी राज्य में गैर प्रकाष्ठ वन उपजों के सतत् प्रबन्धन एवं आजीविका के बेहतर अवसरों की तलाश में सहायक होगी। इस परियोजना में अब तक जमीनी स्तर पर आंकड़े एकत्रित करने के लिए टीम द्वारा कई गांवों का सर्वे किया गया है। टीम द्वारा राज्य में वन विकास निगम की बीबीवाला (ऋषिकेश), रामनगर, मंडी तथा टनकपुर (चंपावत) का सर्वे भी किया गया है। केन्द्र में एक गैर प्रकाष्ठवन उपज गैलरी की स्थापना की गयी है। टीम द्वारा एक संसाधन निर्देशिका, वार्षिक रिपोर्ट, विवरणिका एवं 2 अर्धवार्षिक समाचार पत्रिका प्रकाशित की गई हैं। परियोजना के अन्तर्गत प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जा चुका है जो कि परियोजना की समीक्षा एवं मार्गदर्शन प्रदान करती है।

25.16 यूसर्क (Uttarakhand Science Education and Research Centre, USERC):– यह केन्द्र उत्तराखण्ड में विज्ञान शिक्षा, अनुसंधान तथा वैज्ञानिक स्वभाव को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसके लिए यह केन्द्र विज्ञान शिक्षा को प्रौद्योगिकी के माध्यम से अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कॅरियर की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए गहन प्रयास कर रहा है। केन्द्र द्वारा किये गये प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

1– **"Science of Revival of Rivers"** कार्यक्रम के अन्तर्गत यूसर्क द्वारा 'रिस्पना नदी' एवं 'कोसी' नदी के पुनर्जीवीकरण हेतु जल गुणवत्ता का अध्ययन एवं अन्य वैज्ञानिक अध्ययनों के साथ जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है।

2– नवाचार परियोजना के अन्तर्गत यूसर्क में स्थापित स्टूडियों में विभिन्न विषयों पर विषय विशेषज्ञों के ई–कन्टेन्ट हेतु व्याख्यान आयोजित किये जा रहे है। अद्यतन विज्ञान के विभिन्न विषयों में 200 से अधिक व्याख्यान तैयार किये जा चुके है।

3– प्रदेश में गणित शिक्षा के समृद्धिकरण हेतु कुमांऊँ विश्वविद्यालय के एस0एस0जे0 परिसर अल्मोड़ा में गणितीय विज्ञान का उत्कृष्ट केन्द्र तथा देहरादून में 'उत्तराखण्ड स्कूल ऑफ मैथेमैटिक्स' (गणितीय कार्यक्रमों का नोडल केन्द्र) की स्थापना की गयी है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

4– केन्द्र सरकार के 'डिजिटल इण्डिया' की भावनाओं के अनुरूप यूसर्क द्वारा उत्तराखण्ड के दूरस्थ विद्यालयों तक विज्ञान शिक्षा के प्रसार हेतु 'प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा' (Technology Enabled Science Education) का कार्य किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न योजनाओं एवं जानकारियों को आमजनमानस तक पहुँचाने के लिए राज्य में डिजिटल वालेण्टियर तैयार किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

5– प्रदेश के छात्र–छात्राओं के उचित मार्गदर्शन हेतु यूसर्क द्वारा मेन्टरशिप प्रोग्राम एवं ज्ञानकोश पोर्टल का निर्माण एवं विस्तारण का कार्य किया जा रहा है।

6– केन्द्र सरकार द्वारा दिव्यांगों के हितों के लिए किये जा रहे प्रयासों के अनुरूप ही यूसर्क द्वारा 'दिव्यांग केन्द्र' की स्थापना की गयी है जिसके अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम किये जा रहे है।

7– जलगुणवत्ता के परीक्षण हेतु "Automated IOT based smart Water Quality Assessment System" शोध परियोजना द्वारा Low cost smart Water Quality Assessment equipments के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

25.17 उत्तराखण्ड जैवप्रौद्योगिकी परिषद (Uttarakhand Council for Biotechnology):– उत्तराखण्ड जैवप्रौद्योगिकी परिषद् उत्तराखण्ड की विशेषताओं का उपयोग कर नागरिकों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति सुधारने के साथ ही राज्य में विभिन्न परियोजनायें जिन में मुख्य रूप से पादप ऊतक संवर्धन, आण्विक नैदानिक एवं नैनोटेक्नोलॉजी, जैवसूचनिकी, नैनोमेटिरियल सिंथेसिस, हाइड्रोपोनिक्स, जलस्त्रोत एवं पर्यावरणीय अभियांत्रिकी व सगंध तथा औषधीय पौधों के

विश्लेषण इत्यादि पर मुख्य रूप से कार्य कर रहा है। इस संस्थान के विभिन्न क्रिया–कलापों के कारण प्रदेश के निवासियों का रूझान जैवप्रौद्योगिकी आधारित फलों, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती, ऊतक संवर्धन द्वारा पौधो का संवर्धन, पर्वतीय जीवविज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रति बढ़ रहा है जिससे उनका सामाजिक एवं आर्थिक सुधार हो रहा है। परिषद् द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है

1– जैवप्रौद्योगिकी परिषद् द्वारा गढ़वाल मंडल के गाँव उर्गम (जोशीमठ), नौटी (चमोली), पोखरी व खैरासैंण (पौड़ी) तथा कुँमाऊं मंडल के सामा (बागेश्वर) को टिश्यू कल्चर से विकसित कीवीफल, आर्किड एवं टैमरेलो के पौधों को वितरित किया गया। इन गाँवो को जैवग्राम के रूप में विकसित कर जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान को प्रदेश के अन्य गाँव तक प्रसारित किया जा रहा है जिससे किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सके।

2– उत्तराखण्ड जैवप्रौद्योगिकी परिषद् के पर्वतीय जैवप्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र (सी0 ई0 एम0 बी0) में आधुनिक प्रयोगशालाओं का सफल संचालन किया जा रहा है जिसमें प्रमुख प्रयोगशालायें निम्नवत् है :–

- पादप ऊतक सवंर्द्धन प्रयोगशाला
- आण्विक नैदानिक एवं नैनोजैवप्रौद्योगिकी प्रयोगशाला
- बायोएनालिटिकल शोध प्रयोगशाला
- जैवसूचना एवं प्रलेखीकरण प्रयोगशाला (देहरादून)

3– परिषद् द्वारा पी.एच.डी. एवं लघुअवधि शोध एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है। वर्तमान में दो छात्राऐं परिषद् के मार्गदर्शन में शोध कार्य कर रही है।

4– परिषद् द्वारा हाइड्रोपोनिक/एक्वापोनिक आधारित प्रायोगिक खेती को बढ़ावा देने हेतु कार्य किया जा रहा है। परिषद् द्वारा मिट्टी रहित खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मॉडल स्थापित किये गये हैं। वर्तमान में दो मॉडल (रामनगर एवं रूद्रपुर) तैयार किये गये जो तथा उसकी देख–रेख व तकनीकी मार्गदर्शन परिषद् के वैज्ञानिको द्वारा किया जा रहा है।

5– परिषद् में जैवविविधता संरक्षण के अंतर्गत विभिन्न सगंध एवं औषधीय पौधों को परिसर में संरक्षण किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 40 प्रजातियों के पादप परिषद् में संरक्षित हैं।

6– प्रदेश के युवाओं में कौशल विकास हेतु समय–समय पर जैवप्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण कार्यशाला/ लोकप्रिय व्याख्यान/ सेमिनार इत्यादि का समय–समय पर सफल संचालन किया जाता है। विगत सत्र में परिषद् द्वारा आठ कार्यशाला व सेमिनार आयोजित/वित्त पोषित किये गये हैं तथा कौशल विकास के अंतर्गत कुल 82 छात्र–छात्राओं द्वारा अब तक प्रशिक्षण प्राप्त किया जा चुका है। इसी क्रम में माह जनवरी 2019 से कुल 12 चयनित छात्र–छात्राओं का लघुशोध कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा। परिषद् द्वारा विद्यालयी/कालेज स्तर पर जैवप्रौद्योगिकी जागरूकता हेतु भी कार्यक्रम संचालित करती है तथा समय–समय पर विद्यार्थियों को जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत परिषद् के विभिन्न प्रयोगशालाओं का भ्रमण कराया जाता है। विगत सत्र में भ्रमण के दौरान लगभग 500 छात्र–छात्राऐं लाभान्वित हो चुके हैं।

7– परिषद् द्वारा प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में परियोजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर अनुसंधान कार्यो को संचालित किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न शोध संस्थानों/ विश्वविद्यालायों में अट्ठारह परियोजनायें जैवप्रौद्योगिकी के विभिन्न विधाओं में संचालित हो रही है। विगत वर्षों (सत्र 2010–2014) के बीच परिषद् द्वारा लगभग तीस परियोजनायें संचालित/संपादित हो चुकी है।

8– परिषद् अखिल भारतीय किसान मेला व कृषि उद्योग प्रदर्शनी व अन्य कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर प्रदेश के किसानों को जैवप्रौद्योगिकी आधारित खेती हेतु तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है। विगत चार वर्षों से परिषद् द्वारा अखिल भारतीय पंतनगर किसान मेले में प्रतिभाग के साथ किसानों का मार्गदर्शन किया जा रहा है।

9– परिषद् द्वारा राष्ट्रीय तथा अंर्तराष्ट्रीय स्तर के सेमिनार/कार्यशाला में प्रतिभाग हेतु परिषद् वित्तीय सहायता प्रदान करती है। विगत सत्र में प्रदेश के विभिन्न शोध संस्थानों में कार्य कर रहे पांच वैज्ञानिकों को अनुदान प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध कार्य हेतु प्रेरित करती है।

अध्याय 26
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन
Revenue and Disaster Management

अ–राजस्व

26.1 सामान्य विवरणः– भू–राजस्वों के लिए अधिनियम में दी गयी व्यवस्थाओं के अधीन भूमि पर लगाये गये लगान/कर एवं केन्द्रीय व राज्य सरकार के अधीन समस्त विभागों, निकायों एवं उपक्रमों के विभिन्न प्रकार के देयों की बकायेदारों से धनराशि वसूल कर राजकोष में जमा करना व भूमि के क्रय–विक्रय सहित अन्य समस्त प्रकार से स्वामित्व में हुए निर्विवाद परिवर्तनी का विधिक प्राविधानों/धाराओं के अधीन भू–अभिलेखों में अंकन कर अध्यावधिक करना व उनका समुचित रख–रखाव, विभिन्न निर्वाचन सम्बन्धी कार्य सुगमता एवं निष्पक्षतापूर्ण कराये जाने के साथ ही बन्दोबस्त के उपरान्त भूमि के स्वरूप परिवर्तित होने पर भू–अभिलेखों को सुव्यवस्थित करना राजस्व विभाग का प्रमुख कार्य है। राजस्व विभाग द्वारा किये जा रहे प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–

26.1.1 भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (CLR):– प्रदेश में डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकार्ड मार्डनाईजेशन प्रोग्राम (DILRMP) का उददेश्य समस्त भू–अभिलेखों यथा खतौनी, खसरा, नक्शा राज्य अभिलेखागारों में अभिलेखों के डिजिटाईजेशन सहित भूमि का सर्वेक्षण/पुनःसर्वेक्षण आधुनिक तकनीकों द्वारा करवाकर त्रुटिरहित नक्शा व अन्य संगत विवरण आम जन के लिये सुलभ कराया जाना है। प्रदेश में जनपद पौड़ी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा को पॉयलेट जनपद के रूप में चिन्हित कर योजना संचालित है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹547.46 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

वर्तमान समय में **डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकार्ड मार्डनाईजेशन प्रोग्राम (DILRMP)** योजना (100% केन्द्र पोषित) में निम्नवत् कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं:–

- प्रदेश में चयनित 02 पॉयलट जनपद पौड़ी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा में कैडस्ट्रल मैप्स के डिजिटाईजेशन सम्बन्धी कार्य पूर्ण किया जा चुका है, तथा डिजिटाईज नक्शों को ग्रामवार मोजाईक करने की कार्यवाही एवं डिजिटाईज मैप्स को भू–नक्शा सॉफ्टवेयर में अपलोड़ किये जाने की कार्यवाही भी गतिमान है जिससे सभी नक्शों को आर०ओ०आर० (Record of Right) से लिंक किया जायेगा, वर्तमान माह में यह प्रकिया पूर्ण कर ली जायेगी।
- प्रदेश की तहसीलों में संचित भू–अभिलेखों के रखरखाव व आम जन के उपयोगार्थ अभिलेखों के वितरण आदि हेतु चयनित जिलों की (10–10 तहसील) में आधुनिक तकनीक के रिकार्ड रूम स्थापित किये जाने की कार्यवाही में आतिथि तक जनपद पौड़ी गढ़वाल की 08 तहसीलों में मार्डन रिकार्ड रूम की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा जनपद अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत, द्वाराहाट, सोमेश्वर एवं भिक्यासैंण में मार्डन रिकार्ड रूम की स्थापना का कार्य गतिमान है, तथा अवशेष चयनित समस्त तहसीलों में कार्य प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। साथ ही रिकार्ड रूम में संचित समस्त भू–अभिलेखों को डिजिटाईज करवाये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
- योजना अन्तर्गत सी.एल.आर. (Computerised Land Records) योजना में कम्प्यूटरीकरण से छूटे राजस्व ग्रामों एवं गैर जमींदारी विनाश खतौनियों को कम्प्यूटरीकृत करवाये जाने हेतु एन0आई0सी0 के माध्यम से सॉफ्टवेयर तैयार करवाकर डाटा इन्ट्री सम्बन्धी कार्य पूर्ण किया जा चुका है, तथा डाटा वैलीडेशन की प्रकिया गतिमान है।
- भू–अभिलेखों के डिजिटल फार्मेट में संरक्षण हेतु विभागीय डाटा सेन्टर की स्थापना किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
- भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान अल्मोड़ा में योजना के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना उपरान्त प्रशिक्षण प्रकोष्ठ को योजना की गाईडलाईन के अनुरूप प्रशिक्षुओं के उपयोगार्थ आधुनिक प्रशिक्षण सामग्री यथा डी0जी0पी0एस0 (Diffenential Global Positioning System) एवं ई0टी0एस0 (Electronic Total Station) की आपूर्ति एवं कम्प्यूटर लैब की स्थापना सम्बन्धी आदि कार्य पूर्ण किये जा चके है।
- प्रदेश के समस्त सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण, डाटा डिजिटाईजेशन सम्बन्धी

कार्य को करवाये जाने हेतु परियोजना प्रबन्धन इकाई, डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकार्ड मार्डनाईजेशन प्रोग्राम (DILRMP) राजस्व परिषद् द्वारा निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण करवाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

➢ योजना के कार्यों तथा अन्य सूचनाओं से सम्बन्धित एम0आई0एस0 पोर्टल पर सूचनाओं को अद्यावधिक करवाये जाने की कार्यवाही नियमित रूप से गतिमान है।

➢ प्रदेश के 11 जनपदों में DILRMP योजना की गाईडनलाईन के अनुरूप कार्य प्रारम्भ करवाये जाने हेतु परियोजना प्रबन्धन इकाई, DILRMP राजस्व परिषद् द्वारा प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु शासन के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है जिस पर भारत सरकार स्तर से स्वीकृति अपेक्षित है। भारत सरकार स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त शीघ्र ही प्रदेश के 11 जनपदों में वर्णित कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

26.1.2 ईज ऑफ डूईंग बिजनेस एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से सम्बन्धित बिन्दुओं पर कार्यवाही का विवरणः–

➢ ईज ऑफ डूईंग एवं राज्य स्तरीयर बैंकर्स समिति की अपेक्षानुसार प्रदेश की सभी संचालित तहसीलों में भू–अभिलेखों से सम्बन्धित ऑनलाईन सॉफ्टवेयर "भूलेख" को लागू किया जा चुका है, जिससे भू–अभिलेखों की अद्यावधिक स्थिति ऑनलाईन वेबसाईट http://bhulekh.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

➢ भू–उपयोग परिवर्तन एवं भूमि कय की अनुमति सम्बन्धी कार्यवाही को ऑनलाईन वेबसाईट http://landuse.uk.gov.in: 8080 के माध्यम से ऑनलाईन संचालित करवाया जा रहा है, जिससे निवेशकों को भौतिक रूप से सम्बन्धित कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं है।

➢ राजस्व न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु विकसित ऑनलाईन वेब एप्लीकेशन http://rcms.uk.gov.in के माध्यम से वादों की डाटा इन्ट्री करवायी जा रही है। साथ ही वर्णित एप्लीकेशन को पूर्णतः ऑनलाईन करवाये जाने की कार्यवाही भी गतिमान है।

➢ राजस्व वसूलियों की ऑनलाईन फाईलिंग हेतु वेब एप्लीकेशन http://rcs.uk.gov.in के माध्यम से कियान्वित करवाया जा रहा है।

➢ ऑनलाईन म्यूटेशन/नामान्तरण की कार्यवाही को ऑनलाईन करवाये जाने हेतु सॉफ्टवेयर का विकास राजस्व परिषद् स्तर पर करवाये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

➢ भूमि की पैमाईस हेतु ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जाने एवं तद्सम्बन्धी कार्यवाही को भी ऑनलाईन करवाये जाने हेतु सॉफ्टवेयर का विकास राजस्व परिषद् स्तर पर करवाये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

26.1.3 राज्य में चकबन्दीः– चकबंदी के अधीन लिये गये क्षेत्रों में कतिपय कारणों से चकबंदी प्रारम्भ न होने के कारण मृतक खातेदारों के वारिसानों के नाम एवं भूमि के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं किये जा सके। अतः उत्तर प्रदेश चकबंदी अधि0–1953 की धारा–6 में संशोधन करके इसको दूर कर दिया गया है। उत्तराखण्ड में चकबंदी से सम्बन्धित विवरणानुसार चयनित 906 ग्रामों के सापेक्ष 419 ग्रामों में चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है व शेष 166 ग्रामों में कार्यवाही गतिमान है।

तालिका 26.1:–उत्तराखण्ड में चकबन्दी से सम्बन्धित विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	चकबन्दी में लिए गये ग्रामों की कुल संख्या	ग्राम जिनमें चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो	धारा–6 अन्तर्गत डिनोटिफाई के कारण चकबन्दी समाप्त/स्थगनादेश आदि से तहसील को वापस किये गये ग्रामों की संख्या	ग्राम जिनका कार्य चल रहा है।
1	2	3	4	5	6
1	उधमसिंहनगर	273	123	100	50
2	चम्पावत	28	02	26	–
3	नैनीताल	20	03	15	02
4	हरिद्वार	585	291	180	114
योग		**906**	**419**	**321**	**166**

26.1.3.1 सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यः–

माह नवम्बर 2018 तक की स्थिति के अनुसार सर्वेक्षण इकाई उधमसिंहनगगर द्वारा जनपद उधमसिंहनगर एवं नैनीताल के कुल 29 ग्रामों में सर्वेक्षण एवं अभिलेखीय कार्य सम्पादित कराया जा रहा है। जिसमें से अभी तक 03 ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। 11 ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है। अवशेष 18 ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य गतिमान है। सर्वेक्षण इकाई देहरादून द्वारा वर्तमान में जनपद देहरादून में 08 ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। इसी इकाई द्वारा जनपद हरिद्वार के 03 ग्रामों एवं जनपद टिहरी गढवाल के 04 ग्रामों का भी सर्वेक्षण कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

26.1.3.2 पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदीः–

राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी को एक सुनियोजित कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भ किये जाने हेतु उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिये जोत चकबंदी अधिनियम, 2016 की अधिसूचना प्रख्यापित की जा चुकी है तथा चकबंदी नियमावली तैयार कर प्रख्यापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। ग्राम खैरासैण, पंचूर, औणी एवं लखोली में धारा–4(1) एवं 4(2) की कार्यवाही की गयी है।

ब– आपदा प्रबन्धन (Disaster Management)

26.2 जलवायु सम्बन्धी घटनाओं, आपदाओं, जोखिमों को कम करने, मानव बस्तियों के लिए जलवायु परिवर्तन, आपदा न्यूनीकरण हेतु योजनाओं का अंगीकरण व सभी तरह की प्राकृतिक आपदाओं से निपटनें के लिए राज्य स्तर पर उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण व राज्य कार्यकारी समिति तथा जनपद स्तर पर जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण गठित है। राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के शीर्ष पर्यवेक्षण में आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय योजनाओं का विकास किया गया है तथा इन्हें लगातार अद्यतन भी किया जा रहा है।

वर्ष 2018–19 में आपदा प्रबन्धन हेतु निम्न कार्यवाही की गयी हैंः–

- राज्य में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की के सहयोग से भूकम्प पूर्व चेतावनी तंत्र की स्थापना की गयी है। उक्त के अन्तर्गत राज्य में 200 भूकम्पमापी यंत्र लगाये जा रहे हैं तथा राज्य व जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्रों के अलावा देहरादून, हल्द्वानी एवं काठगोदाम में 100 साइरनों की व्यवस्था की जा रही है।
- आपदा के कारण होने वाली क्षति के परिवीक्षण के लिये वैब आधारित ऑनलाइन रिपोर्टिंग व्यवस्था (सचेत) का विकास किया गया है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई0एम0डी0) के द्वारा जनपद नैनीताल के मुक्तेश्वर एवं टिहरी के सुरखण्डा में डॉप्लर वैदर रडॉर की स्थापना की जा रही है।
- मौसम से सम्बन्धित पूर्वानुमान बेहतर बनाने के लिये राज्य में 107 ऑटोमैटिक वैदर स्टेशन, 25 सरफेस फील्ड आब्जरवेटरी, 16 स्नोगेज, 28 ऑटोमैटिक रैनगेज की स्थापना भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई0एम0डी0) के तकनीकी सहयोग से की जा रही है।
- आपदा की स्थिति में संचार साधनों की वैकल्पिक व्यवस्था तथा जनसमुदाय को जागरूक किये जाने हेतु नवीन पहल के रूप में राज्य में सामुदायिक रेडियों स्टेशनों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन नीति विकसित की गई है। जिसमें अधिकतम रू0 5.00 लाख की सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है।
- समस्त जनपदों को आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य हेतु SDRF मद से कुल रू0 136.88 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी हैं।
- राज्य के सरकारी भवनों की भूकम्प घातकता का आंकलन Rapid Visual Screening विधि से किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत अब तक 18,835 भवनों का RVS किया जा चुका हैं।
- राज्य के चिन्हित 90 चिकित्सालयों के 150 परिसरों को भूकम्परोधी बनाने के लिये परियोजना प्रस्ताव तैयार किये जा रहे है।
- 10 दिवसीय खोज एवं बचाव प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2010 से न्याय पंचायत स्तर पर निरन्तरता में संचालित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत वर्तमान वर्ष में 1925 स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है।
- भूकम्प सुरक्षित भवन निर्माण सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 13 जिलों में कुल 728 स्थानीय राज्य मिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया तथा 25 प्रदर्शन इकाईयों

(Demonstration Units) का निर्माण किया गया है।

- आपदा की स्थिति में त्वरित संचार व्यवस्था हेतु जनपदों को 74 सेटेलाइट फोन उपलब्ध कराये गये है। उक्त के अतिरिक्त 79 नये सेटेलाईट फोन क्रय किये जा रहे है।
- आकाशीय बिजली (बज्रपात) को स्थानीय आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- चमोली, टिहरी एवं बागेश्वर के 131 परिवारों के पुनर्वास हेतु ₹ 647.25 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।
- जनपद उत्तरकाशी के वरूणावत् पर्वत के अन्तर्गत ताम्बाखानी नाले की ओर भूस्खलन के उपचार हेतु लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित करते हुए ₹ 667.95 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।
- विभिन्न विभागों हेतु मानक प्रचालन कार्यविधिओं (Standard Operations Procedures) एवं विभागीय आपदा प्रबन्धनयोजना का विकास किया जा रहा है तथा वर्तमान तक लोक निर्माण, पुलिस, चिकित्सा, जल संस्थान, ऊर्जा, सिंचाई, परिवहन, कृषि एवं पशुपालन विभाग की योजना व SOP तैयार कर ली गयी है।
- विश्व बैंक सहायतित उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजक्ट (यू0डी0आर0पी0) के अन्तर्गत आपदा, 2013 के पश्चात् महत्वपूर्ण पुर्ननिर्माण कार्यक्रम संपादित किये गये है। इसके अतिरिक्त 2018–19 में अगले तीन वर्ष के लिये US$120 मिलियन की व्यवस्था की गयी है जिसमें पुल, भूस्खलन वाले क्षेत्रों का उपचार और एस0डी0आर0एफ0 बटालिनों का भवन निर्माण किया जायेगा।
- यू0डी0आर0पी0 अतिरिक्त फंड के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के पूर्णागिरी मन्दिर के ढलान उपचार (Slope Treatment) हेतु कुल धनराशि ₹ 9.97 करोड़ स्वीकृत किये गये है।
- समस्त जनपद स्तर पर आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित सभी विभाग के अधिकारियों को Incident Response System (IRS) का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- राज्य में उत्तराखण्ड रिवर मार्फोलॉजी इन्फारमेशन सिस्टम (Uttarakhand River Morphological Information System (URMIS) विकसित किया गया है।
- आपदा की स्थिति में त्वरित व प्रशिक्षित प्रतिवादन हेतु राज्य आपदा प्रतिवादन बल (SDRF) को अत्याधुनिक खोज एवं बचाव उपकरणों से सुसज्जित किया गया है।

वर्ष 2020 तक राज्य के समस्त महिला मंगल दल व युवक मंगल दलों को 05 दिवसीय आपदा जागरूकता एवं खोज बचाव में प्रशिक्षण कार्य गतिमान है।

उत्तराखण्ड राज्य के कुछ प्रमुख मदों में गत् वर्ष के सापेक्ष प्रगति का विवरण

क्र0 सं0	संकेतक	01 अप्रैल, 2017 तक	30 नवम्बर, 2018 तक	01 अप्रैल, 2017 से 30 नवम्बर, 2018 तक हुई प्रतिशत वृद्धि / कमी
1	2	3	4	5
	कृषि एवं संबद्ध सेवाएं			
1	नहरों से सिंचित रकबा (लाख हे0)	3.142	3.244	3.25
2	फसल उत्पादकता–खाद्यान्न (कु0 / हे0)	21.50	22.38	4.09
3	कुल कृषि उत्पादन–खाद्यान्न (मी0टन में)	18,74,501	19,06,066	1.68
4	गेंहु उत्पादन (मी0टन0)	8,91,700	9,15,949	2.72
5	धान उत्पादन (मी0टन0)	9,57,445	9,71,728	1.49
6	दलहन उत्पादन (मी0टन0)	45,825	53,294	16.30
8	गन्ना उत्पादन (लाख कुन्तल)	590.40	607.50	2.90
9	गेंहु उपार्जन / उत्पादकता (कु0 / हे0)	26.26	27.49	4.68
10	धान उपार्जन / उत्पादकता (कु0 / हे0)	35.96	38.50	7.06
11	गन्ना खरीद (लाख कुन्तल)	326.18	409.14	25.43
12	फसल ऋण (लाख रू0)	82,143.00	1,36,437.00	66.10
13	फसल ऋण पर ब्याज	7 %	2 %	
14	उद्यानिकी फसल उत्पादन (लाख मी0टन)	16.97 (2016-17)	17.53 (2017-18)10.85	3.30 (2016-17 & 2017-18)
15	दुग्ध उत्पादन (हजार मी0टन)	1692.41	1742 (2017-18)	2.93 (2016-17 & 2017-18)
16	मछली उत्पादन (मी0टन)	4137	4578	10.66
17	कृषि विज्ञान केन्द्र	13	13	0.00
18	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कवर किसानों की संख्या	2,08,175	1,74,761	-16.05[1]
19	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कवर हेक्टेयर भूमि	1,07,229	95,061	-11.35[2]
20	साइल हेल्थ कार्ड वितरण	7,65,410	6,87,051	-10.24[3]
21	कृषि विज्ञान केन्द्र	13	13	0.00
22	मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं	13	14	7.69
23	ई–नाम मंडियां	05	16	220.00
24	ई–नाम के साथ जुड़े किसान	-	32,068	
	शिक्षा संकेतक			
25	प्राथमिक शालाएं (जूनियर बेसिक स्कूल)	15,079	14,489	-3.91[4]
26	माध्यमिक शालाएं (सीनियर बेसिक स्कूल)	5,406	5,363	-0.80[5]
27	हाई स्कूल	1,308	1,308	0.00
28	हायर सेकेन्डरी	2,438	2,438	0.00
29	आई0टी0आई0 संस्थायें	176	176	0.00
30	इन्जीनियरिंग कॉलेज / सीटें	25/8,520	26/7,686	4/(-)9.79[6]

31	पालिटेक्निक कॉलेज / सीटें	71/16,562	71/16,562	0.00
32	ड्रापआउट रेट प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / हाईस्कूल / हायर सैकेन्ड्री	5.93/ 3.47/ 12.30/ 3.35		
	स्वास्थ्य तथा आई.सी.डी.एस. संकेतक			
33	संस्थागत प्रसव	93,998	82,915	-11.79[7]
34	मातृ मृत्यु दर	201 (SRS 2014-16)	201 (SRS 2014-16)	
35	शिशु मृत्यु दर	38 (SRS)	38 (SRS)	
36	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	60	67	11.67
37	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	257	257	0.00
38	उप स्वास्थ्य केन्द्र	1,847	1,847	0.00
39	ब्लड बैंक	30	37	23.33
40	आंगनबाड़ी केन्द्र	19,649	19,932	1.44
41	आंगनबाड़ी कार्यकर्ती	33,013	33,596	1.77
	पेयजल एवं संसाधन			
42	गांव– सतही पेयजल से जुड़ा	21,938 Habitations	22,781 Habitations	3.84
43	शहर– सतही पेयजल से जुड़ा	73 Habitations	73 Habitations	
44	हैण्ड पम्प	45,513	46,388	1.92
45	ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजना	19,305	19,341	0.19
46	शौचालय निर्माण (ग्रामीण)	5,47,659	5,90,289	7.78
47	शौचालय निर्माण (शहरी)	4,945	14,623	195.71
48	ओ0डी0एफ0– शहर	03	99 (छावनी परिषद सहित)	
49	ओ0डी0एफ0– गांव	13,414	15,473	15.35
	अर्थव्यवस्था			
50	सकल राज्य घरेलू विकास दर	6.00	6.79	
51	बजट का आकार (करोड़ ₹)	42,725.51 [2017-18(AC)]	45,585.09 [2018-19(BE)] (Expenditure upto November 2018, ₹ 23,437.87 Crore)	
52	कुल कर राजस्व (करोड़ ₹)	17,249.83 [2017-18(AC)]	23,254.85 [2018-19(BE)] (Expenditure upto November 2018, ₹ 17,121.27 Crore)	
53	राजस्व आधिक्य (करोड़ ₹)	(-) 1,978.11 [2017-18(AC)]	32.69 [2018-19 (BE)] (Upto November 2018, ₹ (-)950.67 Crore)	
54	प्रति व्यक्ति आय (प्रचलित भावों पर, ₹ में)	1,57,643	1,73,820	10.26
55	सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	53,487	59,186	10.65
56	आदिवासी उपयोजना बजट (लाख ₹)	29,760	47,704	60.30
57	पिछड़ा वर्ग कल्याण बजट (लाख ₹)	950.42	3,457.94	263.83

58	नगर निगम/महानगर पालिका	6	8	33.33
59	नगरपालिका परिषद्	43	41	-4.65[8]
60	नगर पंचायत	43	43	0.00
61	पंचायत समिति	8,062	7,867	-2.42[9]
62	पंचायतों में आरक्षण (महिलाओं की संख्या)	36,168	36,168	0.00
	ऊर्जा			
63	विद्युत उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	2,224	2,256	1.44
64	प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत (यूनिट)	1,201	1,283	6.83
65	विद्युतीकरण का प्रतिशत (राजस्व ग्राम)	99.57 %	100 %	0.43
66	विद्युत पम्पों की संख्या	30,366	33,252	9.50
67	विद्युत उपभोक्ता	20,96,414	23,36,600	11.46
68	एकल बत्ती कनेक्शन धारक	3,54,138	3,98,507	12.53
69	उच्च दाब विद्युत उपकेन्द्र (33 के0वी0 उपस्थान)	325	343	5.54
71	उच्च दाब विद्युत लाईनें (सर्किट कि0मी0) (33 के0वी0 लाईन)	4,698	5,172	10.09
72	400 के0वी0 लाईन (सर्किट कि0मी0)	422	422	0.00
73	220 के0वी0 लाईन (सर्किट कि0मी0)	790	805	1.90
74	बिजली की अधिकतम मांग (मेगावाट)	2,037	2,255	10.70
75	सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	234.55	254.55	8.53
76	उदय योजना	उदय योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में Operational Efficiency improvement हेतु MoU किया गया है।		
77	ए.टी.एण्डसी. हानियां	15.85 % (2016-17)	16.10 % (2017-18)	1.58
78	ए.सी.एस.–ए.आर.आर. गैप (₹)	0.23 (2016-17)	0.17 (2017-18)	-26.09[10]
79	फीडरों का सुदृढ़ीकरण (संख्या)	31	46	48.39
80	कृषि पोषकों का पृथकीकरण (संख्या)	0	11	
81	एल.ई.डी. बल्ब वितरण (लाख में)	35.97	51.84	44.12
82	ट्रांसफर्मर मीटरिंग (संख्या)	5,664	6,160	8.76
83	ग्रामीण विद्युतीकरण (विद्युतीकृत ग्राम)	15,678	15,745	0.43
84	सौभाग्य योजना	लागू नहीं	2,00,037 संयोजन	
	बैंकिंग			
85	बैंक खाते (सेविंग बैंक)	1,31,79,099	1,45,42,569	10.35
86	बैंक शाखाएं (संख्या)	2,269	2,351	3.61
87	अटल पेंशन योजना (संख्या)	27,990	1,15,549	312.82
88	लाभ का सीधा हस्तानान्तरण	₹ 1,135 Crore	₹ 1,240 Crore (74,26,240 beneficiaries)	9.25
89	प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना (संख्या)	14,33,619	16,95,453	18.26
	अन्य			
90	एल.पी.जी. कनेक्शन (संख्या)	20,96,172	24,13,028 (15-11-2018)	15.12

91	एल.पी.जी. वितरक (संख्या)	244	281	15.16
92	प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण			
	कुल पात्र लाभार्थी	12,675	12,675	0.00
	कुल स्वीकृत आवासों की संख्या	5,937	12,523	110.93
	पूर्ण किये गये आवासों की संख्या	0	8,515	
93	प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी	297	375	26.26
94	ग्रामीण सड़क निर्माण (पी.एम.जी.एस.वाई.)	12,672.78	13,765.91 (31-3-2018)	8.63
95	ग्राम पंचायत–ऑपटिकल फाईबर कनेक्टिड (संख्या)	288	1,376	377.78

कतिपय संकेतकों में कमी के कारणः–

1, 2– रबी फसलों के आंकड़ें माह जनवरी तक उपलब्ध होगें।

3– द्विवर्षीय चक्र के कारण कमी है। चक्र पूर्ण होने में समय है।

4, 5– 301 प्राईमरी तथा जूनियर स्कूल संविलीन (merged) हो गये हैं तथा कुछ स्कूलों में छात्रों का नामांकन शून्य है।

6– छात्रों के प्रवेश में कमी आने के कारण वर्ष 2014–15 से लगातार कमी हो रही है। वर्ष 2014–15 में कुल 29 इंजीनियरिंग कॉलेज थे।

7– अगले 4 माह में आंकड़ों में बढ़ोत्तरी होना संभव है चूंकि गत वर्षों से संस्थागत प्रसव के आंकड़ों में निरन्तर वृद्धि दर्ज की जा रही है।

8– दो नगरपालिका परिषदों को नगर निगम में परिवर्तित किया गया है।

9– ग्राम पंचायतों का शहरी क्षेत्र में विलय होने के कारण समितियों की संख्या में कमी आई है।

10– कॉरपोरेशन की आय में वृद्धि तथा दक्षता में सुधार परिलक्षित होता है।

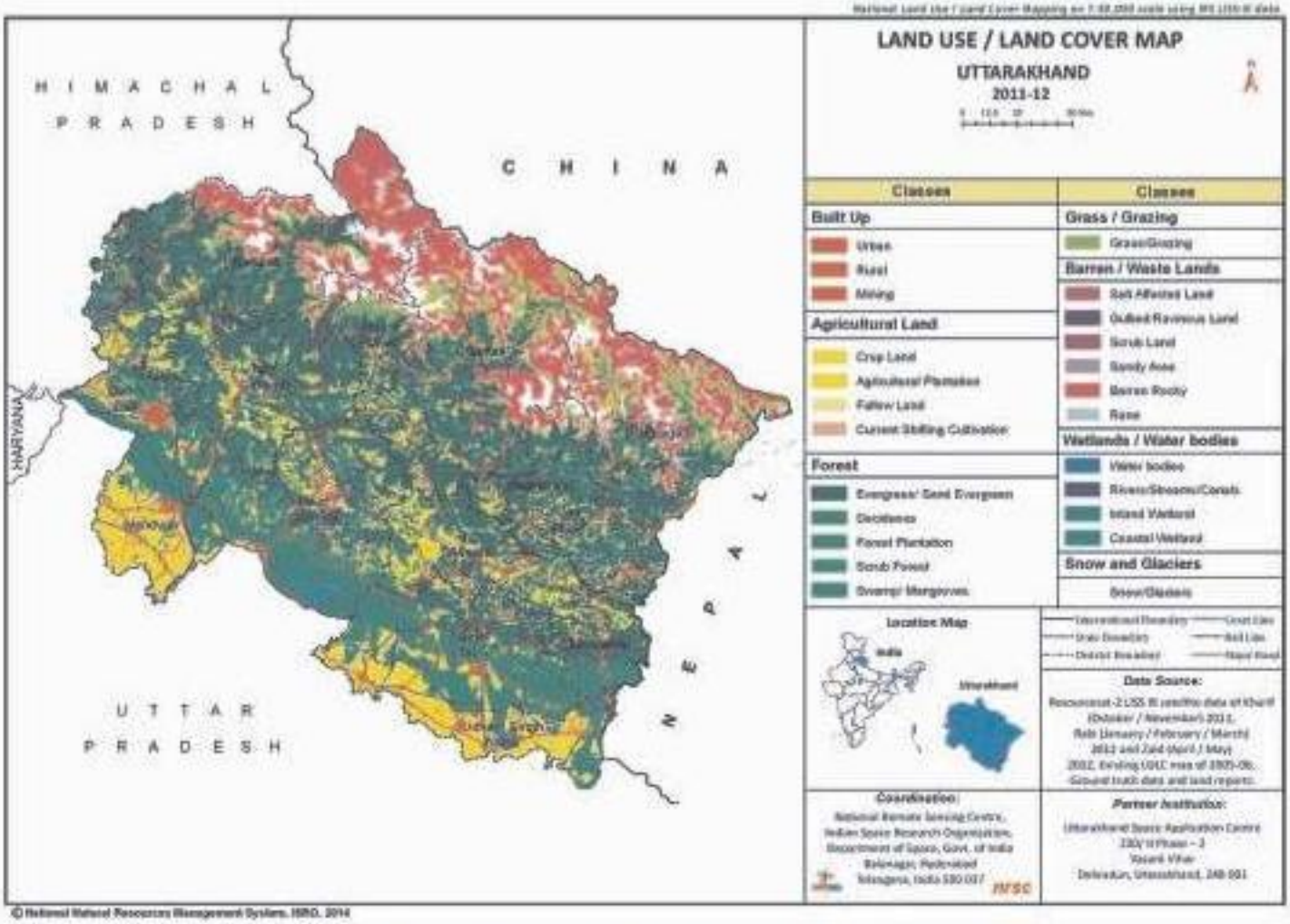

Transforming Uttarakhand

"Sankalp se Siddhi"

उत्तराखण्ड सरकार

अर्थ एवं संख्या निदेशालय

उत्तराखण्ड सरकार

100/6, नैशविला रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड) 248001, दूरभाष/फैक्स: 0135-2712604

ई–मेल: dirdesuk@gmail.com, dir-des-uk@nic.in

वेबसाइट: www.des.uk.gov.in

Printed @ printvisionindia.com